रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94

REGISTERED NO. DL—33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1994 (आषाढ़ 11, 1916)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 1994 (ASADHA 11, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	543
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	609
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1273
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	661
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	567
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3677
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	93
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

1—131GI/94

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	543
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	609
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1273
PART II—SECTION 1—Acts Ordinance and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	661
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	567
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3677
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	93
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1994

सं० 102-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लुधियाना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29-7-1992 को श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, लुधियाना को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गुरजंत सिंह बुद्ध सिंह वाला सहित के० एल० एफ० के चोटी के आतंकवादी लुधियाना जिले में कुछ जघन्य अपराध करने की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। तदनुसार इस चुनौती का मुकाबला करने और इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक अभियान की योजना बनायी गयी और कार्यान्वित की गयी। शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन सिविल लाईन्स, लुधियाना के क्षेत्र में, नाकाओं, गश्त, गश्तों और जांच पार्टियों, जिनमें जिला पुलिस और अर्ध-सैनिक बल थे, का एक बड़ा जाल बिछाया गया। पहले दल का नेतृत्व श्री चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया और दूसरी पार्टियों का नेतृत्व लुधियाना के अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया।

लगभग 10.00 बजे (अपराह्न) छिपने के एक विशेष स्थान पर छापा मारा गया और अन्दर रह रहे लोगों को तेज आवाज में सम्बोधित किया गया कि पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इस पर, मकान के अन्दर छिपे आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलाबारी की और अन्धेरे का लाभ उठा कर भागने की कोशिश की। श्री चट्टोपाध्याय और उसकी पार्टी ने आत्मरक्षा में और उन्हें दबोचने के उद्देश्य से गोलियां चलायी। इस बीच आतंकवादी मकान के अन्दर की सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए पीछे की तरफ से नीचे छलांग लगा दी। श्री चट्टोपाध्याय अपनी पार्टी को लेकर तुरंत छत पर गए और फिर नीचे छलांग लगा दी और अपने जीवन को जोखिम में डालकर, भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया। उसके बाद वे रेंगते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गए।

जब आतंकवादी ने अपने आपको चारों दिशाओं से घिरा हुआ पाया तो उसने तत्काल दीवार फांदी और पास के खाली पड़े भूखंड में घुस गया और दीवार की आड़ लेकर अन्धेरे में गोली-बारी करनी शुरू कर दी। उसने श्री चट्टोपाध्याय पर हथगोले भी फैंके। यदि वे जमीन पर न लेट गए होते तो शायद वे आतंकवादी द्वारा चलायी गयी गोलियों का शिकार हो गये होते। उसके बाद श्री चट्टोपाध्याय, आसन्न खतरे का सामना करते हुए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना दीवार के निकट पहुंचे और ईंटें निकालकर दीवार में छेद किया और उसमें से आतंकवादियों पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दी। आधे घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से गोली चलना बंद हो गया। आतंकवादी को मृत पाया गया और मुठभेड़ के स्थान से गोलाबारूद के साथ एक ए०के० 47 राईफल और तीन मैगजीनें बरामद की गयी। जिस घर में आतंकवादी छिपा हुआ था, उस घर की तलाशी लेने पर राकेटों के साथ दो राकेट लाऊन्चर, 5 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, 3 डिटोनेटर, ड्रागोनोव राईफल के 45 राऊन्ड और विदेश निर्मित 5 हथगोले बरामद हुए। मृतक आतंकवादी की शिनाख्त, बाद में गुरजन्त सिंह बुद्ध सिंह वाला, के० एल० एफ० के स्वयंभू संस्थापक चीफ जनरल के रूप में की गई। वह बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिकों की हत्या और अनेक गोलीकान्डों और बैंक डकैतियां करने में अन्तर्ग्रस्त था।

इस मुठभेड़ में श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटी की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक (नियमावली) के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29-7-92 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रकाश,
निदेशक

सं० 103-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री दर्शन सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
गुरदासपुर ।

सेवाओं का वर्णन जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 4-1-1992 को गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय की एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी गांव गन्ना पिण्ड, हुण्डल बहियां और तलवण्डी क्षेत्र में घूम रहे हैं । उन्होंने तुरन्त पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों/सेना के दलों का गठन किया और उक्त गांवों को प्रातः 7 बजे तक घेर कर तलाशी/छानबीन अभियान शुरू कर दिए ।

करीब 8.00 बजे सी० आई० ए०, गुरदासपुर के निरीक्षक के नेतृत्व वाला दल जब जसबीर सिंह नामक व्यक्ति के ट्यूबवैल पर पहुंचा तो वहां गन्ने के खेतों में छिपे एक युवक ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । इस पर कांस्टेबल दर्शन सिंह ने मोर्चा सम्भाला और अपनी एस० एल० आर० से जवाब में गोलियां चलाते हुए वे गन्ने के खेतों की ओर बढ़ते गए । इस पर ट्यूबवैल में छिपे चार उग्रवादियों ने कांस्टेबल दर्शन सिंह पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उनको घायल कर दिया । घावों के बावजूद, अपने जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने उग्रवादियों पर गोलियां चलानी जारी रखीं । कांस्टेबल दर्शन सिंह को घायल करने के बाद उग्रवादी गन्ने के खेतों में घुस गए ।

पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों/सेना के दलों ने गन्ने के खेतों को घेर लिया और उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोली-बारी के जवाब में गोलियां चलाई । इस बीच, कांस्टेबल दर्शन सिंह ने घावों के कारण घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया । पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों ने गोली चलानी जारी रखी तथा दो बुलेट प्रूफ ट्रेक्टरों का प्रयोग भी किया । दोनों ओर से गोलियां चलने के दौरान एक दूसरे कांस्टेबल का पैर भी जख्मी हो गया । दोनों ओर से 3.30 बजे अपराह्न तक गोलियां चलती रहीं । इसके बाद, उग्रवादियों की ओर से गोलियां चलनी बंद हो गई ।

तलाशी के दौरान उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए जिनकी बाद में सुर्जन सिंह, खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट गिरोह का एक कट्टर उग्रवादी और कुलदीप सिंह के रूप में पहचान की गई । तलाशी के दौरान घटना स्थल से मैगजीनों सहित दो ए० के०-47 एसाल्ट राइफलें, 3 देशी हथगोले और भारी मात्रा में खाली/भरे हुए कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री दर्शन सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 जनवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रकाश,
निदेशक

सं० 104-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अवतार सिंह छेतरा (मरणोपरांत)
पुलिस अधीक्षक (प्रचालन),
तरन तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

17 जनवरी, 1989 को श्री ए० एम० छेतरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), तरन तारन को, पुलिस स्टेशन वालतोहा के गांव घरियाली के क्षेत्र में आतंकवादियों के एक गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । के० रि० पु० बल के कर्मियों के साथ श्री छेतरा ने छिपने के संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली । 19-1-1989 को लड़के चलाए जाने वाले अभियान में हिस्सा लेने जा रहे सभी अधिकारियों की स्पेशल ब्रीफिंग दि० 18-1-1989 को की गई ।

2 19 जनवरी, 1989 को, पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई और विभिन्न दिशाओं से क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए विभिन्न तलाशी दल बनाए गए । लगभग 2.30 बजे अपराह्न को एक पुलिस अधीक्षक की कमान में एक तलाशी दल, के० रि० पु० बल की 41वीं बटालियन के उप निरीक्षक बी० एन० पांडेय, लांस नायक राम अवतार सिंह और कांस्टेबल खगेन्द्र बर्मन सहित गन्ने के खेत के पास पहुंचा । अचानक गन्ने के खेत में छिपे आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाई गई । श्री पांडेय तुरंत ही जमीन पर लेट गए और उन्होंने गोलीबारी का जवाब गोली से दिया, इस प्रक्रिया में, आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । लांसनायक राम अवतार ने सिंचाई-नाले में पोजिशन ली, अपनी एल० एम० जी० के साथ रेंगकर आगे बढ़े तथा कांस्टेबल खगेन्द्र सिंह ने भी पोजिशन ले ली और वे आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे । लांसनायक

राम अवतार भी, आतंकवादियों द्वारा की गई भारी गोली-बारी का शिकार हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई तथा कांस्टेबल जगेन्द्र बर्मन को भी टांग में गोली लगी ।

लगभग 4.00 बजे सायं तरन तारन के पुलिस अधीक्षक, सर्वश्री मोहम्मद मुस्तफा, ए० एस० पी० और ए० एस० छेतरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) घटना स्थल पर पहुंचे तथा उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गन्ने के खेत की घेराबंदी और मजबूत कर दी । गन्ने के खेत के चारों ओर के क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए एक कमांडो दल का चयन श्री मुस्तफा ने किया । सर्वश्री छेतरा और मुस्तफा ने स्वयं एक-एक जिप्सी चलाई और क्षेत्र की तलाशी ली तथा सर्वश्री पांडेय, उप-निरीक्षक और राम अवतार, लांसनायक के शव बरामद किए । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने तलाशी जारी रखी और आतंकवादियों के दो शव ढूंढ निकाले ।

इसी बीच पुलिस महानिरीक्षक, सीमा तथा अपर पुलिस-महानिरीक्षक, के० रि० पु० बल अमृतसर भी मुठभेड़ स्थल पर 2" मोर्टार ग्रेनेड के साथ पहुंच गए । उन्होंने महसूस किया कि गन्ने के खेत में, अग्नि-बमों से आग लग जाने के बाद कुछ आतंकवादी कपास के खेत में चले गए होंगे । इसलिए, फार्म-हाउस के कपास के खेत में 2" मोर्टार बम और गोले फेंके गए ।

इस सबके बावजूद, आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोली चलाना जारी रखा । सर्वश्री मुस्तफा और छेतरा अविचलित रहे और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ बने रहे । ये युक्तिपूर्वक आतंकवादियों की ओर बढ़ते रहे और अपने लिए सुरक्षात्मक मोर्चा बनाया तथा गन्ने के खेत की ओर गोलियों की बौछार की । उन्होंने हथगोले भी फेंके और एल० एम० जी० तथा एम० एल० आर० से गोलियां चलाईं । इस स्थान में लगभग आधे घंटे तक गोलाबारी का आदान-प्रदान होता रहा । इसके बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई ।

इसके बाद सर्वश्री छेतरा और मोहम्मद मुस्तफा वाहन चला कर गन्ने के खेत के चारों ओर गेहूं की खड़ी फसल से होकर आगे बढ़े और उन्होंने तलाशी के लिए क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए बत्ती जलाकर अन्य वाहन खड़े करवाए । गन्ने के खेत की तलाशी के दौरान उन्होंने पाया कि 6 अन्य आतंकवादी मरे पड़े हैं । कुल मिलाकर 8 आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में (1) दलबीर सिंह उर्फ रिबैरो, (2) अजीत सिंह, (3) इन्दरजीत सिंह उर्फ भोला, (4) रंजीत सिंह उर्फ राना, (5) गुरनाम सिंह उर्फ गम्मा, (6) अमरजीत सिंह, (7) नन्द सिंह उर्फ नन्दा और (8) सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के रूप में पहचान की गई । तलाशी के दौरान 2 ए० के०-47 राइफलें, 2 ए० के०-74 राइफलें, एक .15 बोर की अत्याधुनिक अमेरिकन राइफल, एक .315 राइफल, 1 पिस्तौल, 1 रिवाल्वर, 1 कैमरा, 11 मैगजीन और 150 कारतूस मुठभेड़-स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री अवतार सिंह छेतरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
सचिव ।

सं० 105-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री मनीष कुमार शर्मा,
वरिष्ठ, पुलिस अधीक्षक,
पटियाला ।

श्री विजय कुमार कपिल,
पुलिस अधीक्षक (प्रचा०),
पटियाला ।

श्री कुलदीप कुमार,
पुलिस सहा० उप-निरीक्षक,
पटियाला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

10 जुलाई, 1990 को लगभग 7.40 बजे सायं को रवैल सिंह उर्फ फौजी ने अपने एक साथी के साथ पुलिस स्टेशन-जुल्का, जिला पटियाला के एक राइस शैलर मालिक को 10 लाख रु० की फिरौती के लिए अपहृत कर लिया ।

2. 11 जुलाई, 1990 को श्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला ने उस सम्पूर्ण इलाके में सघन अभियान छेड़ दिया जिसमें कि अपहृत व्यक्ति के साथ आतंकवादियों के होने की संभावना थी । लगभग 4.30 बजे सायं आतंकवादियों की खोज करते हुए एक पुलिस दल पर आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई । आतंकवादियों ने शेखूपुरा गांव के पास एक फार्म हाऊस में, अपने बंधक संतोष कुमार के साथ शरण ली हुई थी । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री वी० के० कपिल, पुलिस अधीक्षक (प्रचा०), पटियाला

और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ (श्री कुलदीप कुमार, सहा० उप-निरीक्षक सहित) श्री एस० के० शर्मा उस फार्म हाउस पर पहुंचे जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। पुलिस दल को देखकर आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। प्रारम्भ में भारी गोलीबारी हुई और उस दिशा में आगे जाना कठिन था जिसमें कि आतंकवादियों ने लिंक रोड के साथ-साथ जंगली घास के पीछे ऊंची-नीची जमीन में खाइयों में पोजीशन ली हुई थी। लगभग 6.30 बजे सायं तक, बिना किसी परिणाम के गोलीबारी जारी रही। इसके बाद, आतंकवादियों के मोर्चों के नजदीक जाकर अंतिम हमला करने का निर्णय लिया गया। श्री वी० के० कपिल, कुलदीप कुमार, ए० एस० आई० और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ श्री एस० के० शर्मा अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना रेंगते हुए आतंकवादियों के पास तक पहुंच गए। श्री शर्मा ने एल० एम० जी० ग्रुप के साथ पोजीशन ली। आतंकवादियों को सिर न उठाने देने के उद्देश्य से उन पर भारी गोलीबारी की। आतंकवादियों ने भी उसी तत्परता से जवाबी गोलीबारी की। ए० एस० आई० कुलदीप कुमार के साथ श्री शर्मा दांई ओर से आगे बढ़े और उन्होंने आतंकवादियों पर गोली चलाई तथा के० रि० पु० बल के कुछ कार्मिकों के साथ श्री वी० के० कपिल ने बांई ओर से एल० एम० जी० से गोलियां चलाईं। अपने को सभी ओर से घिरा पाकर आतंकवादियों के समूह के नेता ने पहले अपहृत व्यक्ति श्री संतोष कुमार को, गोली चलाकर, मार डाला। इसके बाद अपने सहयोगियों के 'कवर फायर' की आड़ में वह आगे बढ़ा और उसने श्री शर्मा पर एक बर्स्ट फायर किया। श्री शर्मा और उनके एस्कार्ट कर्मी ने जवाब में गोली चलाई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में ए० एस० आई० कुलदीप कुमार और के० रि० पु० बल का एक कांस्टेबल घायल हो गया। श्री शर्मा ने अपनी रिवाल्वर से जबाब में गोली चलाई और आतंकवादी को मार गिराया। अपने गिरोह के नेता की मृत्यु से अन्य घायल आतंकवादी हतोत्साह हुए। जब गिरोह का नेता श्री एस० के० शर्मा पर गोली चला रहा था तो श्री वी० के० कपिल ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई और उनमें से एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया। पेट में गंभीर रूप से जख्मी होते हुए भी ए० एस० आई० कुलदीप कुमार अपनी पोजीशन पर खामोश नहीं बैठे और लगातार आतंकवादियों पर गोली चलाते रहे। बाकी आतंकवादी गोली चलाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और विभिन्न दिशाओं से पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही संकेन्द्रित गोलीबारी में मारे गए। मुठभेड़ लगभग 5 घंटे तक चली और इसमें सभी पांच आतंकवादी मारे गए। जिनकी पहचान बाद में (1) रवैल सिंह उर्फ फौजी, (2) कुन्दन सिंह उर्फ कुन्नू, (3) अवतार सिंह उर्फ घोगा, (4) निर्मल सिंह उर्फ निम्मा, (5) गुरमेल सिंह उर्फ गेल के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विजय कुमार कपिल, पुलिस अधीक्षक (प्रचा०) कुलदीप कुमार, सहा० उप-निरीक्षक, पटियाला ने उत्कृष्ट, वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 106-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हरभजन चन्द,
पुलिस अधीक्षक (प्रचालन)
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

30 मार्च 1990 की रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि अमृतसर के ग्राम संघना, थाना सदर, के एक फार्म हाऊस में कुछ उग्रवादी छिपे हैं। उन्होंने दिनांक 29 मार्च, 1990 की रात्रि को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक चौकी तथा दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, बासरका गिल्लां, पर गोली-बारी की थी। तदनुसार, श्री हरभजन चंद, पुलिस अधीक्षक, प्रचालन, अमृतसर और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 93वी बटालियन के उप-कमांडेंट को उक्त क्षेत्र में छानबीन अभियान चलाने को कहा गया।

पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा गांव संघना के फार्म हाऊसों की दिनांक 31 मार्च, 1990 को प्रातः 9.30 बजे तलाशी लेने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया।

प्रातः 10.15 बजे जब श्री हरभजन चन्द, पुलिस/के० रि० पुलिस बल के कार्मिकों को लेकर गुलजार सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस के निकट पहुंचे, तो उग्रवादियों ने फार्म हाउस की पहली मंजिल से पुलिस/के० रि० पु० बल के कार्मिकों पर गोलियां चलाईं। पुलिस दल ने फार्म हाऊस को तुरन्त घेर लिया और आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलियां चलाईं इस बीच उनमें से तीन उग्रवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए गांव हब्बन और बारसका गिल्लां की ओर भागने लगे। पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दलों ने उनका पीछा किया जबकि शेष उग्रवादी उपर्युक्त फार्म हाऊस की पहली मंजिल से पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दलों पर भीषण गोली बारी करते रहे। श्री हरभजन चन्द की कमांड के अधीन पुलिस दल ने एल० एम० जी० से गोलीबारी का जवाब

दिया और उग्रवादियों पर जी० एफ० राइफलों से हथगोले भी फेंके। 3.00 बजे (अपराह्न) तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं, उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई। फार्म हाऊस की प्रथम मंजिल की तलाशी के दौरान, एक कमरे से उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए।

गांव बासरका सिल्ला की ओर भागे उग्रवादियों में से एक उग्रवादी उप अधीक्षक, ग्रामीण और थाना प्रभारी, थाना सदर, अमृतसर, द्वारा किया गया। मुठभेड़ में आतंकवादी को मार गिराया गया और बाद में खेतों से उसका शव बरामद किया गया। दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान एक सिविलियन भी मारा गया था। मारे गए आतंकवादियों की बाद में सुरिन्दर सिंह उर्फ लिन्दा, प्रेम सिंह और सुलखान सिंह के रूप में पहचान की गई। तलाशी के दौरान दो ए० के० 47 एसाल्ट राईफलें, एक .12 बोर की डी०बी०बी० एल० की बन्दूक, एक मिनी राकेट लांचर तथा अन्य सामान मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री हरभजन चन्द, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 मार्च, 1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 107 प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारियों के नाम और पद

श्री राकेश कुमार, (मरणोपरान्त)
सहा० पुलिस उप निरीक्षक,
तरनतारन

श्री लखबीर सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
तरनतारन

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

9.12.1991 को पुलिस स्टेशन झबल के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि गांव गरगोबुआ में खतरनाक उग्रवादी मौजूद हैं तथा सेना की सहायता से प्रत्येक घर और अन्य स्थानों की तलाशी ली गई लेकिन वे उग्रवादियों का पता नहीं लगा सके। अगले दिन अर्थात 10.12.1991 को पुलिस स्टेशन झबल के थाना प्रभारी ने श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक, प्रचालन, तरतारन को सूचित किया जिन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और तलाशी अभियान 8.00 बजे प्रातः शुरु कर दिया। श्री खूबी राम ने एक घर में कोई संदिग्ध बात और कुछ सन्देहास्पद गतिविधियां नोट की और एक महिला से उस घर में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में पूछताछ की जिसने रहस्योद्घाटन किया कि एक बंकर के अन्दर के०सी०एफ० का स्वयंभू उप प्रमुख बलविन्दर सिंह उर्फ बिन्दा अपने सहापराधियों के साथ मौजूद है और वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। श्री खूबी राम और सैन्य अधिकारियों द्वारा बंकर की स्थिति का पूरी तरह सर्वेक्षण करने के बाद उस घर को घेराबंदी कर दी गई। उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरु कर दी।

सर्वश्री राकेश कुमार, ए० एस० आई० और लखबीर सिंह, हैड कांस्टेबल के साथ श्री खूबी राम घर की छत पर चढ़ गए और बंकर को तोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने हथगोले फेंके लेकिन बंकर के अन्दर मौजूद उग्रवादी झुके नहीं। इसके बाद अपने गनमैन के साथ श्री खूबी राम उस छत की ओर बढ़े जिसके नीचे बंकर स्थित था, तब उन्होंने एक टार्च की रोशनी की सहायता से बंकर का दरवाजा तलाश किया। श्री खूबी राम ने हथगोला फेंका और कमरे से बाहर आ गए। कुछ सेकन्डों के बाद हथगोला फटा, अचानक एक उग्रवादी बंकर से बाहर आया और उसने पुलिस कर्मियों पर अंधाधुन्ध गोलियां चलाईं। ए० एस० आई० राकेश कुमार और हैड कांस्टेबल लखबीर सिंह ने तेजी से जबाब में अपने हथियारों से गोली चलाई। उग्रवादियों की ओर से की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप सर्वश्री राकेश कुमार और लखबीर सिंह गोलियों से जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी जारी रखी ताकि उनके आक्रमण को निष्क्रिय किया जा सके। दोनों ने ही, तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिति का सामना किया तथा उग्रवादियों के प्रत्येक प्रयास को विफल किया और उन्हें बंकर से बाहर निकालने को मजबूर कर दिया तथा अंत में वे एक उग्रवादी को मारने में भी सफल हो गए लेकिन घावों के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई।

पास में स्थित एक दीवार की आड़ लेकर श्री खूबी राम द्वारा की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप अन्य उग्रवादी बंकर छोड़ने को मजबूर हो गए। उन उग्रवादियों में से एक ने युक्तिपूर्ण ढंग से सुरक्षा घेरे को तोड़ने का असफल प्रयास किया और वह घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भाग रहे उग्रवादी ने पुलिस कर्मियों और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर गोलियां चलाईं और उन्हें घायल कर दिया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री खूबी राम अपने गनमैन के साथ उग्रवादियों पर पीछा किया, एक दीवार के पीछे पोजीशन ली और अपने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर भागते हुए उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया, जिसकी पहचान बलविन्दर सिंह उर्फ बिन्दा के रूप में की गई। वह एक कट्टर सूचीबद्ध उग्रवादी था और के०सी०एफ० (जफरवाल ग्रुप) का तथाकथित उप प्रमुख था। तलाशी के दौरान एक ए०के० 47 राइफल, एक एस० एल० आर० और भारी मात्रा में कारतूस, मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राकेश कुमार, पुलिस सहा० उप निरीक्षक और (स्वर्गीय लखबीर सिंह) हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेषस्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 दिसम्बर 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 108-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम व पद

श्री अवतार सिंह, (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
पुलिस थाना-जंडियाला
जिला—मजीठा

श्री हरपाल सिंह,
हैड कांस्टेबल,
पुलिस थाना-जंडियाला,
जिला—मजीठा

उन सेवाओं का वर्णन जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16-3-1992 को सूचना मिली कि दशमेश नगर के मुख्त्यार सिंह के घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए है। उप-निरीक्षक अवतार सिंह और हैड कांस्टेबल हरपाल सिंह ने पंजाब पुलिस तथा अर्धसैनिक बल के कार्मिकों के साथ तड़के ही उस घर पर छापा मारा। घर की घेराबन्दी की गई और घर के सदस्यों से आंगन में इकठ्ठा होने को कहा गया। पुलिस पार्टी जब श्री अवतार सिंह के नेतृत्व में, घर में घुसने की कोशिश कर रही थी तो घर के एक कमरे में छिपे हुए उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर, अत्याधुनिक शस्त्रों से अंधाधुंध गोली चलाई। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप सर्वश्री अवतार सिंह और हरपाल सिं घायल हो गए। परन्तु उन निश्चियवान पुलिस अधिकारियों का मनोबल इससे प्रभावित नहीं हुआ और आतंकवादियों से वे लड़ते रहे। सर्वश्री अवतार सिंह और हरपाल सिंह ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। यह देखकर उग्रवादी फायरिंग करता रहा। श्री हरपाल सिंह अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सामने आए, उग्रवादी की तरफ बढ़े और उस पर प्रभावी ढंग से गोली चलाई। इसके परिणामस्वरूप उग्रवादी मारा गया। इसी बीच उप निरीक्षक अवतार सिंह नीचे गिर गए और बंदूक से हुये घावों के कारण घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मारे गये उग्रवादी की बात में निर्मल सिंह उर्फ डोडी के रूप में शिनाख्त की गई। इसका नाम खूंखार उग्रवादियों की सूची में था और वह बहुत अधिक अवन्य अपराधों में संलिप्त था। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक ए० के० 47 राईफल, एक माउजर 30 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अवतार सिंह उप निरीक्षक और हरपाल सिंह हैड कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मार्च, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 109-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : —

अधिकारी का नाम और पद

श्री कंवलजीत सिंह
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)
होशियारपुर

सेवाओं का विवरण जिनके लिए प्रदान किया गया है।

26-5-1992 को श्री कंवलजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण होशियारपुर को सूचना मिली कि आधुनिक-शस्त्रों और गोलाबारूद से लैस दो आतंकवादियों ने थाना-दसुया, गांव हेलर के हरभजन सिंह के घर में शरण ले रखी है। उन्होंने श्री दिनकर गुप्ता, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, होशियारपुर को सुरंत आगे सूचना भेजी। श्री दिनकर गुप्ता ने सभी उपलब्ध अधिकारियों को थाना दसुया में पहुंचने का आदेश दिया और उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल से भी कुमक मंगवायी।

श्री दिनकर गुप्ता ने निर्णय लिया कि एक मेजर की कमांड में सेना की एक टुकड़ी दो दिशाओं से गांव की ओर जाएगी और उसे बाहरी तरफ से घेरेगी। एक पुलिस उप-अधीक्षक के कमांड में सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी गांव के अन्दर की ओर से घेरा डालेगी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों घेरे पूरे हो गए हैं, हमलावर पार्टी ने, जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ सर्वश्री दिनकर गुप्ता और कंवलजीत सिंह और उनके गनमैन थे, अपने वाहनों में तेज गति के साथ गांव की तरफ कूच किया। योजना के अनुसार, वाहनों को इस प्रकार ले जाया गया था कि प्रत्येक अधिकारी अपने गनमनों के साथ घर को एक विशिष्ट दिशा से घेरे। सभी अधिकारियों ने संदिग्ध घर के चारों तरफ मोर्चा लिया (जो वास्तव में 'एल' आकार का परिसर था जिसमें तीन मकानों की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और अन्दर से आपस में मिली हुई थी)। श्री कंवलजीत सिंह, किनारे की दीवार से मकान की छत पर गए।

श्री गुप्ता ने, छिपे हुए आतंकवादियों से, जन-संबोधन प्रणाली द्वारा बाहर आने और आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इसके जवाब में आतंकवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से सीधे श्री दिनकर गुप्ता पर भारी गोलीबारी की लेकिन श्री गुप्ता सौभाग्य से बच गए। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, संतुलन बनाए रखा तथा आतंकवादियों के मोर्चे और स्थिति का जायजा लिया और अपने एक गनमैन से जी० पी० एम० जी० छीनी और छिपे हुए आतंकवादियों की तरफ गोलियां चलायीं। इस पर आतंकवादियों ने अपना मोर्चा बदला और उस दिशा की ओर आये, जहां पर श्री कंवलजीत सिंह ने मोर्चा सम्भाल रखा था। जब आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिक को देखा तो उन्होंने श्री कंवलजीत सिंह पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार की। श्री कंवलजीत सिंह झुक गए और रेंगते हुए बचाव के लिए दूसरी दिशा की तरफ गए। श्री गुप्ता ने यह देखा कि श्री कंवलजीत सिंह और उसकी पार्टी फंस गयी है और उन पर भारी गोलीबारी की जा रही है। श्री गुप्ता, फंसे हुए अपने साथियों को छुड़ाने के प्रयास में, अपने आपको आतंकवादियों की गोलियों के सामने लाते हुए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए 10 फुट दूरी पर स्थित दीवार की तरफ तेजी से गये। अपने इस सतर्क दाव से वे आतंकवादियों का ध्यान कंवलजीत सिंह की तरफ से हटाने में कामयाब हो गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर कंवलजीत सिंह को बचा लिया। इस प्रक्रिया में, श्री गुप्ता ने, जहां श्री कंवलजीत सिंह फंसे थे, उसके सामने वाली पास की बिल्डिंग की छत पर बहुत युक्तिपूर्ण मोर्चा लिया। उसके बाद उन्होंने आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें श्री कंवलजीत सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका मिल गया। उसके बाद श्री गुप्ता ने श्री कंवलजीत सिंह को 3 कमरों के सैट की छत पर पहुंचने के लिए कहा, जो अन्दर की तरफ से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। इससे आतंकवादियों को अपना मोर्चा बदलना पड़ा। आतंकवादी, कमरे की खिड़कियों से रुक-रुक कर सभी दिशाओं की ओर गोलियां चलाते रहे। श्री गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने आतंकवादियों पर जवाब में प्रभावी गोलीबारी की।

इसी बीच श्री कंवलजीत सिंह ने मकान की छत में, जो परम्परागत मिट्टी और ईंटों से बनी थी, एल० एम० जी० से देर तक गोलियां चलाई और एक छेद किया। अवसर का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने छत में हुए छेद से गोली चलाई लेकिन श्री कंवलजीत सिंह बाल-बाल बच गए। उसके बाद उन्होंने अपने एक गनमैन से एक ए० के० 47 राईफल ली और उस छेद से आतंकवादियों पर स्वचालित शस्त्र से गोलियों की बौछार की। लेकिन आतंकवादियों ने अपना स्थान बदल दिया और वे खिड़कियों और दरवाजे से सभी दिशाओं को गोली चलाते रहे उसके बाद आतंकवादियों ने जहां पर श्री गुप्ता ने मोर्चा सम्भाल रखा था उस दिशा में अंधाधुंध गोलियां और बार-बार गोलियों की बौछार करके भागने की कोशिश की। गोलियों की बौछार इतनी अधिक प्रचण्ड थी कि जहां पर श्री गुप्ता ने मोर्चा सम्भाल रखा था वहां की छत की दीवार उड़ गयी और श्री गुप्ता को अपना मोर्चा बदलना पड़ा। श्री गुप्ता ने, विचलित हुए बिना कड़ा मुकाबला किया और आतंकवादियों को उस स्थान से हिलने नहीं दिया जहां पर वे छिपे हुए थे।

उसके बाद, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों ने घर के अन्दर हथगोले फेंके। हथगोलों के फटने और विभिन्न हथियारों से गोलियां चलाये जाने के परिणामस्वरूप, घरेलू वस्तुओं में आग लग गई जिससे काफी धुंआ निकलने लगा। इस गर्मी और धुएं से, आतंकवादियों का घर के अन्दर बने रहना दूभर हो गया और उनमें से एक व्यक्ति, श्री दिनकर गुप्ता पर ए० के० 47 राईफल से दूर से गोलियां चलाता हुआ एक कमरे से बाहर निकल आया। श्री गुप्ता तैयार थे और इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा उन्होंने समय गंवाये बिना आतंकवादी पर गोली चलायी, जो बुरी तरह जख्मी हो गया और दहलीज के सामने नीचे गिर गया।

यह देखने पर श्री कंवलजीत सिंह तुरन्त दूसरी दिशा की तरफ गए और दरवाजे पर निगरानी रखी, जहां उन्होंने देखा कि दूसरा आतंकवादी दरवाजे की तरफ जा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। श्री कंवलजीत सिंह ने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और अपनी ए० के० 47 राईफल से दूसरे आतंकवादी पर गोली चलायी, जो दरवाजे के नजदीक गिर गया और मर गया। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिनकर गुप्ता, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक और कंवलजीत सिंह पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने, अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी बहादुरी के साथ आतंकवादियों की गोलियों और हथगोलों का मुकाबला किया और दो आतंकवादियों को मार गिराया।

तलाशी के दौरान, घटनास्थल से दो ए० के० 47 राईफल, दो मैगजीन, 80 सक्रिय कारतूस, साइनायड कैप्सूल, के० सी० एफ० (पंजवार) के 10 लैटर पैड और बारूद के दो थैले बरामद हुए। बाद में दो मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त जोगिन्दर सिंह उर्फ जिन्दू (के० सी० एफ० पंजवार का क्षेत्रीय कमांडर) और ओंकार सिंह उर्फ फौजा उर्फ मास्टर के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री कंवलजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 110-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बलबीर सिंह
पुलिस उप निरीक्षक,
तरन तारन ।

श्री गुरबचन सिंह,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
तरन तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 मई, 1992 को श्री खूबीराम, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) तरत तारन को गांव मुघल चाक और जन्डोक सारहाली में कट्टर उग्रवादियों के एक ग्रुप के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली । विश्वसनीय सूत्रों ने आगे सूचित किया कि उग्रवादी तरत तारत जिले में, शाम को एक बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं ।

श्री खूबीराम ने इस सूचना को पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, तरन तारन को तत्काल प्रेषित किया। उन्होंने नगर के थाना प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक गुरबचन सिंह, कस्बा पुलिस चौकी के प्रभारी तरत तारन उप निरीक्षक बलबीर सिंह और अन्य पुलिस कार्मिकों को थाना सदर, तरन तारन में एकत्र होने का आदेश दिया । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक को भी अपने बल को थाना सदर में लाने का निर्देश दिया गया । श्री खूबीराम के नेतृत्व में सभी पुलिस कार्मिक तत्काल गांव मुघल चाक की ओर गए । इसी बीच, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, तरन तारन, उस गांव में पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया । प्रारम्भ में यह निर्णय किया गया था कि गांव मुघल चाक और जन्डोका सारहाली के क्षेत्रों को घेर लिया जाए लेकिन श्री खूबी राम ने सुझाव दिया कि घेरने की योजना में काफी समय लगेगा और उग्रवादियों के भाग जाने की सम्भावनाएं होंगी क्योंकि उग्रवादियों को वहां पुलिस के पहुंचने की जानकारी हो जाएगी ।

श्री खूबीराम के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में कुछ ग्रामीणों से पूछ-ताछ की गयी । इसके परिणामस्वरूप इस बात का पता चला कि आधुनिक शस्त्रों और गोलाबारूद से लैस उग्रवादियों को, गांव मुघल चाक के ग्रामीणों ने, गांव के सरपंच के फार्म-हाऊस की तरफ जाते हुए देखा । पूरे बल को चार अलग-अलग टुकड़ियों में विभाजित किया गया । उप निरीक्षक गुरबचन सिंह और उप निरीक्षक बलबीर सिंह और अन्य कार्मिकों के साथ श्री खूबी राम को मुघल चाक से पट्टी रोड़ और नीचे के किनारे को घेरने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया क्योंकि यह उग्रवादियों के भागने का सम्भावित रास्ता था । दूसरी पुलिस पार्टी को पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय और पुलिस उप-अधीक्षक, लाईन के नेतृत्व में, गांव – मरे अरूल और जन्डोक सारहाली के साथ के फार्म-हाऊसों को घेरने के लिए तैनात किया गया । जब बल फार्म-हाऊसों और नाले के किनारों की घेराबन्दी कर रहे थे तो पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में उग्रवादियों को पता लग गया । वे नाले की तरफ दौड़े । श्री खूबी राम के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने भाग रहे उग्रवादियों को ललकारा लेकिन उन्होंने नाले के ऊंचे किनारों की तरफ जाकर वहां मोर्चा सम्भाला और पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस पार्टी के साथ श्री खूबी राम नीचे लेट गए और उप निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह को पीछे की तरफ से उग्रवादियों को घेरने का निर्देश दिया । सर्वश्री बलबीर सिंह और गुरबचन सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उस स्थान की तरफ दौड़े । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के दौरान, एक उग्रवादी गोली लगने से जख्मी हो गया और उग्रवादी नाले के किनारों की आड़ में नाले के पुल की तरफ दौड़े । उन्होंने पुल के खम्भों के पीछे मोर्चा सम्भाला और पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलायी । सर्वश्री बलबीर सिंह और गुरबचन सिंह ने उग्रवादियों का पीछा किया ।

श्री खूबी राम और उसकी पार्टी खुले मैदान में थी और उग्रवादियों की मार के भीतर थे । उग्रवादियों ने श्री खूबी राम की पार्टी पर हथगोले फेंके लेकिन वे बाल-बाल बच गए । उसके बाद श्री खूबी राम ने अपनी पार्टी के कार्मिकों को खाईयों में मोर्चा सम्भालने का निर्देश दिया । जब उग्रवादी श्री खूबी राम की पार्टी से लड़ रहे थे तो, उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप निरीक्षक गुरबचन सिंह रेंगते हुए गए और आतंकवादियों के पीछे की ओर मोर्चा सम्भाला और उन पर गोलियां चलायीं । जब उग्रवादियों का ध्यान उनकी गोलीबारी की ओर केन्द्रित था तो श्री खूबी राम ने तेजी से, उग्रवादियों पर हथगोले फेंके और उसकी पार्टी ने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की । उसके बाद, श्री खूबी राम ने एक एल० एम० जी० ली और उग्रवादियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की । श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक, उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह द्वारा उग्रवादियों पर की गयी इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप, उग्रवादी अधिक समय तक नहीं लड़ सके और घटनास्थल पर ही मारे गए । तलाशी के दौरान उग्रवादियों के 2 शव, बरामद किए गए, जिनमें से एक की शिनाख्त बलदेव सिंह उर्फ गद्दर के रूप में की गयी लेकिन दूसरे की पहचान नहीं हो सकी । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 2 ए० के०-47 राईफल, ए०के०-47 की दो मेगजीनें, 36एच०ई०-36 हथगोले, 6 स्टिकी बम और ए०के०-47 के 85 खाली कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बलबीर सिंह, पुलिस उप निरीक्षक और गुरबचन सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 111-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकार का नाम और पद

श्री बलदेव सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना—सुनाम,
पंजाब ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 6 अगस्त, 1991 को उप-निरीक्षक बलदेव सिंह, थाना प्रभारी, थाना—सुनाम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शेरों थाना—लोंगोवाल, के गुरजन्त सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाऊस में कुछ सशस्त्र आतंकवादी छिपे हुए हैं । वे तुरन्त उपलब्ध बल सहित कथित फार्म हाऊस की ओर रवाना हो गए । दल को चार टुकड़ियों में विभाजित कर दिया गया और उन्हें फार्म-हाऊस के चारों ओर तैनात कर दिया गया ।

उप-निरीक्षक बलदेव सिंह ने तब आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परन्तु आतंकवादियों ने अपने स्वचालित शस्त्रों से पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री बलदेव सिंह ने पुलिस दलों को मोर्चा संभालने और आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया । लगभग आधे घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं उसके बाद ए० के० 47 असाल्ट राईफल से लैस एक आतंकवादी एक कमरे से बाहर निकला और श्री बलदेव सिंह और एक कान्सटेबल पर काफी कम दूरी से एक गोली चलाई, परन्तु वे चमत्कारी ढंग से बच गए । वे एक दम नीचे झुक गए और उन्होंने मिट्टी के टीले के पीछे मोर्चा ले लिया । गोलियों का सामना करते हुए श्री बलदेव सिंह ने एक शक्तिशाली बौछार की जो आतंकवादी को लगी । श्री बलदेव सिंह द्वारा की गई गोलीबारी के फलस्वरूप आतंकवादी नीचे गिर गया और वहीं मर गया ।

तत्पश्चात्, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और निकट के पुलिस थानों को वायरलैस के माध्यम से मुठभेड़ के बारे में सूचना दी और कुमुक भेजने के लिए कहा । श्री आर० पी० मीणा, पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर), अपर-पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप-अधीक्षक, सुनाम, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक, अपने बल सहित घटना स्थल पर पहुंच गए ।

मुठभेड़ स्थल पर पहुंचने पर श्री आर० पी० मीणा ने अभियान की कमाण्ड अपने हाथ में ले ली और पुलिस बल को छतों के ऊपर तैनात कर दिया और लाऊडस्पीकर पर आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । उसके बाद फार्म-हाऊस के कमरे में हथगोले फैंके गए जिसके परिणामस्वरूप 7.62 की राईफल से लैस एक अन्य आतंकवादी पहली घेराबन्दी की ओर गोलियां चलाता हुआ बाहर आया, जो कि श्री आर० पी० मीणा द्वारा चलाई गई गोलियों से मारा गया ।

इस बीच, अपने बल और अश्रुगैस दस्ते के साथ, संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 23वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट, घटना स्थल पर पहुंच गए और संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अभियान की कमाण्ड अपने हाथ में ले ली । एक बार फिर लाऊडस्पीकर के द्वारा आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया जिसका कोई असर नहीं हुआ । जिन कमरों से आतंकवादी गोली चला रहे थे उन कमरों की छतों में छेद किए गए और कमरों में अश्रुगैस के गोले फैंके गए । .303 राईफल के साथ एक अन्य आतंकवादी बाहर निकल आया और उसने श्री आर० पी० मीणा पर गोली चलानी आरम्भ कर दी । छत पर मौजूद श्री मीणा और एक अन्य अधिकारी ने एक साथ गोलियों की बौछार की और उस आतंकवादी को मार डाला । उसके बाद यह देखा गया कि फार्म-हाऊस के एक अन्य कमरे से अभी भी गोलियां चलायी जा रही थीं । संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, इस कमरे की पिछली दीवार को एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद से तोड़ दिया गया । इस कार्रवाही के बाद .12 बोर की बन्दूक लिए एक और आतंकवादी बाहर निकल कर आया और उसने छत पर मौजूद पुलिस दलों पर गोलियां चलायीं । पुलिस दलों ने जवाबी गोलीबारी की और उस आतंकवादी को भी मार डाला ।

घेरा डालने की प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था के दौरान ए० के० 47 राईफल से लैस एक आतंकवादी, जो दोनों ओर से गोलियां चलने के कारण घायल हो गया था, बच कर खेतों की दिशा में भाग गया । उस आतंकवादी को तलाश करने के लिए पुलिस दलों को तैनात किया गया, और अगले दिन प्रातः उस आतंकवादी का शव पाया गया ।

इस मुठभेड़ में कुल मिला कर पांच आतंकवादी मारे गए जिनकी पहचान (1) सुरजीत सिंह उर्फ सीतल, (2) दर्शन सिंह (3) जसविंदर सिंह उर्फ भीला (4) इस आतंकवादी की पहचान नहीं की जा सकी, (5) परगट सिंह के रूप में की गई । तलाशी के दौरान, एक ए० के० 47 असाल्ट राईफल, एक 7.62 राईफल, एक .303 राईफल, एक .12 बोर की डी० बी० बी० एल० बन्दूक, छीने गए दो स्कूटर और भारी मात्रा में अप्रयुक्त/प्रयुक्त कारतूस मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री बलदेव सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 112-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री नागौर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस थाना-माखू ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

13-12-1991 को एक गुप्त सूचना के आधार पर जीरा पुलिस थाने के सहायक उप-निरीक्षक अपने साथ पुलिस बल को लेकर, बूतर रोशन शाह गांव में गन्ने के खेतों की तलाशी लेने जा रहे थे, जहां कि कुछ उग्रवादी, अपराध करने के बाद छिपे हुए थे। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी की बुलेट प्रूफ जिप्सियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस पर, पुलिस कार्मिकों ने मोर्चा सम्भाला और आत्म रक्षा के लिए जवाब में गोलियां चलाईं । चूंकि गन्ने का खेत बहुत बड़ा था, इसलिए घटना स्थल पर पहुंचने के लिए दूसरी यूनिटों को वायरलैस संदेश भेजा गया ।

तत्काल सेना की एक ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच गई । बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के कुछ और बलों की भी घटना स्थल पर बुला लिया गया । सेना और अर्ध-सैनिक बलों ने समूचे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। इसी बीच जीरा के सी० आई०-ए० निरीक्षक भी अपने बल और बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों को लेकर थाल खुर्द, धरम कोटा, जीरा और मल्लन वाला से, घटना स्थल पर पहुंच गए। एक ट्रैक्टर में 4-5 कार्मिकों के हिसाब से, तीन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों को अलग-अलग गन्ने के खेतों में तलाशी लेने का निर्देश दे दिया गया ।

जब श्री नायर सिंह का ट्रेक्टर गन्ने के खेतों से बाहर निकल-कर "तोरिया" के खेतों की तरफ आ रहा था तो दो उग्रवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोली बारी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरूप उप-निरीक्षक नागौर सिंह और विशेष पुलिस अधिकारी काबल सिंह जख्मी हो गए । जख्मी होने के बावजूद उप-निरीक्षक नागौर सिंह ने साहसपूर्वक तत्काल कार्रवाई की और अपनी एस० एल० आर० से उग्रवादियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी जख्मी हो गए और गन्ने के खेत में घुस गए । उसके बाद उप-निरीक्षक नागौर सिंह और विशेष पुलिस अधिकारी काबल सिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल, जीरा ले जाया गया । शेष दो बुलेट प्रूफ ट्रेक्टरों ने तलाशी अभियान जारी रखा और इस दौरान उन्हें उग्रवादियों के दो शव मिले । मारे गए उग्रवादियों की बाज सिंह और मेजर सिंह के रूप में शिनाख्त की गई । वे दोनों, कपूर-थला और फिरोजपुर जिलों में लगभग 50 हत्याओं, धन ऐंठने और अपहरण के मामलों में संलिप्त थे ।

इस मुठभेड़ में श्री नागौर सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 113-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रतन लाल मूंगा
पुलिस उप-अधीक्षक
अमृतसर

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22-5-1992 को अमृतसर के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को अमृतसर के शहरी क्षेत्र में कट्टर आतंकवादियों की गति-विधियों की सूचना मिली जो आतंक पैदा करने के उद्देश्य से सनसनीखेज अपराध करने की योजना बना रहे थे । उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामरिक महत्व के स्थलों पर विशेष

नाकेबंदी करने का आदेश दिया। श्री रतन लाल मुंगा, उप-अधीक्षक अपने गनमैनों सहित अल्हम बूटा मार्केट में विशेष नाकेबंदी ड्यूटी पर थे। लगभग 2.15 बजे अपराह्न, एक लाल रंग की यामाहा मोटर साईकिल पर सवार, तीन संदिग्ध आतंकवादी चौक पराग दास की तरफ से सराय गुरु राम दास की तरफ आते देखे गये। श्री मुंगा ने उन्हें रुकने का इशारा किया किन्तु आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर माउजर से फायरिंग कर दी और एक स्टिक बम भी फैंका जिससे श्री मुंगा, एक कांस्टेबल, एक ड्राईवर गंभीररूप से जख्मी हो गए। जख्मों की परवाह न करते हुए तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान किए बिना, श्री मुंगा ने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए। तथापि तीसरा आतंकवादी भागने में सफल हो गया। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थल से 2 माउजर, एक स्टिक बम, 9 बिना चले कारतूस और एक यामाहा मोटर साईकिल बरामद की गई। मारे गए उग्रवादियों की, हरविन्दर जीत सिंह और मनदीप सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। उनका संबंध बब्बर खालसा से था और वे अमृतसर शहर में हुए बहुत से बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार थे।

इस मुठभेड़ में श्री रतन लाल मुंगा, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 114-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री इकबाल प्रीत सिंह सहोता,
पुलिस सहायक अधीक्षक,
मालेरकोटला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

25 जून, 1991 को लगभग 6.45 बजे सायं पर मालेरकोटला पुलिस स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई कि मालेरकोटला जर्ग रोड़ पर गांव-बुंगा में निर्मल सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस में स्वचालित एसाल्ट राईफलों से लैस दो उग्रवादी छिपे हुए हैं। श्री इकबाल प्रीत सिंह सहोता, पुलिस सहायक अधीक्षक, मालेरकोटला ने थाना मालेरकोटला के एस० एच० ओ०, अमरगढ़ के एस० एच० ओ० और सीमा सुरक्षा बल की इकाई को मालेरकोटला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में, तत्काल एकत्र होने का निर्देश दिया। वहां पहुंचने पर, उन्होंने पुलिस/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को जानकारी दी।

उसके बाद श्री सहोता बल के साथ गांव—बुंगा पहुंचे और फार्म-हाऊस को दो दिशाओं से युक्तिपूर्वक घेर लिया। बल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया गया और उन्हें फार्म हाऊस के दोनों तरफ तैनात किया गया। श्री सहोता के नेतृत्व में पुलिस कार्मिकों के एक ग्रुप ने, जिन कमरों में आतंकवादी छिपे हुए थे उन कमरों के सामने की छत पर मोर्चा संभाला। श्री विधि चन्द, उप-निरीक्षक के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के दूसरे ग्रुप ने फार्म हाऊस की दीवार में सामने की ओर के खुले भाग में एक कोणीय स्थल पर बुलेट प्रूफ वाहन में मोर्चा लिया। सी० सु० बल की तीसरी टुकड़ी ने फार्म हाऊस के पिछली ओर मोर्चा संभाला/ स्थिति का जायजा लेने के बाद, श्री सहोता ने आतंकवादियों को ललकारा और वहां रह रहे लोगों को आत्म-समर्पण करने के लिए कहा। निर्मल सिंह का परिवार हाथ खड़े करके बाहर आ गया लेकिन आतंकवादियों ने आत्म-समर्पण नहीं किया। आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मकान के सामने मोर्चा संभाले, श्री सहोता, आतंकवादियों द्वारा की गयी गोलीबारी की पहली बौछार में बाल-बाल बचे। उसके बाद उन्होंने अपने कमान्डर के अधीन बल को, आतंकवादियों पर सभी दिशाओं से गोलीबारी करने का निर्देश दिया। लगभग 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही। उसके बाद श्री सहोता ने मुठभेड़ के बारे में संगरूर मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संगरूर, अश्रुगैस दस्ते के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने लाऊड स्पीकरों से आतंकवादियों को पुनः आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इसका जवाब गोलियों से दिया। कुछ समय बाद, एक पुलिस पार्टी फार्म-हाऊस की छत पर पहुंची और घर की छत में छेद करके अश्रुगैस के गोले और एच० ई०-36 हथगोले अन्दर फैंके। इस पर घरेलू सामान में आग लग गई और एक आतंकवादी बाहर आया तथा उसने श्री सहोता की पार्टी और सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री सहोता ने अपनी ए० के०-47 राईफल और विधि चन्द, उप-निरीक्षक ने अपनी स्टेनगन से जवाबी गोलीबारी की और अन्य पुलिस पार्टियों ने आतंकवादियों पर अपनी एल० एम० जी० से गोलियां चलायीं। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी मारा गया। उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी। तलाशी के दौरान एक उग्रवादी का शव फार्म के आंगन से बरामद हुआ। और दूसरा शव गिरी हुई छत के मलबे में दबा पाया गया। तलाशी के दौरान फार्म-हाऊस के कमरों से एक ड्रम मैगजीन के साथ 2 ए०के०-47 राईफलें, ए० के०-

47 के 50 सक्रिय कारतूसों के साथ एक 9 एम० एम० पिस्तौल, तीन मैगजीनें और एक स्कूटर बरामद हुआ। मृत आतंकवादियों की शिनाख्त जगरूप सिंह और जगजीत सिंह के रूप में की गयी जो, डी० एम० मंगत, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्री ओ० पी० मल्होत्रा पर लुधियाना में, श्री सुबोध कान्त सहाय, भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री पर जानलेवा आक्रमण करने की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त थे और निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए भी जिम्मेवार थे।

इस मुठभेड़ में श्री आई० पी० एस० सहोता, पुलिस सहायक अधीक्षक के अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25, जून, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 113-प्रेज/94--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री संजीव कालरा,
सहायक पुलिस अधीक्षक,
तरण-तारण।

श्री बलकार सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
तरण-तारण।

श्री रमेश चन्दर,
कांस्टेबल,
तरण-तारण।

श्री कमलजीत राय,
कांस्टेबल,
तरण-तारण।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

गांव लालपुरा के एक फार्म-हाउस में उग्रवादियों के एक दल के छिपे होने के बारे में दिनांक 10 अप्रैल, 1992 को तरण-तारण के पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) श्री खूबी राम को सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने श्री संजीव कालरा, सहायक पुलिस अधीक्षक, तरण-तारण, और उप-निरीक्षक बलकार सिंह, थाना प्रभारी सदर, तरण-तारण को उनके कार्मिकों सहित जल्दी से उस जगह पहुंचने का निर्देश दिया।

वहां पहुंचने पर, श्री खूबी राम ने स्थिति का जायजा लिया और अलग-अलग पुलिस दल बनाए। श्री कालरा और उप-निरीक्षक बलकार सिंह को लालपुरा, बराना और धोतियां गांवों के खेतों के चारों ओर बड़ा घेरा डालने का निर्देश दिया गया। श्री खूबी राम ने उन्हें एक-एक कदम आगे बढ़ते हुए घेरे को छोटा करने का निर्देश दिया। इसी बीच, उग्रवादियों ने पुलिस दल को देख लिया। उन्होंने तुरन्त एक ट्रैक्टर लिया और किसानों की वेशभूषा में घेरे से तुरन्त भाग निकलने का प्रयास किया। श्री खूबी राम ने देखा कि उग्रवादी पुलिस को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुरन्त श्री कालरा को निर्देश दिया कि वे अपने बल के साथ ट्रैक्टर को रोकें और ट्रैक्टर में सवार व्यक्तियों की जांच करें।

श्री कालरा अपने दल सहित उस कच्चे मार्ग की ओर बढ़े जिस पर ट्रैक्टर आ रहा था। उग्रवादियों ने पुलिस दल को देख लिया और वे ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर गेहूं के खेतों में घुस गये। उस विशिष्ट खेत के चारों तरफ कड़ा घेरा डाल दिया गया और श्री खूबी राम के नेतृत्वाधीन एक पुलिस दल ने खेत की तलाशी लेनी आरम्भ कर दी। जब पुलिस दल उग्रवादियों के निकट पहुंचा तो उन्होंने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री खूबी राम, श्री संजीव कालरा तथा उप-निरीक्षक बलकार सिंह और उनके बन्दूक धारियों ने खेतों में लेट कर मोर्चा संभाल लिया। श्री खूबी राम ने तब श्री कालरा और उप-निरीक्षक बलकार सिंह को दाईं ओर बाईं ओर से खेत का घेरा डालने का निर्देश दिया और पुलिस दल को यह निर्देश भी दिया कि वे उनके आदेश के बिना गोली न चलायें ताकि बल के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना न हो। श्री खूबी राम अपने बन्दूक धारियों सहित रेंगते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े और पुलिस दल पर बहुत कम दूरी से गोली चला रहे उग्रवादी पर गोली चलाई। जब दम तोड़ता हुआ उग्रवादी बहुत जोर से चिल्लाया तो उसके दो साथियों ने भी अपने स्थान से बच कर भागने का प्रयास किया। जब वे बच कर भागने का प्रयास कर रहे थे तो श्री कालरा ने भागते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं। श्री खूबी राम और उप-निरीक्षक बलकार सिंह ने भी भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और काफी कम दूरी से उन पर गोलियां चला कर उन दोनों को घटना स्थल पर ही मार डाला।

इसी बीच आतंकवादियों के एक अन्य दल ने, जो पास के खेतों में छिपा हुआ था, गोली चलने की आवाज सुनी तो वे समझे कि पुलिस उन पर गोलियां चला रही है। उन्होंने भी पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। तब श्री खूबी राम ने उग्रवादियों के शवों की निगरानी करने के लिए कुछ पुलिस कार्मिकों को तैनात किया तथा वे स्वयं अपने बन्दूक धारियों के साथ उस दिशा में तुरन्त बढ़े जिधर से गोलियां चल रही थीं। उन्होंने श्री कालरा

और उप-निरीक्षक बलकार सिंह को अपने बल सहित खेत का घेरा डालने का निर्देश दिया । खेत का घेरा डालने के बाद, पुलिस दलों ने श्री खूबी राम के निदेशानुसार उग्रवादियों पर भीषण जवाबी गोलीबारी की, परन्तु उग्रवादियों की ओर से गोली चलती रहीं । तब श्री खूबी राम और संजीव कालरा ने अपने दो बन्दूक धारियों को रेंगते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़ने का निर्देश दिया । सर्वश्री रमेश चन्दर और कमलजीत राय कांस्टेबलों (बन्दूकधारी) ने उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़ना शुरू किया और काफी कम दूरी से उन पर गोली चलाई परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दलों पर गोलियां चलाना जारी रखा । सर्वश्री रमेश चन्दर और कमलजीत राय ने देखा कि उग्रवादी एक खाई में छिपे हैं तथा पुलिस दलों की गोलियां उनको नहीं लग रही हैं तो उन्होंने श्री खूबी राम को उग्रवादियों के मोर्चे के बारे में बताया । तब श्री खूबी राम ने श्री कालरा को फार्म हाउस की छत पर चढ़ने का निर्देश दिया । श्री कालरा और श्री कमलजीत राय छत पर चढ़े और लेट कर मोर्चा संभाला। इसी बीच, श्री खूबी राम, उप-निरीक्षक बलकार और कांस्टेबल रमेश चन्दर खेत में पानी ले जाने वाली माली से होते हुए उग्रवादियों के मोर्चे तक पहुंच गए । तब श्री खूबी राम ने वायरलैस द्वारा श्री कालरा को उग्रवादियों पर गोली चलाने का निर्देश दिया । श्री कालरा और कांस्टेबल कमलजीत राय द्वारा चलाई गई गोलियां उग्रवादियों को लगीं और वे खाई से बाहर आ गए । इस पर, श्री खूबी राम, उप-निरीक्षक बलकार सिंह और कांस्टेबल कमलजीत राय ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं और उन दोनों को मार डाला ।

इस मुठभेड़ में कुल पांच उग्रवादी मारे गये, जिनकी पहचान (1) हरभजन सिंह उर्फ भाजा उर्फ सायमाईड, (2) बलविंदर सिंह, (3) मुख्तियार सिंह, (4) जोधा सिंह और (5) राम सिंह के रूप में की गई । तलाशी लेने पर मुठभेड़ स्थल से एक जी० पी० एम० जी०, 2 ए०के०-47 राईफलें, एक 30 बोर की राईफल, एक एस० बी० बी० एल० बन्दूक, जी० पी० एम० जी० की दो मेगजीनें, ए० के०-47 राईफल की दो मैगजीनें तथा 140 कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री संजीव कालरा, सहायक पुलिस अधीक्षक, बलकार सिंह, उप-निरीक्षक, रमेश चन्दर, कांस्टेबल राय, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 116-प्रेम 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम :

श्री सुखदेव सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला—भटिंडा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 15 जून, 1992 को श्री सुखदेव सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, कुल, गांव लेहरा महोबत और चकबक्तू के बीच स्थित डेरों और ट्यूबवैलों की तलाशी का अभियान चला रहे थे । करीब 12.30 बजे (अपराह्न) श्री सुखदेव सिंह ने दो मोटर साईकिलों पर सवार चार युवकों को गांव चक बक्तू की ओर आते देखा । उन्होंने अपने साथियों को मोर्चा ले लेने का आदेश दिया, और घात लगा कर बैठ गए । जैसे ही वे उस स्थान के निकट पहुंचे जहां घात लगाई गई थी, उन्हें रूक जाने का संकेत दिया गया । पुलिस को देखकर, संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी मोटर साईकिलें रोक कर मोर्चे के लिए और उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । श्री सुखदेव सिंह ने अपने साथियों को आत्म सुरक्षा में जवाबी गोली-बारी करने का आदेश दिया। पुलिस दल की ओर से दबाव पड़ते देखकर उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए गांव लेहरा महोबत की ओर बचकर भाग जाने का प्रयास किया । श्री सुखदेव सिंह और उनके साथियों ने उनका पीछा किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाते हुए भागना जारी रखा । पुलिस दल ने लगभग एक कि० मी० तक उनका पीछा किया और उनके करीब आ गए, परन्तु पुलिस दल उन पर गोलियां चलाना जारी रखते हुए लगातार उन्हें ललकारता रहा । उग्रवादियों ने दर्शन सिंह नामक एक व्यक्ति के ट्यूबवैल के पास मोर्चा ले लिया और पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । पुलिस दल ने भी मोर्चे संभाल लिए, और एक कड़ी मुठभेड़ हुई । श्री सुखदेव सिंह ने सूझबूझ पूर्वक और युक्तिपूर्ण ढंग से मुठभेड़ का नेतृत्व किया और अपने कार्मिकों को निर्देश दिए । मुठभेड़ एक घंटे तक चली, उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गई उस क्षेत्र की घेराबंदी की गई और तलाशी ली गई । गोलियों से छलनी तीन आतंकवादियों के शव बरामद किए गए जबकि चौथा आतंकवादी बच कर भाग निकलने में सफल हो गया । श्री सुखदेव सिंह ने समीप के सभी पुलिस थानों को तुरन्त इस आशय का संदेश दे दिया कि वे बच कर भाग निकले आतंकवादी का पता लगाने के लिए पुलिस दल रवाना कर दें । इस संदेश का सकारात्मक परिणाम निकला और पुलिस दलों ने उग्रवादी का पता लगा लिया और उसे एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गांव राजगढ़ कुबाई, थाना—मौर, में मार गिराया । मृत आतंकवादियों की

पहुंचाना आदि में दर्शन सिंह (के० सी० एफ० पंजवार गिरोह का एक सुविख्यात खूंखार आतंकवादी और स्वयं-भू लै० जनरल), हरविंदर सिंह (के० सी० एफ० पंवार गिरोह का स्वयं-भू एरिया कमांडर), जसवीर सिंह और सुखविन्दर सिंह उर्फ फौजी के रूप में की गई। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थलों से 4 ए० के०—47 राईफलें, की 6 मैगजीनें, जिलोटिन की एक छड़ (विस्फोटक सामग्री), 220 अनप्रयुक्त कारतूस तथा दो मोटर साईकिलें बरामद हुईं।

इस मुठभेड़ में श्री सुखदेव सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 117-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गुरनाम सिंह,
पुलिस उपाधिक्षक,
(गुप्तचर), पटियाला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 25 जून, 1992 को 10.00 बजे प्रातः एस० एस० पी०, पटियाला, के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की एक अन्तर राज्यीय बैठक निर्धारित की गई थी। चूंकि पटियाला शहर में आतंकवादियों के होने के बारे में निश्चित सूचना मिली थी, अतः वहां की गहन तलाशी लेने और छानबीन करने के आदेश दिए गए थे। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच करने के लिए सामरिक महत्व के स्थानों पर नाकाबंदी की गई थी। श्री गुरनाम सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (गुप्तचर) को नाकाओं की जांच करने और अन्य सुरक्षा प्रबन्धों की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। करीब 10.30 बजे, श्री गुरनाम सिंह अपने मार्गरक्षी दल के साथ आयुर्वेदिक कालिज स्थित 'नाका' की जांच करके आ रहे थे। जब वे कालिज से आगे वाले चौराहे पर पहुंचे, तो उन्होंने गांव मायना को जोड़ने वाली सड़क पर एक स्कूटर सवार को आते देखा और उसे रुकने का संकेत दिया। परन्तु रुकने की बजाए वह स्कूटर तेज चला कर वहां से भाग गया। श्री गुरनाम सिंह ने पीछे से आती हुई एक मारुति कार को रोका, और अपने मार्गरक्षी दल के आधे हिस्से के साथ स्कूटर वाले का पीछा किया। उन्होंने स्वयं कार चलाई और शेष मार्गरक्षी दल को सरकारी वाहन में दूसरी दिशा से स्कूटर का पीछा करने का निर्देश दिया। श्री गुलाम सिंह ने वायरलैस द्वारा शहर के सभी नाका दलों को स्कूटर सवार को गिरफ्तार करने के लिए सतर्क कर दिया।

जब श्री गुरनाम सिंह, स्कूटर सवार का पीछा करते हुए वाई० पी० एस० चौक के निकट पहुंचे तो स्कूटर सवार ने स्कूटर की गति धीमी की और अपनी ए० के०—47 राईफल निकाल कर पीछा करने वाले पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दिया। पुलिस दल ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोली-बारी की। जब आतंकवादी ने गोलियां चलाना बन्द नहीं किया तो उसे मारुति कार से टक्कर मारी गई। इस प्रक्रिया में स्कूटर चालक, स्कूटर से नीचे गिर गया और घायल हो गया। उसकी राईफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। श्री गुरनाम सिंह कार से नीचे उतरे और घायल आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए अपने साथियों सहित रेंगते हुए उसके निकट पहुंचने की कोशिश की। श्री गुरनाम सिंह रेंगते हुए आगे बढ़े और पीछे से जाकर आतंकवादी की राईफल उठा ली। जब श्री गुरनाम सिंह ने आतंकवादी को नीचे से उठाने का प्रयास किया तो अचानक वह श्री गुरनाम सिंह के साथ जूझ पड़ा और उसने राईफल छीनने का भी प्रयास किया। चूंकि आतंकवादी अच्छे डील-डौल वाला था, अतः श्री गुरनाम सिंह ने बुद्धिमता का परिचय देते हुए राईफल की मैगजीन निकाल दी जबकि अन्य पुलिस कार्मिकों ने आतंकवादी पर काबू पा लिया। उसे तुरन्त अस्पताल ले जाया गया परन्तु घावों के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृत आतंकवादी की बाद में हरभजन सिंह उर्फ भंड के रूप में शिनाख्त की गई। आतंकवादी को मारुति कार से टक्कर मारने और उसके साथ जूझने की प्रक्रिया में श्री गुरनाम सिंह की भी टांग, जांघ, बाएं हाथ और छाती में चोटें लग गईं।

इस मुठभेड़ में श्री गुरनाम सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 118-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों का नाम और पद

श्री गुरभिन्दर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
थाना—मजीठा ।

श्री सतिन्दर सिंह,
कांस्टेबल,
थाना—मजीठा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके के लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 24 सितम्बर, 1992 को थाना-मजीठा के थाना प्रभारी उप-निरीक्षक गुरभिन्दर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल गांव स्टेरीविड क्षेत्र में संदिग्ध फार्म-हाउसों में असामाजिक तत्वों की खोज करने और छापे मारने के लिए तैनात था । श्री गुरभिन्दर सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार उग्रवादी गुरजीत सिंह अपने साथियों सहित गांव भैनी लिधार के गुरूद्वारे में एक सभा कर रहा है तथा वह कुछ बड़े अपराध कर सकता है । सूचना प्राप्त होने पर, कथित गांव में उग्रवादियों के छिपने के स्थानों को घेरने के लिए श्री गुरभिन्दर सिंह के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस दल बनाए गए । श्री गुरभिन्दर सिंह पुलिस दल के साथ गुरूद्वारे में छापा मारने के लिए आगे बढ़ा परन्तु पुलिस दल को देखने पर कमरों में छिपे उग्रवादियों ने पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी करनी शुरू कर दी । श्री गुरभिन्दर सिंह ने एक छोटी टुकड़ी के साथ सामरिक मोर्चा संभाला और आत्म सुरक्षा के जवाबी गोलीबारी की । साथ ही उन्होंने वायरलैस से घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया । घनी आबादी का लाभ उठाते हुए उग्रवादियों ने गुरूद्वारे की दीवार लांघी और नजदीक के घरों में घुस गए । दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही । इसी बीच मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पुलिस बल सहित वहां पहुंच गए और गांव के चारों ओर डाले गए घेरे को और मजबूत कर दिया ।

जब श्री सतिन्दर सिंह उग्रवादियों की ओर बढ़े तो उन पर स्वचालित हथियारों से भीषण गोलीबारी की गई । फलस्वरूप, वे गम्भीर रूप से घायल हो गए । बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गोलियां चलाई और उग्रवादियों को भागने नहीं दिया । उग्रवादियों ने लांस कांस्टेबल सतिन्दर सिंह पर भारी गोलीबारी की । घायल सतिन्दर सिंह को बाहर निकालने में पुलिस दल को काफी कठिनाई महसूस हो रही थी । श्री गुरभिन्दर सिंह अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना समीप की दीवार पर चढ़े और भीषण गोलीबारी के बीच घायल कांस्टेबल सतिन्दर सिंह को बाहर निकाल लाए, । परन्तु अस्पताल ले जाते समय अधिक घायल होने के कारण श्री सतिन्दर सिंह की मृत्यु हो गई ।

मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत उप-निरीक्षक गुरविन्दर सिंह और उसके दल ने दृढ़ निश्चय के साथ उग्रवादियों पर जवाबी गोली-बारी की । उग्रवादियों पर हथगोले भी फैंके गए । लगभग दो घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही । तत्पश्चात उग्रवादियों की ओर से गोलीगारी रुक गई । तलाशी के दौरान चार उग्रवादियों के शव बरामद किए गए जिनकी शिनाख्त सुरजीत सिंह (स्वयं-भू ले० जनरल बब्बर) अशोक कुमार उर्फ बिल्ला, हरपीत सिंह उर्फ लाली और रंजीत सिंह राणा के रूप में की गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 1 एस० एल० आर०, 1 ए० के०-47 राईफल एक .303 राईफल, एक .455 बोर का रिवाल्वर तथा बड़ी मात्रा में विभिन्न बोर वाले कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री गुरभिन्दर सिंह, उप-निरीक्षक, तथा श्री सतिन्दर सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष वीरता भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 119-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी की उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सतनाम सिंह,
हैड-कांस्टेबल,
तरन-तारन ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 7-4-1992 को, श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन-तारन, को सूचना मिली कि खूंखार उग्रवादियों का एक गिरोह गांव खोजकीपुर, थाना-वीरोवाल, के क्षेत्र में सक्रिय है । उन्होंने पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), तरन-तारन, थाना प्रभारी, थाना वीरोवाल और पुलिस की अन्य टुकड़ियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र का घेरा डालें और उस क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी लें।

इस बीच, श्री अजीत सिंह ने दूसरी बटालियन, डोगरा रेजिमेंट, फतेहाबाद, के कमांडिंग आफिसर, कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, फतेहाबाद और पुलिस उप-अधीक्षक, गोइन्डवाल साहिब, से सम्पर्क स्थापित किया और स्थिति से अवगत कराया। ये सभी अधिकारी अपने-अपने बल सहित घटना स्थल पर पहुंच गए। श्री अजीत सिंह सिंह ने गांव खोजकीपुर के बलविंदर सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस का निरीक्षण किया। इस बीच, उन्हें पता लगा कि बलविंदर सिंह के फार्म हाउस में एक बंकर बना हुआ है जिसमें अत्याधुनिक शस्त्रों सहित एक सशस्त्र उग्रवादी छिपा हुआ है।

श्री अजीत सिंह ने बल को विभिन्न दलों में विभाजित कर दिया और उन्हें फार्म हाउस की विभिन्न दिशाओं में भेज दिया। श्री अजीत सिंह के नेतृत्व वाला दल एक बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर पर सवार होकर फार्म हाउस की दिशा में आगे बढ़ा और उन्होंने उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा, परन्तु उग्रवादियों ने इसकी परवाह नहीं की। तब श्री अजीत सिंह, अपने बन्दूकधारी, हैड कांस्टेबल सतनाम सिंह सहित ट्रेक्टर से नीचे उतरे और फार्म हाउस की रसोई की छोटी दीवार के पीछे मोर्चा ले लिया। उन्होंने उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने के लिए दोबारा से ललकारा परन्तु पुलिस कार्मिकों को देखते ही उग्रवादियों ने सर्व/श्री अजीत सिंह और सतनाम सिंह, पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस बल ने भी अपने सर्विस शस्त्रों से जवाबी गोलियां चलायी। इसके बाद श्री अजीत सिंह और हैड कांस्टेबल सतनाम सिंह ने उनके छिपने के स्थान पर हथगोले फेंके। हथगोले बंकर के छेद में से होकर अंदर गिरे और कुछ क्षणों के बाद हथगोले फट गए। बंकर में अत्यधिक धुंए और घुटन के कारण उग्रवादी बंकर से बाहर आने पर मजबूर हो गया। वह बाहर निकला और उसने रेंग कर भागने की कोशिश की, पुलिस दलों ने भाग रहे आतंकवादी पर गोलियां चलाई। श्री अजीत सिंह, सतनाम सिंह हैड कांस्टेबल और अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के कारण भाग रहे आतंकवादी ने पशुओं का चारा रखने के एक स्थान के निकट मोर्चा संभाला और पुलिस दलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। चूंकि पुलिस बलों द्वारा की गई गोलीबारी प्रभावकारी सिद्ध हो रही थी अतः एक अग्रिम दल भेजने का निर्णय लिया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 36वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में नायक रघुबीर सिंह, लांस/नायक सुरेन्दर सिंह तथा छह अन्य कार्मिकों का एक दल बनाया गया और उसे आतंकवादी के समीप जाने और उसको समाप्त करने के लिए कहा गया। यह दल सम्पूर्ण स्थिति का तेजी से जायजा लेकर और इसके बाद निर्धारित रणनीति के अनुसार, अत्यधिक साहस के साथ और जोखिम की परवाह किए बगैर, आतंकवादियों की ओर बढ़ा; जबकि नायक रघुबीर सिंह और लांस नायक सुरेन्द्र सिंह ने, जो दल की अग्रिम पंक्ति में थे, गोली चलाओ और आगे बढ़ो, रणनीति अपनाई और सारे समय आतंकवादी की ओर गोली चलाते हुए फार्म हाउस की दिशा में बढ़ते गए। जब यह दल फार्म हाउस के समीप पहुंचने वाला था, तभी छिपे हुए आतंकवादी ने आगे बढ़ रहे अग्रिम दल पर अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया और चूंकि नायक रघुबीर सिंह और लांस/नायक सुरेन्द्र सिंह अग्रिम पंक्ति में थे, इसलिए आतंकवादी की गोलियों की प्रथम बौछार का वार उन पर हुआ। आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोलियां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की, 36 वीं बटालियन, नायक रघुबीर सिंह को लगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 75 वीं बटालियन के लांस/नायक सुरेन्द्र सिंह बुरी तरह से घायल हो गए।

श्री अजीत सिंह और सतनाम सिंह, हैड कांस्टेबल आसन्न जोखिम की परवाह किए बिना, रेंगते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जिधर से आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चला रहा था। उन्होंने एक दम नजदीक से आतंकवादी पर गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप आतंकवादी घटना स्थल पर ही मारा गया, जिसकी पहचान जरनैल सिंह उर्फ जैला बूह के रूप में की गई। तलाशी लेने पर, मुठभेड़ स्थल से, 1 ए० के०-47 राईफल, ए० के०-47 राईफल की 3 मैगजीने, ए० के०-47 राईफल के 100 कारतूस तथा 40 खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री सतनाम सिंह, हैड-कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 120-प्रेस/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री गुरदीप सिंह,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक,
पटियाला।

श्री बलकार सिंह,
हैड कांस्टेबल,
पटियाला।

श्री भाग सिंह,
कांस्टेबल,
पटियाला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 सितम्बर, 1991 को पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, पटियाला, को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि दो उग्रवादी

सफेद जिप्सी में फतेहगढ़ साहिब सब डिवीजन के क्षेत्र में घूम रहे है। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक पटियाला द्वारा विस्तृत रूप से समझा दिए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक, प्रचालन पुलिस उप-अधीक्षक, गुप्तचर, पटियाला और पुलिस उप-अधीक्षक पटियाला के पर्यवेक्षण में पुलिस पार्टियां बनायी गयी।

गुरदीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी को, जिसमें हैड कांस्टेबल बलकार सिंह, कांस्टेबल, भाग सिंह और अन्य पुलिस कार्मिक थे, मुख्य राजमार्ग पर राजपुरा और सिरहिन्द के बीच गांव साधूगढ़ के नजदीक तैनात किया गया।

लगभग 3.00 बजे अपराह्न को गुरदीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक और पुलिस पार्टी ने एक विशेष जिप्सी देखी और उन्होंने उसे रुकने का संकेत दिया। जिप्सी रुक गयी और पूछताछ करने पर जिप्सी में बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर गोली चलायी। एक गोली गुरदीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक के बायें कंधे पर लगी। श्री गुरदीप सिंह ने तुरंत मोर्चा सम्भाला और अपनी ए० के० 47 राईफल से आतंकवादियों की तरफ गोलियां चलायी, लेकिन वे बड़ी तेज गति से भाग गए। जख्मी होने के बावजूद गुरदीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक और उसकी पार्टी ने भाग रहे उग्रवादियों का पीछा किया और उनकी जिप्सी के बराबर आ पहुंचे। जैसे ही आतंकवादियों ने अपनी जिप्सी को गांव सैदपुरा की तरफ मोड़ा, जिप्सी तेज गति के कारण उलट गयी। इस पर सर्वश्री गुरदीप सिंह, बलकार सिंह और भाग सिंह, अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ आतंकवादियों की तरफ दौड़े लेकिन दोनों आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और गांव सैदपुरा की तरफ भाग गए। पुलिस कार्मिक आतंकवादियों का पीछा करते रहे। इसी बीच, कुमुक के लिए पड़ोसी पुलिस स्टेशनों को संदेश भेजा गया। गुरदीप सिंह, सहायक उप-निरीक्षक के नेतृत्व वाली पार्टी ने भी मोर्चा सम्भाला और मारो और पीछा करो की नीति अपनाना शुरू किया। श्री गुरदीप सिंह ने अपने दल को प्रोत्साहित किया। उनके नेता द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर पुलिस पार्टी गांव सैदपुरा की पूर्वी दिशा की ओर बढ़ी, जहां पर आतंकवादियों ने शरण ले रखी थी और उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा। गुरदीप सिंह सहायक उप-निरीक्षक ने आतंकवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए कहा, जिसके उत्तर में उन्होंने रिवाल्वरों सहित अपने हाथ खड़े कर दिए। जब श्री गुरदीप सिंह उनके नजदीक गए तो उन्होंने (आतंकवादियों) उन पर गोलियां चलानी आरंभ कर दीं। इस पर हैड-कांस्टेबल बलकार सिंह और कांस्टेबल भाग सिंह ने उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए उग्रवादियों की तरफ गोलियां चलायी। कांस्टेबल करनैल सिंह (ड्राईवर) वाहन को वापस लाए उन्हें वाहन की सुरक्षा में लाया जा सके। जब वाहन आतंकवादियों के नजदीक पहुंचा तो उन्होंने वाहन के आगे के शीशे पर 3/4 राउण्ड गोलियां चलायी जिससे शीशा पूरी तरह टूट गया जब उन्होंने देखा कि आतंकवादी आत्म समर्पण नहीं कर रहे हैं तो सहायक उप-निरीक्षक गुरदीप सिंह हैड-कांस्टेबल बलकार सिंह और कांस्टेबल भाग सिंह ने आतंकवादियों पर गोलियों की बछार की और उन दोनों को घटना स्थल पर ही मार दिया। आतंकवादी बलविन्दर सिंह उर्फ नाना गुरदीप सिंह सहायक उप-निरीक्षक द्वारा ए० के० 47 राईफल से चलाई गयी गोलियों की बौछार से मारा गया और आतंकवादी चरनजीत सिंह चन्नी, हैड-कांस्टेबल बलकार सिंह और कांस्टेबल भाग सिंह की गोलियों से मारा गया। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से .455 बोर की एक पाक निर्मित रिवाल्वर, एक .450 बोर की पिस्तौल एक जिप्सी और अन्य वस्तुएं बरामद हुई। दोनों आतंकवादी पटियाला, रोपड़, होशियारपुर, जालन्धर अम्बाला, चण्डीगढ़ और लुधियाना में हुई अनेक हत्याओं और बम विस्फोटों में अन्तर्ग्रस्त थे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गुरदीप सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, बलकार सिंह, हैड-कांस्टेबल और भाग सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 121–प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री बलकार सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जंडियाला।

श्री अमर सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
एस० एच० ओ०,
पुलिस स्टेशन—जंडियाला।

श्री रतन जीत सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
पुलिस स्टेशन जंडियाला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

17 अप्रैल, 1992 को बस स्टाप मनावाला से दो उग्रवादियों ने बन्दूक की नोक पर अमृतसर के श्री मोहिन्दर

सिंह का अपहरण किया और उसी स्कूटर पर गांव राजेवाला से होते हुए गांव झीठाकलां की तरफ ले जाया गया । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री बालकर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक जांडियाला ने बल के साथ गांव राजेवाला की तरफ उग्रवादियों का पीछा किया । इस बीच श्री बलकार सिंह ने यह सूचना निरीक्षक, अमर सिंह, एस०एच०ओ० जांडियाला को भेजी और उन्हें उग्रवादियों को रोकने का निर्देश दिया । जब बल, गांव महमा के फार्मों के नजदीक पहुंचा तो उग्रवादियों ने मोहिन्दर सिंह को एक फार्म में छोड़ दिया, तथा वहां से एक साईकल छीनी और पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी करते हुए गांव झीठाकलां की तरफ भाग निकले । अमर सिंह निरीक्षक, और उनकी पार्टी ने गांव पंडोरी की तरफ से उग्रवादियों को घेरने की कोशिश की । उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और गेहूं के खेतों में छिप गए । एक आतंकवादी ने मोर्चा लिया और पुलिस पार्टी पर घात लगायी, जिसके परिणाम स्वरूप अमर सिंह निरीक्षक और कांस्टेबल रतनजीत सिंह गोलियों से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । तथापि उन्होंने साहस नहीं खोया तथा उग्रवादियों की तरफ बढ़े और एक उग्रवादी को मार गिराया । इसी बीच, श्री बलकार सिंह अपने गनमेनों के साथ खेतों के करीब पहुंच गए और उन्होंने दूसरे उग्रवादी पर गोलियां चलायी । श्री बलकार सिंह दूसरे उग्रवादी की तरफ बढ़े और उसे मार गिराया । मुठभेड़ आधे घन्टे तक हुई । गोलीबारी के दौरान कांस्टेबल हरजीत सिंह कांस्टेबल विजय कुमार और कांस्टेबल रतनजीत सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए । अमर सिंह, निरीक्षक को बाद में मृत पाया गया । जख्मी कार्मिकों को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया । उनमें से कांस्टेबल रतनजीत सिंह का बाद में अस्पताल में देहान्त हो गया । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से, दो मैगजीनों के साथ एक ए०के० 47 राईफल और 21 कारतूस एक मैगजीन और 22 कारतूसों के साथ एक आधुनिक प्रकार का खतरनाक हथियार और बड़ी संख्या में कारतूसों के खाली खोल बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री बलकार सिंह पुलिस उप-अधीक्षक, श्री अमर सिंह, पुलिस निरीक्षक और श्री रतनजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 122 प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद :

श्री नरेश कुमार, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
पुलिस थाना—छहरांटा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30 अक्तूबर, 1991 को कुछ उग्रवादियों ने, नारायणगढ़ पुलिस थाना छहरांटा के हिमालय क्लाथ मिल के मालिक सुरेश कुमार तथा लेखाकार सोमनाथ का अपहरण कर लिया । सी०आर०पी०एफ० के कार्मिकों द्वारा उन्हें उग्रवादियों के चुंगुल से छुड़ा लिया गया । मिल में छिपे हुए व्यक्तियों को पकड़ने के लिए, और अधिक पुलिस बल भेजने का संदेश छहरांटा पुलिस थाने को भेज दिया सूचना के मिलते ही छहरांटा पुलिस थाने के थाना प्रभारी पुलिस बल (नरेश कुमार, कांस्टेबल सहित) को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और सी०आर०पी०एफ० के कार्मिकों के साथ मिलकर बिल्डिंग की घेरा बंदी कर दी । उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी गई किन्तु उन्होंने पुलिस कार्मिकों पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई । कांस्टेबल नरेश कुमार ने एक दूसरे कांस्टेबल के साथ मिल के फिनीशिंग विभाग में प्रवेश किया, जहां से दोनों आतंकवादी पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चला रहे थे । श्री नरेश कुमार ने उग्रवादियों पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया । मौका मिलते ही, दूसरे उग्रवादी ने श्री नरेश कुमार पर गोली चला दी जिसके परिणाम स्वरूप वे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए । इसके बाद दोनों ओर से हुई गोलीबारी में श्री नरेश कुमार की मृत्यु हो गई किन्तु मरने से पहले उन्होंने बहुत बहादुरी से दूसरे उग्रवादी को भी मार डाला ।

तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थल से एक ए०के० 47 असाल्ट राईफल, .20 बोर का एक मांउजर, असाल्ट में लगी एक मैगजीन, ए०के० 47 के बिना ए०के० 47 के बिना चले 12 राऊंड ए०के० 47 के 30 खाली राऊंड और .30 माउंजर के 9 खाली राऊंड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री नरेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 1994

सं० 123–प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री अजीत सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
तरन तारन ।

श्री गुरमीत सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
(गुप्तचर),
तरन तारन ।

श्री जरनैल सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
तरन तारन ।

श्री हरजीत सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
तरन तारन ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

8 जून, 1992 को तरन तारन के विरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह को सूचना मिली कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस 8—10 आतंकवादियों का एक समूह अधन्य अपराध करने के लिए, बेहला गांव की हवेली में मौजूद हैं । तत्काल, विभिन्न इकाईयों से पुलिस/अर्ध सैनिक बल की टुकड़ियों को बुलाया गया और ये टुकड़ियां श्री अजीत सिंह, पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) की कमांड में तेजी से घटना स्थल की ओर पहुंची । हवेली और गांव की कड़ी घेराबंदी की गई ।

सर्वश्री अजीत सिंह और खूबी राम ने स्थिति का जायजा लिया और बल को विभिन्न दलों में विभक्त किया। श्री अजीत सिंह, श्री गुरबचन सिंह, थाना प्रभारी, तरन तारन शहर की कमांड में चार दलों को (हैड कांस्टेबल हरजीत सिंह और हैड कांस्टेबल जरनैल सिंह सहित) हवेली की पहली मंजिल की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया। श्री खूबी राम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपकमान्डेंट के अधीन एक दल ने बगल की सीढ़ियों को कवर करके इमारत की पहली मंजिल की तलाशी शुरू कर दी । श्री जीतसिंह ने सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह को ऊपरी हिस्से के आंगन में मोर्चा संभालने के लिए कहा। अन्य पुलिस कार्मिकों को कमरों में तलाशी लेने का निर्देश दिया गया । उग्रवादियों ने देखा कि पुलिस इमारत में घुस आई है । उन्होंने बंकरों से इमारत के आंगन में गोलीबारी शुरू कर दी । सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह ने जवाब में गोली चलाई किन्तु पूरी तरह से खुले में होने के कारण, वे, उग्रवादियों द्वारा चलायी गयी गोलियों से बुरी तरह जख्मी हो गए । दोनों ने तेजी से अपनी स्थिति बदली और बरामदे के खम्भों के पीछे मोर्चा ले लिया तथा जबाबी गोलीबारी की । सर्व श्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, कमरे के उस छेद के पास पहुंचे जिसमें से उग्रवादी पुलिस पर गोलियां चला रहे थे । उन्होंने अपनी एम० एल० आर० की नली को उस खुले भाग में घुसेड़ दिया और भीतर गोलियां चलाई । कुछ देर बाद, कमरे के अन्दर से गोलीबारी बंद हो गई । इसी बीच उन उग्रवादियों ने, जो अन्य कमरों में छिपे हुए थे, सर्वश्री हरजीत सिंह और जरनैल सिंह पर गोलियों की बौछार की । यद्यपि दोनों जख्मी थे, तो भी उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई किन्तु उग्रवादियों के सुरक्षित स्थिति में होने से, वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए । गोलियों से हुए गंभीर जख्मों और अधिक खून बह जाने के परिणाम स्वरूप, सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह दोनों ने उग्रवादियों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की ।

इसी बीच श्री अजीत सिंह बड़ी तेजी से, अपने साथ अन्य कार्मिकों को लेकर इमारत की छत पर गए और उन्होंने बंकर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । उग्रवादी बंकर से बाहर आ गए, और उन्होंने विभिन्न कमरों में मोर्चा संभाल लिया तथा छत के उपर मौजूद पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाना जारी रखा । दोनों ओर से काफी समय तक हुई इस गोली बारी में कोई खास सफलता नहीं मिली । तब श्री अजीत सिंह ने आतंकवादियों से नीचे आकर मुकाबला करने का फैसला किया। श्री अजीत सिंह ने कवरिंग फायर किया ताकि गुरमीत सिंह नीचे आ सकें । श्री खूबी राम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा दिए गए, कवरिंग फायर की सहायता से दूसरे प्रयास में श्री अजीत सिंह नीचे उतरे। तीसरे और चौथे प्रयास में श्री खूबीराम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप-कमांडेंट भी पहली मंजिल पर उतर आए । उन्होंने पुनः स्थिति का जायजा लिया और निर्णय लिया कि पहली मंजिल के उन सभी कमरों को, जिनमें उग्रवादी छिपे हुए थे, प्रत्येक अधिकारी द्वारा अपने-अपने गनमैन के साथ व्यक्तिगत रूप से कवर किया जाए और उग्रवादियों से डटकर मुकाबला किया जाए, । उसके बाद सर्वश्री अजीत सिंह, खूबीराम और गुरमित सिंह ने उन कमरों के दरवाजों को कवर कर लिया जहां उग्रवादी छिपे हुए थे । उग्रवादियों में से एक उस कमरे से, अपनी जी० पी० एम० जी० से गोलियां चला रहा था जहां पर श्री अजीत सिंह अपने गनमन सहित मोर्चा संभाले हुए थे। जब श्री अजीत सिंह उसके मोर्चे की तरफ बढ़े तो वह मदद के लिए, चिल्लाया और एक दूसरा उग्रवादी, पास के कमरे से उसकी सहायता के लिए आया । उसने अपनी ए० के०–47 राईफल से पुलिस दल पर गोली चलाई

किन्तु श्री अजीत सिंह ने दीवार के पीछे। मोर्चा ले लिया था। जब श्री अजीत सिंह ने देखा कि उग्रवादी मैगजीन बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वे और उनका गनमैन तत्काल आगे बढ़े और उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उन दोनों को मार गिराया। उनमें से एक की शिनाख्त सुरजीत सिंह उर्फ बैहला, बी० टी० एफ० के० (मनोचहल गुट) के स्वयं उप प्रमुख के रूप में की गई। इसी प्रकार दूसरे कमरे में के० रि० पु० बल कर्मियों ने दो उग्रवादियों का सफाया कर दिया।

इसी बीच उग्रवादियों का एक ग्रुप बंकर में पुनः दाखिल हो गया और पुलिस दल पर गोलियां चलाने लगा लेकिन श्री खूबी राम ने अपनी पार्टी के साथ तत्काल अपने मोर्चे बदले और बंकर की दीवार के नजदीक मोर्चा लिया। उसके बाद खूबी राम ने दीवार में एक छेद किया और बंकर के अन्दर हथगोले फैंके और अपने शस्त्रों से उग्रवादियों पर गोलियां भी चलाई। श्री खूबी राम द्वारा की गई प्रभावकारी गोली बारी से दो उग्रवादी मारे गए जिनकी शिनाख्त मदन सिंह उर्फ मादी (बी० टी० एफ० के० मनोचहल का स्वयंभू लेफ्टी० जनरल) और सकत्तर सिंह (बी० टी० एफ० के० मनोचहल का एरिया कमांडर) के रूप में की गई।

दो उग्रवादियों का एक दूसरा ग्रुप सीढ़ियों में स्थित एक छोटे दरवाजे से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। श्री गुरमीत सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने गनमैनों के साथ सीढ़ियों के पास मोर्चा लिया और उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी सिढ़ियों में ही मारे गए।

इसी बीच, जबकि इमारत के अन्दर से छिटपुट गोलियां चलाई जा रही थी तो सेना की टुकड़ियां भी घटना स्थल पर पहुंच गई। सेना ने ईमारत को घेर लिया और तेज सर्च लाईट की व्यवस्था की ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर कोई उग्रवादी इमारत से भाग न सके। श्री अजीत सिंह और अन्य अधिकारियों ने पुनः इमारत की छत पर मोर्चा लिया ताकि उग्रवादी छत पर न चढ़ सकें और सुरक्षा बलों पर गोलियां न चला पाएं दोनों तरफ से रात भर, गोलियां चलती रही।

अगली सुबह, छिपे हुए उग्रवादियों ने सिढ़ियों की तरफ, से पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की। सेना, पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मिकों ने जवाबी गोलीबारी की। सेना के कर्मिकों ने कवर-फायर दिया और सभी अधिकारियों को छत से नीचे उतार लिया। इसी बीच एक कमरे से एक उग्रवादी बाहर निकला और अपनी ए० के०-47 राईफल से गोलियां चलाने लगा। श्री गुरबचन सिंह जो एक दम मारक परिधि में थे, ने अपनी एल० एम० जी० से तत्काल गोलियों की बौछार की और उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया। उसके बाद इमारत के अन्दर से गोली चलनी बंद हो गई। तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इमारत के विभिन्न कमरों में उग्रवादियों के नौ शव पाए गए जिनकी शिनाख्त बाद में (1) सुरजीत सिंह उर्फ बैहला (2) मदन सिंह उर्फ मादी (3) सकत्तर सिंह (4) अजीत सिंह (5) नरेंजन सिंह (6) करतार सिंह (7) गुरदीप सिंह (8) हरबंस सिंह और (9) लखविंदर सिंह के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक जी० पी० एम० जी०, एक एम० एल० आर०, तीन ए० के०-47 राईफल, एक ए० के०-74 राईफल, एक जी-3 राईफल, एक .30 पिस्तौल, एक .32 रिवाल्वर और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरमीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, जरनैल सिंह, हैडकांस्टेबल और हरजीत सिंह, हैडकांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 1994

स० 124-प्रज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद	
श्री मोहम्मद मुस्तफा सहायक पुलिस अधीक्षक तारन तारन	(प्रथम बार)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

17-1-1989 को श्री ए० एस० छेतरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), तरन तारन को, पुलिस स्टेशन वास्तोहा के गांव घरियालो के क्षेत्र में आतंकवादियों के एक गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। के० रि० पु० बल के कर्मियों के साथ श्री छेतरा ने छिपनेके संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली। 19-1-1989 को लड़के चलाए जाने वाले अभियान में हिस्सा लेने जा रहे सभी अधिकारियों की स्पेशल ब्रीफिंग दि० 18-1-1989 को की गई।

2. 19-1-89 को, पूरे क्षेत्र की घेरा बंदी कर ली गई गई और विभिन्न दिशाओं से क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए विभिन्न तलाशी दल बनाए गए। लगभग 2.30 बजे अपराह्न को एक पुलिस अधीक्षक की कमान में एक तलाशी दल, के० रि० पु० बल की 41 वीं बटालियन के उप-निरीक्षक बी० एन० पांडेय लांस नायक राम अवतार सिह और कांस्टेबल खगेन्द्र बर्मन सहित गन्ने के खेत के पास पहुंचा। अचानक गन्ने के खेत में छिपे आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाई गई। श्री पांडेय तुरंत ही जमीन पर लेट गए और उन्होंने गोली बारी का जबाब गोली से दिया, इस प्रक्रिया में, आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लांसनायक राम अवतार ने सिंचाई-नाले में पोजीशन ली, अपनी एल० एम० जी० के साथ रेंगकर आगे बढ़े-तथा कांस्टेबल खगेन्द्र सिह ने भी पोजीशन ले ली और वे आतंक वादियों पर गोलियां चलाते रहे। लांसनायक राम अवतार भी, आतंकवादियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी का शिकार हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई तथा कांस्टेबल खगेन्द्र बर्मन को भी टांग में गोली लगी।

लगभग 4.00 बजे साँय तरन तारन के पुलिस अधीक्षक, सर्वश्री मोहम्मद मुस्तफा, ए० एस० पी० और ए० एस० छेतरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) घटना स्थल पर पहुचे तथा उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गन्ने के खेत की घेराबंदी और मजबूत कर दी। गन्ने के खेत के चारों ओर के क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए एक कमांड दल का चयन श्री मुस्तफा ने किया। सर्वश्री छेतरा और मुस्तफा ने स्वयं एक-एक जिप्सी चलाई और क्षेत्र की तलाशी ली तथा सर्वश्री पाण्डेय, उप-निरीक्षक और राम अवतार, लांसनायक के शव बरामद किए। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने तलाशी जारी रखी और आतंकवादियों के दो शव ढूंढ निकाले।

इसी बीच महानिरीक्षक, सीमा तथा अपर पुलिस उप-महानिरीक्षक, के० रि० पु० बल, अमृतसर भी मुठभेड़ स्थल पर 2" मोर्टार ग्रेनेड के साथ पहुंच गए। उन्होंने महसूस किया कि गन्ने के खेत में, अग्नि-बमों से आग लग जाने के बाद कुछ आतंकवादी कपास के खेत में चले गए होंग। इसलिए, फार्म-हाऊस के कपास के खेत में 2" मोर्टार बम और फेंके गए।

इसके बावजूद आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुन्ध गोली चलायी गोली चलाना जारी रखा। सर्वश्री मुस्तफा और छेतरा अविचलित रहे और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ बने रहे। ये युक्तिपूर्वक आतकवादियों की ओर बढ़ते रहे और अपने लिए सुरक्षात्मक मोर्चा बनाया तथा गन्ने के खेत की ओर गोलियों की बौछार की। उन्होंने हथगोले भी फेंके और एल० एम० जी० तथा एस० एल० आर० से गोलियां चलाई। इस स्थान से लगभग आधे घटे तक गोलीबारी का आदान-प्रदान होता रहा। इसके बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी बन्द हो गई।

इसके बाद सर्वश्री छेतरा और मोहम्मद मुस्तफा वाहन चलाकर गन्ने के खेत के चारों ओर गेहू की खड़ी फसल से होकर आगे बढ़े और उन्होंने तलाशी के लिए क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए बत्ती जलाकर अन्य वाहन खड़े करवाए। गन्ने के खेत की तलाशी के दौरान उन्होंने पाया कि 6 अन्य आतंकवादी मरे पड़े हैं। कुल मिलाकर 8 आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में (1) दलबीर सिह उर्फ रिबैरो, (2) अजीत सिंह, (3) इन्दर-जीतसिंह उर्फ भोला, (4) रंजीतसिंह उर्फ राना, (5) गुरनाम सिंह उर्फ गम्मा, (6) अमरजीत सिंह, (7) नन्द सिंह उर्फ नन्दा और (8) सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के रूप में पहचान की गई तलाशी के दौरान 2 ए० के० 47 राइफलें, 2ए० के० 74 राइफलें, एक .15 बोर की अत्याधुनिक अमेरिकन राइफल, एक .315 राइफल, 1 पिस्तोल, 1 रिवाल्वर, 1 कैमरा, 11 मैगजीन और 150 कारतूस मुठभेड़-स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद मुस्तफा, सहायक पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1994

सं० 125-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री खूबी राम, (प्रथम बार)
पुलिस अधीक्षक,
(अभियान),
तरन तारन।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

9-12-1991 को पुलिस स्टेशन झबल के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि गांव गग्गोबुआ में खतरनाक उग्रवादी मोजूद हैं तथा सेना की सहायता से प्रत्येक घर और अन्य स्थानों की तलाशी ली गई लेकिन वे उग्रवादियों का पता नहीं लगा सके। अगले दिन अर्थात् 10-12-1991 को पुलिस स्टेशन झबल के थाना प्रभारी ने श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक,

प्रचालन, तरन-तारन को सूचित किया जिन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया और तलाशी अभियान 8.00 बजे प्रातः शुरू कर दिया। श्री खूबी राम ने एक घर में कोई संदिग्ध बात और कुछ सन्देहास्पद गतिविधियां नोट की और एक महिला से उस घर में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में पूछताछ की जिसने रहस्योद्घाटन किया कि एक बंकर के अन्दर के० सी० एफ० का स्वयंभू उप प्रमुख बलविन्दर सिंह उर्फ बिन्दा अपने सहापराधियों के साथ मौजूद है और वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। श्री खूबीराम और सैन्य अधिकारियों द्वारा बंकर की स्थिति का पूरी तरह सर्वेक्षण करने के बाद उस घर की घेराबंदी कर दी गई। उग्रवादियों से आत्म-समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी।

सर्व श्री राकेश कुमार, ए० एस० आई० और लखबीर सिंह, हैड कांस्टेबल के साथ श्री खूबी राम घर की छत पर चढ़ गए और बंकर को तोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने हथगोले फेंके लेकिन बंकर के अंदर मौजूद उग्रवादी झुके नहीं। इसके बाद अपने गनमैन के साथ श्री खूबीराम उस छत की ओर बढ़े जिसके नीचे बंकर स्थित था, तब उन्होंने एक टार्च की रोशनी की सहायता से बंकर का दरवाजा तलाश किया। श्री खूबी राम ने हथ गोला फेंका और कमरे से बाहर आ गए। कुछ सैकण्डों के बाद हथ-गोला फटा, अचानक एक उग्रवादी बंकर से बाहर आया और उसने पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ए० एस० आई० राकेश कुमार और हैड कांस्टेबल लखबीर ने तेजी से जवाब में अपने हथियारों से गोली चलाई। उग्रवादियों की ओर से की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप सर्व श्री राकेश कुमार और लखबीर सिंह गोलियों से जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी जारी रखी ताकि उनके आक्रमण को निष्क्रिय किया जा सके। दोनों ने ही, तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिति का सामना किया तथा उग्रवादियों के प्रत्येक प्रयास को विफल किया और उन्हें बंकर से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया तथा अंत में एक उग्रवादी को मारने में भी सफल हो गए लेकिन घावों के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई।

पास में स्थित एक दीवार की आड़ लेकर श्री खूबी राम द्वारा की गई भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप अन्य उग्रवादी बंकर छोड़ने को मजबूर हो गए। उन उग्रवादियों में से एक ने युक्तिपूर्ण ढंग से सुरक्षा घेरे को तोड़ने का असफल प्रयास किया और वह घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भाग रहे उग्रवादी ने पुलिस कर्मियों और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर गोलियां चलाई और उन्हें घायल कर दिया। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री खूबी राम ने अपने गनमैन के साथ उग्रवादियों का पीछा किया, एक दीवार के पीछे पोजीशन ली और अपने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर भागते हुए उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया, जिसकी पहचान बलविन्दर सिंह उर्फ बिन्दा के रूप में की गई। वह एक कट्टर सूचीबद्ध उग्रवादी था और के० सी० एफ० (जफरवाल ग्रुप) का तथाकथित उप-प्रमुख था। तलाशी के दौरान एक ए० के०-47 राइफल, एक एस० एल० आर०, और भारी मात्रा में कारतूस, मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 126-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद	
श्री दिनकर गुप्ता	(प्रथम बार)
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक	
होशियारपुर	

सेवाओं का विवरण जिनके लिए प्रदान किया गया है।

26-5-1992 को श्री कंवलजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण होशियारपुर को सूचना मिली कि आधुनिक शस्त्रों और गोलाबारूद से लैस दो आतंकवादियों ने थाना दसुया, गांव हेलर, के हरभजन सिंह के घर में शरण ले रखी है। उन्होंने श्री दिनकर गुप्ता, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, होशियारपुर को तुरंत आगे सूचना भेजी। श्री दिनकर गुप्ता ने सभी उपलब्ध अधिकारियों को थाना दसुया में पहुंचने का आदेश दिया और उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल से भी कुमुक मंगवायी।

श्री दिनकर गुप्ता ने निर्णय लिया कि एक मेजर की कमांड में सेना की एक टुकड़ी दो दिशाओं से गांव की ओर जाएगी और उसे बाहरी तरफ से घेरेगी। एक पुलिस उप-अधीक्षक के कमांड में सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी गांव के अन्दर की ओर से घेरा डालेगी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों घेरे पूरे हो गए हैं, हमलावर पार्टी ने, जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ सर्वश्री दिनकर गुप्ता और कंवलजीत सिंह और उनके गनमैन थे, अपने वाहनों में तेज गति के साथ गांव की तरफ कूच किया। योजना के अनुसार, वाहनों को इस प्रकार ले जाया गया था कि प्रत्येक अधिकारी अपने गनमेनों के साथ घर को

एक विशिष्ट दिशा से घेरे। सभी अधिकारियों ने संदिग्ध घर के चारों तरफ मोर्चा लिया (जो वास्तव में 'एल' आकार का परिसर था जिसमें तीन मकानों की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और अन्दर से आपस में मिली हुई थी)। श्री कंवलजीत सिंह, किनारे की दीवार से मकान की छत पर गए।

श्री गुप्ता ने, छिपे हुए आतंकवादियों से जन संबोधन प्रणाली द्वारा बाहर आने और आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इसके जवाब में आतंकवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से सीधे श्री दिनकर गुप्ता पर भारी गोलीबारी की लेकिन श्री गुप्ता सौभाग्य से बच गए। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, संतुलन बनाए रखा तथा आतंकवादियों के मोर्चे और स्थिति का जायजा लिया और अपने एक गनमैन से जी॰ पी॰ एम॰ जी॰ छीनी और छिपे हुए आतंकवादियों की तरफ गोलियां चलायीं। इस पर आतंकवादियों ने अपना मोर्चा बदला और उस दिशा की ओर आये, जहां पर श्री कंवलजीत सिंह ने मोर्चा सम्भाल रखा था। जब आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिक को देखा तो उन्होंने श्री कंवलजीत सिंह पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार की। श्री कंवलजीत सिंह झुक गए और रेंगते हुए बचाव के लिए दूसरी दिशा की तरफ गए। श्री गुप्ता ने यह देखा कि श्री कंवलजीत सिंह और उसकी पार्टी फंस गयी है और उन पर भारी गोलीबारी की जा रही है। श्री गुप्ता, फंसे हुए अपने साथियों को छुड़ाने के प्रयास में, अपने आपको आतंकवादियों की गोलियों के सामने लाते हुए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए 10 फुट दूरी पर स्थित दीवार की तरफ तेजी से गये। अपने इस सतर्क दाव से वे आतंकवादियों का ध्यान कंवलजीत सिंह की तरफ से हटाने में कामयाब हो गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर कवलजीत सिंह को बचा लिया। इस प्रक्रिया में, श्री गुप्ता ने, जहां श्री कंवलजीत सिंह फंसे थे, उसके सामने वाली पास की बिल्डिंग की छत पर बहुत युक्तिपूर्ण मोर्चा लिया। उसके बाद उन्होंने आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की, जिसमें श्री कंवलजीत सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका मिल गया। उसके बाद श्री गुप्ता ने श्री कंवलजीत सिंह को 3 कमरों के सैट की छत पर पहुंचने के लिए कहा, जो अन्दर की तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इससे आतंकवादियों को अपना मोर्चा बदलना पड़ा। आतंकवादी, कमरे की खिड़कियों से झुक-झुक कर सभी दिशाओं की ओर गोलियां चलाते रहे। श्री गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने आतंकवादियों पर जवाब में प्रभावी गोलीबारी की।

इसी बीच श्री कंवलजीत सिंह ने मकान की छत में, जो परम्परागत मिट्टी और ईंटों से बनी थी, एल॰ एम॰ जी॰ से देर तक गोलियां चलायी, और एक छेद किया। अवसर का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने छत में हुए छेद से गोली चलायी लेकिन श्री कंवलजीत सिंह बाल-बाल बच गए। उसके बाद उन्होंने अपने एक गनमैन से एक ए॰ के॰ 47 राईफल ली और उस छेद से आतंकवादियों पर स्वचालित शस्त्र से गोलियों की बौछार की। लेकिन आतंकवादियों ने अपना स्थान बदल दिया और वे खिड़कियों और दरवाजों से सभी दिशाओं को गोली चलाते रहे। उसके बाद आतंकवादियों ने, जहां पर श्री गुप्ता ने मोर्चा सम्भाल रखा था, उस दिशा में अंधाधुंध गोलियां और बार-बार गोलियों की बौछार करके भागने की कोशिश की। गोलियों की बौछार इतनी अधिक प्रचण्ड थी कि जहां पर श्री गुप्ता ने मोर्चा सम्भाल रखा था। वहां की छत की दीवार उड़ गयी और श्री गुप्ता को अपना मोर्चा बदलना पड़ा। श्री गुप्ता ने, विचलित हुए बिना कड़ा मुकाबला किया और आतंकवादियों को उस स्थान से हिलने नहीं दिया जहां पर वे छिपे हुए थे।

उसके बाद, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों ने घर के अन्दर हथगोले फेंके। हथगोलों के फटने और विभिन्न हथियारों से गोलियां चलाये जाने के परिणामस्वरूप, घरेलू वस्तुओं में आग लग गयी जिससे काफी धुंआ निकलने लगा। उस गर्मी और धुएं से, आतंकवादियों का घर के अन्दर उनका रहना दूभर हो गया और उनमें से एक व्यक्ति, श्री दिनकर गुप्ता पर ए॰ के॰ 47 राईफल से दूर से गोलियां चलाता हुआ एक कमरे से बाहर निकल आया। श्री गुप्ता तैयार थे और इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा उन्होंने समय गवांये बिना, आतंकवादी पर गोली चलायी, जो बुरी तरह जख्मी हो गया और दहलीज के सामने नीचे गिर गया।

यह देखने पर श्री कंवलजीत सिंह तुरंत दूसरी दिशा की तरफ गए और दरवाजे पर निगरानी रखी, जहां उन्होंने देखा कि दूसरा आतंकवादी दरवाजे की तरफ जा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। श्री कंवलजीत सिंह ने तुरंत मोर्चा सम्भाला और अपनी ए॰ के॰ 47 राइफल से दूसरे आतंकवादी पर गोली चलायी, जो दरवाजे के नजदीक गिर गया और मर गया। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिनकर गुप्ता, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक और कंवलजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने, अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी बहादुरी के साथ आतंकवादियों की गोलियों और हथगोलों का मुकाबला किया और दो आतंकवादियों को मार गिराया।

तलाशी के दौरान, घटनास्थल से दो ए॰ के॰ 47 राईफल दो मेगजीन, 80 सक्रिय कारतूस, साईनायड कैपसूल, के॰ सी एफ॰ (पंजबार) के 10 लैटर पैड और बारूद के दो थैले बरामद हुए। बाद में दो मृतक आतंकवादियों की शिनाख्त जोगिन्दर सिंह उर्फ जिन्दू (के॰ सी॰ एफ पंजबार का क्षेत्रीय कमान्डर) और ओंकार सिंह उर्फ फौजा उर्फ मास्टर के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिनकर गुप्ता, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 127-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री खूबीराम (द्वितीय बार)
पुलिस अधीक्षक,
प्रचालन,
तरन तारन ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

8 मई, 1992 को श्री खूबीराम, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) तरन-तारन को गांव मुघल चाक और जन्डोक सारहाली में कट्टर उग्रवादियों के एक ग्रुप के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली । विश्वसनीय सूत्रों ने आगे सूचित किया कि उग्रवादी तरन-तारन जिले में, शाम को एक बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं ।

श्री खूबीराम ने इस सूचना को पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, तरन-तारन को तत्काल प्रेषित किया । उन्होंने नगर थाना प्रभारी, सहायक उप-निरीक्षक, गुरबचन सिंह, कस्बा पुलिस चौकी के प्रभारी तरन-तारन उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और अन्य पुलिस कार्मिकों को थाना सदर, तरन तारन में एकत्र होने का आदेश दिया । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की की 75 वीं बटालियन के पुलिस अधीक्षक को भी अपने बल को थाना सदर में लाने का निर्देश दिया गया । श्री खूबीराम के नेतृत्व में सभी पुलिस कार्मिक तत्काल गांव मुघल चाक की ओर गए । इसी बीच, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, तरन तारन, उस गांव में पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया । प्रारम्भ में यह निर्णय किया गया था कि गांव मुघल चाक और जन्डोक सारहाली के क्षेत्रों को घेर लिया जाए लेकिन श्री खूबी राम ने सुझाव दिया कि घेरने की योजना में काफी समय लगेगा और उग्रवादियों के भाग जाने की सम्भावनाएं होंगी क्योंकि उग्रवादियों को वहां पुलिस के पहुंचने की जानकारी हो जाएगी ।

श्री खूबीराम के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में कुछ ग्रामीणों से पूछ-ताछ की गई इसके परिणामस्वरूप इस बात का पता चला कि आधुनिक शस्त्रों और गोला-बारूद से लैस उग्रवादियों को, मुघल चाक के ग्रामीणों ने, गांव के सरपंच के फार्म-हाउस की तरफ जाते हुए देखा । पूरे बल को चार अलग-अलग टुकड़ियों में विभाजित किया गया । उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह और उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और अन्य कार्मिकों के साथ श्री खूबी राम को मुघल चाक से पट्टी रोड और नाले के किनारे को घेरने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया क्योंकि यह उग्रवादियों के भागने का सम्भावित रास्ता था । दूसरी पुलिस पार्टी को, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय और पुलिस उप-अधीक्षक, लाईन्स, के नेतृत्व में, गांव- घरे असल और जन्डोक सारहाली के साथ के फार्म-हाउसों को घेरने के लिए तैनात किया गया । जब बल फार्म- हाउसों और नाले के किनारों की घेराबन्दी कर रहे थे तो पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति के बारे में उग्रवादियों को पता लग गया । वे नाले की तरफ दौड़े । श्री खूबी राम के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने भाग रहे उग्रवादियों को ललकारा लेकिन उन्होंने नाले के ऊंचे किनारों की तरफ जाकर वहां मोर्चा सम्भाला और पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस पार्टी के साथ श्री खूबी राम नीचे लेट गए और उप निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह को पीछे की तरफ से उग्रवादियों को घेरने का निर्देश दिया । सर्वश्री बलबीर सिंह और गुरबचन सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उस स्थान की तरफ दौड़े । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के दौरान, एक उग्रवादी गोली लगने से जख्मी हो गया और उग्रवादी नाले के किनारों की आड़ में नाले के पुल की तरफ दौड़े । उन्होंने पुल के खम्भों के पीछे मोर्चा सम्भाला और पुलिस पार्टियों पर गोलियां चलायी । सर्वश्री बलबीर सिंह और गुरबचन सिंह ने उग्रवादियों का पीछा किया ।

श्री खूबी राम और उसकी पार्टी खुले मैदान में थी और उग्रवादियों की मार के भीतर थे । उग्रवादियों ने श्री खूबीराम की पार्टी पर हथगोले फैंके लेकिन वे बाल-बाल बच गए । उसके बाद श्री खूबी राम ने अपनी पार्टी के कार्मिकों को खाईयों में मोर्चा सम्भालने का निर्देश दिया । जब उग्रवादी श्री खूबीराम की पार्टी से लड़ रहे थे तो, उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह रेंगते हुए गए और आतंकवादियों के पीछे की ओर मोर्चा सम्भाला और उन पर गोलियां चलायीं । जब उग्रवादियों का ध्यान उनकी गोलीबारी की ओर केन्द्रित था तो श्री खूबी राम ने, तेजी से, उग्रवादियों पर हथगोले फैंके और उसकी पार्टी ने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की । उसके बाद, श्री खूबीराम ने एक एल० एम० जी० ली और उग्रवादियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की । श्री खूबीराम, उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक बलबीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक गुरबचन सिंह द्वारा उग्रवादियों पर की गयी इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप, उग्रवादी अधिक समय तक नहीं लड़ सके और घटनास्थल पर ही मारे गए । तलाशी के दौरान, उग्रवादियों के 2 शव, बरामद किए गए, जिनमें से एक की शिनाख्त बलवेल सिंह उर्फ गद्दर के रूप में की गयी लेकिन दूसरे की पहचान नहीं हो सकी । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 2 ए० के०-47 राईफल, ए० के०-47 की दो मेगजीनें, 3 एच० ई०-36 हथगोले, 6 स्टिक बम और ए० के०-47 के 85 खाली कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री खूबीराम, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 128-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री खूबी राम (तीसरी बार)
पुलिस अधीक्षक,
प्रशासन
तरन तारन

श्री गुरबचन सिंह (पहली बार)
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक
थाना प्रभारी, थाना शहर
तरन तारन

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8-6-1992 को तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह को सूचना मिली कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस 8-10 आतंकवादियों का एक समूह जघन्य अपराध करने के लिए, बेहला गांव की हवेली में मौजूद हैं । तत्काल, विभिन्न इकाईयों से पुलिस अर्ध सैनिक बल की टुकड़ियों को बुलाया गया और ये टुकड़ियां श्री अजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक तथा श्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) की कमांड में तेजी से घटना स्थल की ओर पहुंची। हवेली और गांव की कड़ी घेराबंदी की गई।

सर्वश्री अजीत सिंह और खूबी राम ने स्थिति का जायजा लिया और बल को विभिन्न दलों में विभक्त किया। श्री अजीत सिंह, श्री गुरबचन सिंह, थाना प्रभारी, तरन तारन शहर की कमांड में चार दलों को (हैड कांस्टेबल हरजीत सिंह और हैडकांस्टेबल जरनैल सिंह सहित) हवेली की पहली मंजिल की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया। श्री खूबी राम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप कमान्डेंट के अधीन एक दल ने बगल की सीढ़ियों को कवर करके इमारत की पहली मंजिल की तलाशी शुरू कर दी। श्री अजीत सिंह ने सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह को ऊपरी हिस्से के आंगन में मोर्चा संभालने के लिए कहा । अन्य पुलिस कार्मिकों को कमरों में तलाशी लेने का निर्देश दिया गया। उग्रवादियों ने देखा कि पुलिस इमारत में घुस आई है। उन्होंने बंकरों से इमारत के आंगन में गोलीबारी शुरू कर दी। सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह ने जवाब में गोली चलाई किन्तु पूरी तरह से खुले में होने के कारण, वे उग्रवादियों द्वारा चलायी गयी गोलियों से बुरी तरह जख्मी हो गए । दोनों ने तेजी से अपनी स्थिति बदली और बरामदे के खम्भों के पीछे मोर्चा लिया तथा जबाबी गोलीबारी की। सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, कमरे के उस छेद के पास पहुंचे जिसमें से उग्रवादी पुलिस पर गोलियां चला रहे थे । उन्होंने अपनी एस० एल० आर० को नली को उस खुले भाग में घुसेड़ दिया और भीतर गोलियां चलाई । कुछ देर बाद, कमरे के अन्दर से गोलीबारी बंद हो गई । इसी बीच उन उग्रवादियों ने, जो अन्य कमरों में छिपे हुए थे, सर्वश्री हरजीत सिंह और जरनैल सिंह पर गोलियों की बौछार की । यद्यपि दोनों जख्मी थे, तो भी उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई किन्तु उग्रवादियों के सुरक्षित स्थिति में होने से वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए । गोलियों से हुए गंभीर जख्मों और अधिक खून बह जाने के परिणामस्वरूप, सर्वश्री जरनैल सिंह और हरजीत सिंह दोनों ने उग्रवादियों से लड़ते हुए वीरतागति प्राप्त की ।

इसी बीच श्री अजीत सिंह बड़ी तेजी से अपने साथ अन्य कार्मिकों को लेकर इमारत की छत पर गए और उन्होंने बंकर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उग्रवादी बंकर से बाहर आ गए, और उन्होंने विभिन्न कमरों में मोर्चा संभाल लिया तथा छत के ऊपर मौजूद पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाना जारी रखा । दोनों ओर से काफी समय तक हुई इस गोली बारी में कोई खास सफलता नहीं मिली। तब श्री अजीत सिंह ने आतंकवादियों से नीचे आकर मुकाबला करने का फैसला किया। श्री अजीत सिंह ने कवरिंग फायर किया ताकि गुरमीत सिंह नीचे आ सकें । श्री खूबी राम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा दिए गए कवरिंग फायर की सहायता से दूसरे प्रयास में श्री अजीत सिंह नीचे उतरे । तीसरे और चौथे प्रयास में श्री खूबीराम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप-कमांडेंट भी पहली मंजिल पर उतर आए। उन्होंने पुनः स्थिति का जायजा लिया और निर्णय लिया कि पहली मंजिल के उन सभी कमरों को जिनमें उग्रवादी छिपे हुए थे, प्रत्येक अधिकारी द्वारा अपने-अपने गनमैन के साथ व्यक्तिगत रूप से कवर किया जाए और उग्रवादियों से डटकर मुकाबला किया जाय। उसके बाद सर्वश्री अजीत सिंह, खूबीराम और गुरमीत सिंह ने उन कमरों के दरवाजों को कवर कर लिया, जहां उग्रवादी छिपे हुए थे । उग्रवादियों में से एक उस कमरे से, अपनी जी० पी० एम० जी० से गोलियां चला रहा था जहां पर श्री

अजीत सिंह अपने गनमैन सहित मोर्चा संभाले हुए थे। जब श्री अजीत सिंह उसके मोर्चे की तरफ बढ़े तो वह मदद के लिए चिल्लाया और एक दूसरा उग्रवादी, पास के कमरे से उसकी सहायता के लिए आया। उसने अपनी ए॰के॰ –47 राईफल से पुलिस दल पर गोली चलाई किन्तु श्री अजीत सिंह ने दीवार के पीछे मोर्चा ले लिया था। जब श्री अजीत सिंह ने देखा कि उग्रवादी मैगजीन बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो वे और उनका गनमैन तत्काल आगे बढ़े और उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उन दोनों को मार गिराया। उनमें से एक की शिनाख्त सुरजीत सिंह उर्फ बेहला, बी॰टी॰एफ॰के॰ (मनोचहल गुट) के स्वयंभू उप प्रमुख के रूप में की गई। इसी प्रकार दूसरे कमरे में के॰रि॰पु॰ बल कार्मिकों ने दो उग्रवादियों का सफाया कर दिया।

इसी बीच उग्रवादियों का एक ग्रुप बंकर में पुनः दाखिल हो गया और पुलिस दल पर गोलियां चलाने लगा लेकिन श्री खूबी राम ने अपनी पार्टी के साथ तत्काल अपने मोर्चे बदले और बंकर की दीवार के नजदीक मोर्चा लिया। उसके बाद खूबी राम ने दीवार में एक छेद किया और बंकर के अन्दर हथगोले फैंके और अपने शस्त्रों से उग्रवादियों पर गोलियां भी चलाई। श्री खूबी राम द्वारा की गई प्रभावकारी गोलीबारी से दो उग्रवादी मारे गए जिनकी शिनाख्त मदन सिंह उर्फ गाबी (बी टी एफ॰के॰ मनोचहल का स्वयंभू लेफ्टी॰ जनरल) और सकत्तर सिंह (बी॰टी॰एफ॰के॰ मनोचहल का एरिया कमांडर) के रूप में की गई।

दो उग्रवादियों का एक दूसरा ग्रुप सीढ़ियों में स्थित एक छोटे दरवाजे से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। श्री गुरमीत सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने गनमैनों के साथ सीढ़ियों के पास मोर्चा लिया और उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की। इसके परिणाम स्वरूप दोनों उग्रवादी सीढ़ियों में ही मारे गए।

इसी बीच, जबकि इमारत के अन्दर से छिटपुट गोलियां चलाई जा रही थी तो सेना की टुकड़ियां भी घटना स्थल पर पहुंच गई। सेना ने इमारत को घेर लिया और तेज सर्च लाईट की व्यवस्था की ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर कोई उग्रवादी इमारत से भाग न सके। श्री अजीत सिंह और अन्य अधिकारियों ने पुनः इमारत की छत पर मोर्चा लिया ताकि उग्रवादी छत पर न चढ़ सकें और सुरक्षा बलों पर गोलियां न चला पाएं। दोनों तरफ से रात भर गोलियां चलती रही।

अगली सुबह, छिपे हुए उग्रवादियों ने सीढ़ियों की तरफ से पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की। सेना, पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने जवाबी गोलीबारी की। सेना के कार्मिकों ने कवर–फायर दिया और सभी अधिकारियों को छत से नीचे उतार लिया। इसी बीच एक कमरे से एक उग्रवादी बाहर निकला और अपनी ए॰के॰–47 राईफल से गोलियां चलाने लगा। श्री गुरबचन सिंह जो एक दम मारक परिधि में थे, ने अपनी एल॰एम॰जी॰ से तत्काल गोलियों की बौछार की और उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया। उसके बाद इमारत के अन्दर से गोली चलनी बंद हो गई। तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इमारत के विभिन्न कमरों में उग्रवादियों के नौ शव पाए गए जिनकी शिनाख्त बाद में (1) सुरजीत सिंह उर्फ बेहला (2) मदन सिंह उर्फ गाबी (3) सकत्तर सिंह (4) अजीत सिंह (5) निरंजन सिंह (6) करतार सिंह (7) गुरदीप सिंह (8) हरबंस सिंह और (9) लखविंदर सिंह के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक जी॰पी॰एम॰जी॰, एक एस॰एल॰आर॰, तीन ए॰के॰–47 राईफलें, एक ए॰ के–47 राईफल, एक जी–3 राईफल, एक .30 पिस्तौल, एक .32 रिवाल्वर और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री खूबी राम, पुलिस अधीक्षक और गुरबचन सिंह, पुलिस सहायक उप–निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जून, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं॰ 129–प्रेज/94–राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री एच॰ एस॰ ढिल्लों, (प्रथम बार)
पुलिस अधीक्षक,
प्रचालन, जालन्धर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

21 अप्रैल, 1992 को पंजाब पुलिस द्वारा सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ थाना फिल्लौर क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी और छानबीन अभियान आयोजित किया गया। उन संवेदनशील गांवों का प्रातः घेराव किया गया जहां से आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। जब तलाशी ली जा रही थी तो फिल्लौर के पुलिस उप-अधीक्षक को नूरमहल थाने से संदेश प्राप्त हुआ कि वे वहां पहुंचे और उनके मुखबिर से सम्पर्क करें।

उसके स्रोत से सम्पर्क स्थापित करने के बाद, उसने श्री ढिल्लों को तत्काल नूरमहल पहुंचने के लिए वायरलैस से संदेश भेजा । इस समय तक थाना फिल्लोर क्षेत्र में तलाशी का कार्य पूरा हो गया था और श्री ढिल्लों, सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के साथ नूरमहल पहुंचे । सूचना के विवरणों पर विचार-विमर्श किया गया । एक आतंकवादी को गांव-उप्पल भूरा, थाना—नूरमहल के सोहन सिंह के फार्म हाऊस की तरफ जाते हुए देखा गया । श्री ढिल्लों ने कूच करने की योजना बनायी और बल को 5 ग्रुपों में विभाजित किया । दल को उनके कार्य के बारे में श्री ढिल्लों द्वारा विस्तृत रूप से समझाया गया । इन सभी दलों को तैनात किया गया और उन्हें सभी सम्भावित रास्तों घेराबन्दी करने और बंद करने के लिए भेजा गया ।

पुलिस उप अधीक्षक, फिल्लोर, नूरमहल और फिल्लोर के थानेदार और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक उप-निरीक्षक सहित श्री ढिल्लों के कमांड में एक चुनी गयी पार्टी का गठन हमलावर पार्टी के रूप में किया गया । लगभग 3.15 पूर्वाह्न, पार्टी एक प्राईवेट ट्रक में फार्म-हाऊस पर छापा मारने के लिए गयी, ताकि पुलिस दल की गतिविधियों का पता न चल सके । जैसे ही हमलावर पार्टी फार्म-हाऊस के नजदीक पहुंची और ट्रक से उतर रही थी, घर में छिपे आतंकवादी ने पुलिस पार्टी पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी । इस समय तक श्री ढिल्लों फार्म-हाऊस के गेट पर पहुंच चुके थे । आतंकवादी की स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री ढिल्लो ने अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादी पर गोलियां चलायी । इस गोलीबारी से आतंकवादी शांत हो गए और पुलिस दल ट्रक से उतर सका और फार्म-हाऊस के चारों तरफ मोर्चा सम्भाला ।

जब पुलिस पार्टी फार्म हाऊस को घेर रही थी तो आतंकवादियों ने सभी दिशाओं को गोलियां चलायी ।

श्री ढिल्लों ने फिल्लोर के पुलिस उप-अधीक्षक और अन्य गनमैनों के साथ खेतों में एक तरफ मोर्चा सम्भाला । आतंकवादियों ने फार्म-हाऊस से बाहर आने से पहले सभी दिशाओं को गोलियों की बौछार की । इस जवाबी गोली-बारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक हैडकांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गया, जो ढिल्लों के बिल्कुल करीब था । इसके बावजूद श्री ढिल्लों ने अपने जीवन के प्रति होने वाले इस गंभीर और सतत खतरे को स्वीकार किया और फार्म हाऊस के पिछवाड़े की तरफ हमलावर पार्टी का नेतृत्व किया । श्री ढिल्लो रेंगते हुए फार्म-हाऊस के पीछे की तरफ गए । जैसे ही वे फार्म-हाऊस के पिछवाड़े की तरफ गए, आतंकवादियों ने अपनी स्वचालित राईफलों से उन पर गोलियों की बौछार की लेकिन वे बाल-बाल बच गए । इस समय तक श्री ढिल्लो मोर्चा सम्भाल चुके थे और उन्होंने आतंकवादी पर गोलियां चलायी । श्री ढिल्लो द्वारा सही निशाने पर गोलीबारी किए जाने से एक आतंक-वादी मारा गया, जिसकी शिनाख्त बाद में मनजीत सिंह उर्फ बिल्ला के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 1 ए० के०—47 राईफल, ए० के०—47 राइफल की 3 मेगजीने, ए० के०—47 के 17 सक्रिय कारतूस और ए० के०—47 के 72 खाली खोल बरामद हुए । मृतक आतंकवादी अनेक हत्याओं (26 दिसम्बर, 1991 को जगरांव में रेल यात्रियों के नरसंहार सहित, जिसमें 53 व्यक्ति मारे गए थे और 19 जख्मी हुए थे) में अन्तर्गस्त था ।

इस मुठभेड़ में श्री एच० एस० ढिल्लो, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 130-प्रेज/94-शुद्धिपत्र—"विशिष्ट सेवा मेडल" पुरस्कार से संबंधित भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में शनिवार दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को प्रकाशित इस सचिवालय की 26 जनवरी, 1993 की अधिसूचना सं० 58-प्रेज/93 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 42 लेफ्टिनेंट कर्नल आनन्द कुमार चतुर्वेदी

(एम० आर०-04288), गढ़वाल राइफल के स्थान पर

क्रम सं० 42 लेफ्टिनेंट कर्नल आनन्द कुमार चतुर्वेदी (एम० आर०-04288) सेना चिकित्सा कोर पढ़ें ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1994

सं० 27/5/94-सी० एल० -2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के

खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एम० एस० अगरवाल, निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर० एन० वासवानी
अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 1994

संकल्प

सं० 6/1/91–ई०पी०जेड०:—निर्यात उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि गैर-सरकारी, संयुक्त अथवा क्षेत्र में निर्यात प्रोसेसिंग जोन (ई० पी० जेड०) स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक अन्त: मंत्रालयी समिति गठित की गई है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं :—

1.	अपर सचिव (ई०पी०जेड०), वाणिज्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	औद्योगिक विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	शहरी विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आर्थिक कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव (ई०पी०जेड०), वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
8.	संबंधित जोन का विकास आयुक्त	सदस्य
9.	राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक (ई०पी०जेड०), वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. कार्य

यह अन्त: मंत्रालयी समिति :

(1) गैर-सरकारी/संयुक्त क्षेत्र के निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करेगी;

(2) इस प्रकार के निर्यात प्रोसेसिंग जोनों की स्थापना संबंधी सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करेगी और इस संबंध में समुचित सिफारिशें करेगी।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए

जे० एम० मौसकर
निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 1994

संकल्प

संदर्भ:—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दिनांक 24 अगस्त, 1993 का संकल्प संख्या जे०–13012/2/92–सामान्य-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बनों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की अवधि का विस्तार।

सं० जे० 13012/2/93-सामान्य—बम्बई विश्वविद्यालय में रसायन अभियांत्रिकी के प्रोफेसर तथा रसायन प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक श्री मनमोहन शर्मा को श्री लवराज कुमार, जिनका स्वर्गवास हो गया है, के स्थान पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बनों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

2. श्री एम० पी० सिंह, औद्योगिक सलाहकार (रसायन, जो महानिदेशक (तकनीकी विकास) के नामिती हैं, उपयुक्त समिति के सदस्य होंगे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बनों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति के गठन तथा अन्य शर्तों में भी कोई परिवर्तन नहीं है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सचिवालय एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को सूचनार्थ भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जनता की सामान्य जानकारी हेतु संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सज्जन राज शाह
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th June 1994

No. 102-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :

Name and Rank of Officer

Shri Sidharth Chattopadhyaya,
Senior Supdt. of Police,
Ludhiana.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 29-7-1992, Shri Sidharth Chattopadhyaya, Senior Supdt. of Police, Ludhiana received information through reliable source that top KLF terrorists including Gurjant Singh Budh Singh Wala were getting together to plan and execute some heinous crime in district Ludhiana. Accordingly, an operational plan was devised and executed to face this challenge and to apprehend these terrorists. A vast network of nakas, ambushes patrol and checking parties comprising of district police and para-military force was laid in the City area, particulary in the area of P. S. Civil Lines, Ludhiana. The first party was headed by Shri Chattopadhyaya and other parties were headed by other police officers of Ludhiana.

At about 10.00 P.M. a particular hide-out was raided and inmates were addressed in a loud voice that the police have surrounded the house from all sides and they should surrender themselves. On this, the terrorists hiding inside the house opened heavy fire on the police parties and tried to escape under the cover of darkness. Shri Chattopadhyaya and his party returned the fire in self-defence and with a view to overpower them. In the meantime the terrorist climbed on the roof through the stairs from inside the house and jumped down from the back side, while firing on the police party. Shri Chattopadhyaya leading his party, quickly went on the roof and then jumped down and chased the fleeing terrorist at the risk of his life. Then he reached near the terrorist by crawling.

The terrorist finding himself surrounded from all sides, immediately jumped over the wall and entered into the nearby vacant plot and started firing from inside by taking shelter of a wall. He also threw hand grenades on Shri Chattopadhyaya. Had he not lay down on the ground, he might have been the target of shots fired by the terrorist. Shri Chattopadhyaya then reached near the wall by crawling and without caring for the safety of his life in the face of imminent danger, made an opening in the wall by digging out bricks and started firing towards the terrorist. The exchange of fire continued for about one and half hour. Thereafter, firing from the terrorist side stopped. During search the terrorist was found lying dead and one AK-47 Rifle alongwith ammunition and three magazines were recovered from the place of encounter. During search of the house where he had taken shelter two rocket launchers with rockets, 5 Kgs. of explosive material, 3 detonators, 45 rounds of Dragonov Rifle and 5 foreign made hand-grenades were recovered. The dead terrorist was later identified as Gurjant Singh Budh Singh Wala a self-styled founder Chief General of KLF. He was involved in the murder of large number of police personnel and in the number of shoot-outs bank dacoities.

In this encounter Shri Sidharath Chattopadhyaya, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President' Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 29-7-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 103-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :

Name and Rank of Officer

(Posthumous)

Shri Darshan Singh,
Constable,
Gurdaspur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 4-1-1992, Senior Supdt. of Police, Gurdaspur received a specific information that some extremists were roaming in the area of villages Nawan Pind, Hundal Bahian and Talwandi armed with sophisticated weapons. He immediately organised Police/PMF/Army Parties and cordoned the said villages by about 7.00 A.M. and started search/combing operation.

At about 8.00 A.M. the police party headed by Inspector, CIA, Gurdaspur reached near the tubewell of one Jasbir Singh one youth who was hiding in the sugracane fields started firing on the police party. On this Constable Darshan Singh took position and retaliated fire with the SLR and advanced towards the sugarcane fields. At this four extremists, who were hiding in the tubewell started firing on Constable Darshan Singh and injured him. Inspite of injuries, he continued firing towards the extremists without caring for his worn life. After injuring Constable Darshan Singh, the extremists entered the sugar-cane fields.

The other police/RMF/Army parties cordoned the sugar-cane field and retaliated firing in response to the firing of the extremists. Meanwhile, Constable Darshan Singh succumbed to his injuries on the spot. The Police and Para-Military Force personnel continued firing and also utilised the service of two bullet proof tractors. In the exchange of fire, another Constable received bullet injury in his leg. The exchange of fire continued upto 3.30 P.M. Thereafter, firing from the extremists side stopped.

During search two dead bodies of extremists were recovered, who were later identified as Surjan Singh, a hard-core extremists of KLF Group and Kuldip Singh. During search two AK-47 Assault Rifles with Magazines, 3 country-made hand-grenades and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Darshan Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4-1-1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 104-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Avtar Singh Chhetra,
Supdt. of Police, Operations,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 17-1-1989, Shri A. S. Chhetra, Supdt. of Police (Operations) Tarn Taran received information regarding the presence of a gang of terrorists in the area of village Ghariali, P. S. Valtoha. Shri Chhetra alongwith personnel

of CRPF carried out search of the suspected hide-outs. On 18-1-1989 special briefing of all officers, who were to take part in the operation to be conducted in the early hours of 19-1-1989 was done.

2. On 19-1-89, the entire area was cordoned off and various search parties were formed to search the area from different directions. At about 2.30 PM the search party headed by one Deputy Supdt. of Police alongwith Sub-Inspector B. N. Pandey, Lance Naik Ram Avtar Singh and Constable Khagendra Barman of 41 Battalion, CRPF reached near the sugarcane field. All of a sudden, they were fired upon by the terrorists, who were hiding in the sugarcane field. Shri Pandey immediately laid on the ground and returned the fire, in the process he was seriously injured by the bullets fired by the terrorists and succumbed to his injuries. Lance Naik Ram Avtar took position in the irrigation drain, crawled forward with his LMG, Constable Khangendra Baram also took position and they kept on firing on the terrorists. Lance Naik Ram Avtar also fell victim to the heavy fire from the terrorists and died on the spot and Constable Khagendra Barman was injured in the leg.

At about 4 P.M., SSP Tarn Taran, alongwith S/Shri Mohd. Mustafa, ASP and A. S. Chhetra, SP (Operations) reached the spot, took stock of the situation and further strengthened the cordon of sugarcane field. Shri Mustafa selected a team of Commandos to light up the area around the sugarcane field. S/Shri Chhetra and Mustafa personally drove one Gypsy each and searched the area and recovered the dead bodies of S/Shri Pandey, Sub-Inspr. and Ram Avtar, L/NK. Without caring for their personal safety, they continued their search and found two dead bodies of terrorists.

In the meantime, Inspector General of Police, Border and Addl. DIGP, CRPF, Amritsar also reached the place of encounter with 2" mortor grenades. They realised that some of the terrorists might have shifted to the cotton field after the sugarcane field caught fire from the flare bombs. Hence 2" mortor bombs and grenades were thrown from the farm house in the cotton field.

Inspite of all this, the terrorists kept on firing indiscriminately on the police party. S/Shri Mustafa and Chhetra remained undeterred and determined to liquidate the terrorists. They tactfully kept advancing towards the terrorists and made a defensive position for themselves and directed volley of fire in the sugarcane field. They also threw hand-grenades and fired with LMG and SLRs. Exchange of firing from this point continued for about half an hour. Thereafter, firing from the terrorists side stopped.

Thereafter, S/Shri Chhetra and Mohd. Mustafa drove through the wheat crops around the sugarcane field and deployed the other vehicles with lights on to illuminate the area for search. During search of the sugarcane field they found six more terrorists lying dead. In all 8 terrorists were killed, who were later identified as (1) Dalbir Singh alias Rebeiro; (2) Ajit Singh, (3) Inderjit Singh alias Bhola; (4) Ranjit Singh alias Rana; (5) Gurnam Singh alias Gamma; (6) Amarjit Singh; (7) Nand Singh alias Nanda and (8) Sukhdev Singh alias Sukha. During search 2 AK-47 Rifles, 2 AK-74 Rifles, one .15 bore sofisticated American Rifle, one .315 Rifle, 1 Pistol, 1 Revolver, 1 Camera, 11 Magazines and 150 cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Avtar Singh Chhetra, Supdt. of Police (Operations) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th January, 1989.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 105-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Satish Kumar Sharma,
Senior Supdt. of Police,
Patiala.

Shri Vijay Kumar Kapil,
Supdt. of Police (Ops),
Patiala.

Shri Kuldip Kumar,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Patiala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 10-7-1990 at about 7.40 PM, the dreaded terrorists Ravail Singh alias Fauji alongwith one of his associates kidnapped a rice sheller owner of P. S. Julkan, District Patiala at gun point for ransom of Rs. 10 lacs.

2. On 11-7-1990 Shri S. K. Sharma, Senior Supdt. of Police, Patiala launched an all out offensive in the areas to which it was anticipated that the terrorists might have gone alongwith their captive. At about 4.30 PM, a police party while searching for the terrorists gang was fired upon with automatic weapons by the terrorists who had taken shelter in a farm house near village Shekhupura with their captive Santosh Kumar. On receiving this information Shri S. K. Sharma alongwith Shri V. K. Kapil, Supdt. of Police (Ops), Patiala and other police personnel (including ASI Kuldeep Kumar) reached the farm house where the terrorists were hiding. On seeing the Police party, the terrorists started heavy firing on them. Initially the firing was very heavy and it was difficult to get close to the direction in which terrorists had taken well entrenched positions in broken ground behind wild grass, along the link road. Till about 6.30 PM firing continued without any results. Thereafter, it was decided to launch a final assault by getting closer to the location of the terrorists. Shri S. K. Sharma, alongwith Shri V. K. Kapil, ASI Kuldeep Kumar and other police personnel without caring for their personal safety crawled and reached near the terrorists. Shri Sharma took up position with the LMG group and opened heavy fire on the terrorists in order to pin down their heads. The terrorists retaliated with same vigour. Shri Sharma alongwith ASI Kuldeep Kumar advanced from the right side and fired on the terrorists and Shri V. K. Kapil alongwith some CRPF personnel fired from left side with LMG. Finding themselves encountered from all sides, the leader of the terrorists group first fired and killed Santosh Kumar the kidnapped person. Then, he advanced under the cover of fire by his associates and fired a burst on Shri Sharma. Shri Sharma and his escort personnel returned the fire. In the exchange of fire ASI Kuldeep Kumar and one Constable of CRPF were injured. Shri Sharma returned the fire with his revolver and killed the extremist. The other injured terrorists were demoralised with the death of their gang leader. When the gang leader was firing on Shri S. K. Sharma, Shri V. K. Kapil without caring for his personal safety fired with his service revolver and killed one of the terrorists on the spot. ASI Kuldeep Kumar though grieviously injured in the stomach, did not relent from his position and kept on firing on the terrorists. The remaining terrorists started running for their lives, while firing and were killed by concentrated heavy firing by police personnel from different directions. The encounter lasted for nearly 5 hours, resulting in the liquidation of all the five terrorists, who were later identified as (1) Ravail Singh alias Fauji; (2) Kundan Singh alias Kunda; (3) Avtar Singh alias Ghogar; (4) Nirmal Singh alias Nimma; and (5) Gurmail Singh alias Gel. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Satish Kumar Sharma, Senior Supdt. of Police, Vijay Kumar Kapil, Supdt. of Police (Ops) and Kuldeep Kumar, Asstt. Sub-Inspector, Patiala, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th July, 1990

G. B. PRADHAN
Director.

No. 106-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Harbhajan Chand,
Supdt. of Police (Ops),
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 30-3-1990, information was received that extremists were hiding in a farm house in village Sanghna, P.S. Sadar, Amritsar. They fired on a CRPF Post and T. V. Transmission Centre, Basarka Gillan on the night of 29-3-1990. Accordingly, Shri Harbhajan Chand, Suptd. of Police, Operations, Amritsar and Dy. Commandant, 93 Bn. CRPF were asked to organise combing operation in the said area.

On 31-3-1990 at about 9.30 AM a joint combing operation of Punjab Police and CRPF personnel was organised to search the farm houses of village Sanghna. At about 10.15 AM when Shri Harbhajan Chand alongwith police/CRPF personnel reached near the farm house of one Gulzar Singh, the extremists fired on the Police/CRPF parties from the 1st floor of the farm house. The police parties immediately cordoned the farm house and retaliated the fire in self defence. In the meanwhile three of the extremists ran towards villages Ibban and Basarka Gilan, while firing on the police party. They were chased by police/CRPF parties, whereas the remaining extremists continued heavy firing on the police/CRPF parties from the 1st floor of the said farm-house. The police party under the command of Shri Harbhajan Chand returned the fire with LMG and also fired grenades on the extremists with G.F. Rifles. The exchange of fire continued till 3.00 PM, thereafter firing from the extremists side stopped. During the search of 1st floor of the farm-house, two dead bodies of extremists were found in a room.

One of the extremists, who ran towards village Basarka Gillan was chased by Deputy Supdt. of Police, Rural and SHO, P.S. Sadar, Amritsar. The terrorist was killed in the encounter, his dead body was later recovered from the fields. In the exchange of fire, one civilian was also killed. The dead terrorists were later identified as Surinder Singh alias Chhinda, Prem Singh and Sulakhan Singh. During search 2 AK-47 Assault Rifles, one .12 bore DBBL Gun, 1 Mini Rocket Launcher and other articles were recovered from the encounter.

In this encounter Shri Harbhajan Chand, Supdt. of Police (Ops), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30th March 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 107-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Rakesh Kumar, (*Posthumous*)
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Tarn Taran.

Shri Lakhbir Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 9-12-1991, SHO, P. S. Jhabal received information about the presence of dreaded extremists in village Claggobua and with the assistance of Army every house and other places were searched but they could not locate the extremists. On the next day i.e. 10-12-1991, SHO, P. S. Jhabal informed Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran, who with the asistance of Army Officers took stock of the situation and search operation started at 8 A.M. Shri Khubi Ram observed some thing fishy and suspicious movements in a house and rounded up the woman and questioned her about the presence of extremists and who disclosed about the presence of Balwinder Singh alias Binda, self styled Deputy Chief of KCF alongwith his accomplices armed with sophisticated weapons inside a bunker. Shri Khubi Ram and Army Officers after thorough survey of the situation of the bunker, the house was cordoned off. The extremists were asked to surrender but they opened fire on the search party.

Shri Khubi Ram alongwith S/Shri Rakesh Kumar, ASI and Lakhbir Singh, Head Constable climbed on the roof of the house and lobbed grenades with a view to break the bunker but the extremists inside the bunker did not yield. Thereafter, Shri Khubi Ram alongwith his gunmen advanced towards the roof under which the bunker was situated, then they located the door of the bunker with the help of torch light. Shri Khubi Ram lobbed the grenade and came out from the room. After few seconds grenade exploded, suddenly one extremist came out from the bunker and fired indiscriminately at the police personnel. ASI Rakesh Kumar and HC Lakhbir Singh quickly returned the fire with their weapons. As a result of heavy firing from the extremists side, S/Shri Rakesh Kumar and Lakhbir Singh sustained bullet injuries but they continued heavy firing on the extremists to neutralise their attack. Both of them faced the situation under tense circumstances, repulsed every attempt of the extremists and compelled them to come out from the bunker and finally managed to kill one of the extremists but they also succumbed to their injuries.

Due to heavy firing by Shri Khubi Ram by taking cover of a nearby wall compelled the other extremists to abandon the bunker. In a tactful manner one of the extremists made an abortive attempt to break away the security cordon and started running out of the house. The fleeing extremists opened fire on the police personnel and Lt. Colonel of Army was injured. Shri Khubi Ram with his gunmen chased the extremist without caring for his personal safety took position behind a wall and fired from his automatic weapon and killed the fleeing extremist on the spot, who was identified as Balwinder Singh alias Binda. He was a hard-core listed extremist and was so called Deputy Chief of KCF (Zaffarwal Group). During search one AK-47 Rifles, one SLR and large quantity of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Rakesh Kumar, Ass't. Sub-Inspector of Police and Lakhbir Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 108-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Avtar Singh, (*Posthumous*)
Sub-Inspector,
P.S. Jandiala, Dist. Majitha.

Shri Harpal Singh,
Head Constable
P.S. Jandiala, Dist. Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 16-3-1992, an information was received that some terrorists were hiding in the house of Mukhtiar Singh of Dashmesh Nagar. Sub-Inspector Avtar Singh and Head Constable Harpal Singh alongwith other Punjab Police and Para Military personnel raided the house in the early hours. The house was cordoned of and members of the house were asked to assemble in the court yard. When the police party under the command of Shri Avtar Singh tried to enter the house, the extremist who was hiding inside one of the rooms fired heavily from sophisticated weapons on the police party. A a result of this, S/Shri Avtar Singh and Harpal Singh were injured. But this did not affect the moral of determined police officers and they continued to fight with the terrorist. S/Shri Avtar Singh and Harpal Singh returned the fire in self defence. Seeing that the extremist was still firing, Shri Harpal Singh exposed himself, risked his life, advanced towards the extremist and fired effectively on him. As a result of this the extremist was killed. In the meantime, S.I. Avtar Singh fell down and died on the spot due to gun shot injuries. The dead extremist was later identified as Nirvail Singh alias Dhodi. He was listed hard-core extremist and was involved in a large number of heinous crimes. During search one AK-47 rifle, one Mouser 5" and a large quantity of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Avtar Singh, Sub-Inspector and Harpal Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16th March, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 109-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Kanwaljit Singh,
Supdt. of Police (Rural),
Hoshiarpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 26-5-1992, Shri Kanwaljit Singh, Supdt. of Police, Rural, Hoshiarpur received information that two terrorists with sophisticated arms and ammunition had taken shelter in the house of one Harbhajan Singh, Village Haler, P. S. Dasuya. He immediately passed on the information to Shri Dinkar Gupta, SSP, Hoshiarpur. Shri Dinkar Gupta ordered all the available officers to reach P. S. Dasuya and he also called re-enforcements from the Army and BSF.

Shri Dinkar Gupta decided that the Army column under the command of a Major would move in from two sides and form the outercordon of the said village. The BSF party under the command of a DSP would form the inner cordon of the village. After ensuring that both the cordons were complete, the assault party consisting of S/Shri Dinkar Gupta and Kanwaljit Singh alongwith other officers and their gunmen charged into the village on the vehicles at lightening speed. As per plan the vehicles were arranged in such a manner that each officer covered a specific side of the house alongwith their gunmen. All the officers took positions around the suspected house (which was in fact an 'L' shaped complex of 3 houses joined together wall to wall and connected from inside). Shri Kanwaljit Singh got on to the roof of the house from the side wall.

Shri Gupta asked the hiding terrorists, through the public address system to come out and surrender but the terrorists responded with heavy firing from their automatic weapons straight towards Shri Dinkar Gupta who luckily escaped unhurt. He did not lose his nerves, kept cool, assessed the location and position of firing terrorists and snatched a GPMG from one of his gunmen and fired towards the hiding terrorists. At this the terrorists changed their position and managed to come towards the direction where Shri Kanwaljit Singh had taken position. While the terrorists saw the police personnel, they fired automatic bursts at Shri Kanwaljit Singh, he ducked and crawled for cover towards another direction. Shri Gupta realised that Shri Kanwaljit Singh and his party were trapped and were under heavy fire. Shri Gupta without caring for his personal safety dashed towards the 10 feet away wall, fully exposing himself to the fire of the terrorists, in a desperate bid to evacuate his trapped colleagues. Due to this clever manouvre, he managed to distract and disengage the terrorists from Shri Kanwaljit Singh, thus saved his life by risking his own life. In the process, Shri Gupta reached a very tactical position on top of adjoining building on the opposite side where Shri Kanwaljit Singh was trapped. He then directed heavy fire to the terrorists which gave a chance to Shri Kanwaljit Singh to reach a secure position. Shri Gupta then directed Shri Kanwaljit Singh to move on top of the 3 room set which were connected together from inside and enable the terrorists to shift their position. The terrorists kept on firing intermittently through the windows of the room in all direction. Shri Gupta and other officers returned effective fire on the terrorists.

In the meantime, Shri Kanwaljit Singh fired long bursts of LMG in the roof of the house, which was of conventional mud and tiles and made a hole. Using the opportunity, the terrorists fired through the hole of the roof but Shri Kanwaljit Singh narrowly escaped. He then took one AK-47 rifle from one of his gunmen and fired automatic bursts on the terrorists through the hole. But the terrorists shifted their location and they kept on firing in all directions through doors and windows. The terrorists then tried to escape by desperately firing, repeated volleys of fire towards the direction where Shri Gupta had taken position. The intensity of fire was so heavy that a corner of the roof wall was blown off where Shri Gupta had taken position and he had to change his position. Shri Gupta unnerved gave a tough resistance and pinned down terrorists in the same hiding place.

Thereafter, hand-grenades were lobbed into the house by Police and BSF personnel. As a result of grenade bursts and firing of various weapons, the house-hold goods caught fire emitting a lot of smoke. This heat and smoke made the stay of terrorists inside the house untenable and one of them emerged out from one of the rooms, while firing a long burst of AK-47 rifle at Shri Dinkar Gupta. Shri Gupta was ready and waiting for this opportunity, without losing any time, he fired at the terrorist, who was badly injured and fell down in front of the threshold.

On seeing this Shri Kanwaljit Singh quickly moved to another direction, kept vigil on the other door, where he noticed the second terrorist moving towards the door and trying to escape. Shri Kanwaljit Singh, immediately took position and fired at the second terrorist with his AK-47 rifle, who fell near the door and died. In the above encounter which lasted for about 3½ hours, S/Shri Dinkar Gupta, SSP and Kanwaljit Singh, SP (Rural) faced the terrorists bullets and grenades bravely without caring for their lives and killed two terrorists.

During search two AK-47 rifles, two magazines, 80 live cartridges, cyanide capsules, 10 letter pads of KCP (Panjwar) and two bags of ammunition were recovered from the place of encounter. Later the two dead terrorists were identified as Joginder Singh alias Jindu (Area Commander of KCP-Panjwar) and Onkar Singh alias Pheela alias Master.

In this encounter Shri Kanwaljit Singh, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 110-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Balbir Singh,
Sub-Inspector of Police,
Tarn Taran.

Shri Gurbachan Singh,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 8-5-1992, Shri Khubi Ram, Supdt. of Police (Operations), Tarn Taran got information about the presence of a group of dreaded extremists in the villages Mughal Chack and Jandoke Sarhali. The reliable source further intimated that the extremists were planning to commit a major crime in District Tarn Taran in the evening.

Shri Khubi Ram immediately passed this information to SSP, Tarn Taran. He directed ASI Gurbachan Singh SHO City, SI Balbir Singh, Incharge Police Post Town, Tarn Taran and other police personnel to assemble at P.S. Sadar, Tarn Taran. The Deputy Supdt. of Police, 75 Battalion, CRPF was also directed to bring his force at P.S. Sadar. All the police personnel under the command of Shri Khubi Ram rushed towards Village Mughal Chack. In the meantime SSP, Tarn Taran reached the village and took stock of the situation. Initially it was decided that the areas of villages Mughal Chack and Jandoke Sarhali be surrounded but Shri Khubi Ram suggested that a lot of time will be spent on the cordoning scheme and the possibility of escape of extremists cannot be ruled out, because the extremists will come to know of police presence.

Keeping in view the suggestion of Shri Khubi Ram, a preliminary oral interrogation was held from some villagers about the presence of extremists. As a result of this it came to light that the extremists with sophisticated weapons and ammunition were seen by the residents of village Mughal Chack, going towards the farm-house of the Sarpanch of the village. All the force was divided in four different parties. Shri Khubi Ram alongwith SI Gurbachan Singh and SI Balbir Singh and other personnel were deputed to cordon the Mughal Chack to Patti Road and drain side as it was a possible escape route of extremists. Other police party under the command of SP, Headquarters and DSP, Lines was detailed to cordon the adjoining farm houses of villages Rure Assal and Jandoke Sarhali. When the forces were cordoning the farm houses and drain sides, the extremists came to know about the presence of police personnel. They ran towards drain side. The police party under the command of Shri Khubi Ram challenged the fleeing extremists but they entered inside the high banks of drain and took position and fired towards the police parties. Shri Khubi Ram alongwith police party took lying position and directed SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh to surround the extremists from their back side. S/Shri Balbir Singh and Gurbachan Singh without caring for their personal safety and security ran towards the assigned place. In the exchange of fire, one of the extremists received bullet injuries and the extremists ran towards the bridge of the drain in the cover of banks of drain. They took positions behind the pillars of the bridge and fired on the police parties. S/Shri Balbir Singh and Gurbachan Singh chased the extremists.

Shri Khubi Ram and his party was in the open area and were in the very close range of extremists. The extremists threw grenades on the party of Shri Khubi Ram but they escaped unburnt. Then Shri Khubi Ram directed his party personnel to take positions in the ditches on the ground. When the extremists were fighting with the party of Shri Khubi Ram, SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh took position by crawling on the back side of the extremists and fired on them. When the extremists were attracted towards their firing then very quickly Shri Khubi Ram lobbed grenades on the extremists and his party personnel directed heavy fire on them. Thereafter; Shri Khubi Ram took a LMG and discriminately fired on the extremists. As a result of the firing by Shri Khubi Ram, SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh on the extremists, the extremists could not fight longer and were killed at the spot. During search 2 dead bodies of extremists were recovered, one of them was identified as Baldev Singh alias Gadder but the other remained unidentified. During search 2 AK-47 Rifles, 2 magazines of AK-47, 3 HE-36 Hand Grenades, 6 Stick Bombs and 85 empties of AK-47 were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Balbir Singh, Sub-Inspector of Police and Gurbachan Singh, Asstt. Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These adwards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 111-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Baldev Singh,
Sub-Inspector of Police,
P.S. Sunam, Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 6-8-1991, Sub Inspector, Baldev Singh, SHO, P. S. Sunam received information that some armed terrorists were hiding in the farm house of one Gurjant Singh, Village sheron, P.S. Longowal. He immediately rushed to the said farm house alongwith the available force. The force was devided into four contingents and deployed around the farm house.

S.I. Baldev Singh directed the terrorists to surrender but the terrorists opened fire on the police parties with their automatic weapons. Shri Baldev Singh ordered the police parties to take positions and returned the fire in self defence. The exchange of fire continued for about half an hour Thereafter, one terrorist armed with AK-47 Assault rifle came out from one of the rooms and fired a bullet at Shri Baldev Singh and a constable from a close range but they had a mireculous escape. They ducked and took position behind an earth protection. While facing the fire, Shri Baldev Singh fired a powerful burst hitting the terrorist. As a result of fire by Shri Baldev Singh the terrorist fell down and died on the spot.

Thereafter, he informed about the encounter to senior police officers and adjoining police stations through wireless and asked for re-enforcements. Then Shri R. P. Meena, S.P. (Detective), Addl. SP, Dy. SP Sunam and Dy. SP, 23rd Bn, CRPF alongwith their force reached the spot.

On reaching the place of encounter, Shri R.P. Meena took command of the operation and deployed the force on roof tops and asked the terrorists, on loud speaker, to surrender. Thereafter, hand-granades were lobbed into the room of the farm house, as a result of this another terrorist with 7.62 Rifle came out firing towards the first cordon and was killed with the shots fired by Shri R.P. Meena.

In the meantime, SSP, Sangrur with his staff and tear gas squad and Assistant Commandant, 23rd Bn., CRPF reached the spot and SSP, Sangrur took command of the operation. The terrorists were again called on the loud speaker to surrender but to no effect. Then holes were made in the roof of the rooms from where the terrorists were firing and tear gas shells were lobbed into the rooms. Another terrorist came out with .303 Rifle and started firing towards Shri R.P. Meena. Shri Meena and the officer at roof top collectively fired bursts and the terrorist was shot dead. After

that it was noticed that fire was still coming from another room of the farm house. As directed by SSP, Sangrur the back wall of this room was broken with the help of the bullet-proof tractor. On this action, one more terrorist with .12 bore gun came out and fired towards police parties on the roof top. The police parties returned the fire and and this terrorist was also killed.

During the early stages of the cordon one terrorist armed with AK-47 Rifle escaped towards the field due to injuries in the exchange of fire. The patrolling parties were deployed for search of the terrorist and they found his dead body the next morning.

In the encounter, in all five terrorists were killed who were identified as 1. Sarjit Singh alias Sital, 2. Darshan Singh, 3, Jaswinder Singh alias Bhilla, 4. His identiyt could not be identified, 5. Porgat Singh. During search 1 AK-47 Assault Rifle, one 7.62 Rifle, one .303 Rifle, one .12 bore DBBL Gun, two snatched scooters and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Baldev Singh, Sub-Inspector of police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th August 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 112-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Nagour Singh,
Sub-Inspector of Police,
P.S. Makhu.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13th December, 1991, on the basis of a secret information, Assistant Sub-Inspector of Police, P.S. Zira alongwith force was going to village Butter Roshan Shah to search some sugarcane field where some extremists were hiding after committing crime. On seeing the police, the extremists started firing on the bullet-proof Gypsies of Police Parties. On this, police personnel took position and returned the fire in self-defence. As the area of sugarcane field was very large, wireless message was passed on to other units to reach the spot.

The Army Brigade immediately reached the spot. Some more forces of BSF and CRPF also called on the spot. Military and Para Military forces cordones the whole area. In the meantime, Inspector, CIA, Zira also reached the spot alongwith his force and bullet proof tractors from Ghall Khurd, Dharmkot, Zira and Mallanwala. Three bullet proof tractors with 4-5 personnel in each tractor were directed to search the different sugarcane fields.

When the tractor of Shri Nagour Singh was coming out of sugarcane field towards the fields of 'Toria', two extremists started heavy firing on the police party as a result of which Sub-Inspector Nagour Singh and SPO Kabal Singh were injured. Inspite of injuries, S.I. Nagour Singh daringly took prompt action and fired on the extremists with his SLR as a result of which both the extremists were injured and entered the sugarcane field. Thereafter, S.I. Nagour Singh and SPO Kabal Singh were rushed to Civil Hospital, Zira for treatment. Remaining two bullet-proof tractors carried out search and they found two dead bodies of extremists. The dead extermists were indetified, as Baj Singh and Major Singh. Both were involved in about 50 killings, extortion and kidnapping cases in Kapurthala and Ferozepur districts.

In this encounter Shri Nagour Singh, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 113-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Rattan Lal Moonga,
Deputy Supdt. of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22nd May, 1992, Senior Supdt. of Police, Amritsar received information about the movement of hard-core terrorists in the area of city Amritsar who were planning to commit sensational crime to create terror. He ordered the senior police officers to organise special nakabandi on strategic points. Shri Rattan Lal Moonga, Dy. Supdt. of Police alongwith his gunmen was on the special nakabandi duty at Brahm Buta Market. At about 2.15 P.M. three suspected terrorists were seen coming from chowk Parag Dass side towards Sarai Guru Ram Dass, riding on a red coloured Yamaha motorcycle. Shri Moonga signalled them to stop but the terrorists opened fire on the police party with mousers and also lobbed a stick bomb causing serious injuries to Shri Moonga, one Constable and a Driver. Unmindful of injuries and without caring for his personal safety, Shri Moonga opened fire on the terrorists. As a result of this two terrorists were killed. However, the third terrorist managed to escape. During search 2 mousers, one stick bomb, 9 live cartridges and Yamaha motorcycle were recovered from the place of encounter. The dead terrorists were indentified as Narwinder Jit Singh and Mandip Singh. They belonged to Babbar Khalsa and were responsible for many bomb blasts in the Amritsar City.

In this encounter Shri Rattan Lal Moonga, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 114-Pres/94.—The President is pleased to award to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Iqbal Preet Singh Sahota,
Asstt. Supdt. of Police,
Malerkotla.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-6-1991, information was received at about 6.45 P.M. at Police Station Malerkotla that two extremists armed with automatic assault rifles were hiding in the farm house of one Nirmal Singh, village Bunga on Malerkotla-Jarg road. Immediately Shri Iqbal Preet Singh Sahota, Asstt. Supdt. of Police, Malerkotla directed SHO P.S. Malerkotla, SHO P.S. Amargarh and the BSF Unit to assemble in PWD Rest House, Malerkotla. On reaching there, he briefed the police/BSF personnel.

Then Shri Sahota alongwith force reached village Bunga and tactically cordoned the farm house from two sides. The force was divided into three sections and deployed on two sides of the farm house. One group of police personnel headed by Shri Sahota took position on the roof top opposite to the rooms where the terrorist were hiding. Second group of BSF headed by Sub-Inspector Shri Bidhi Chand took position in bullet proof vehicle on an angular place in the farm house wall opening the front. Third group of BSF took position on the rear of the farm house. After assessing the situation Shri Sahota challenged the terrorists and inmates to surrender. The family of Nirmal Singh came out with raised hands but the terrorists did not surrender. The terrorists started firing at the police party with automatic weapons. Shri Sahota positioned in front side of the house, had a narrow escape during the first brust fired by the terrorists. He then ordered the force at this command to fire on the terrorists from all sides. The exchange of fire continued for about 4 hours. Shri Sahota then informed Senior officers at Sangrur Headquarters about the encounter.

The Senior Supdt. of Police Sangrur alongwith Tear Gas Squad reached there. They again asked the terrorists on loud-speaker to surrender but they responded with firing. After sometime, a police party reached the roof top of the farm house and lobbed tear gas shells and HE 36 grenades by making holes in the roof of the house. On this, the household goods caught fire and one of the terrorists came out and started firing on the party of Shri Sahota and BSF party. Shri Sahota with his AK-47 Rifles and SI Bidhi Chand with stengun returned the fire and other police parties fired with LMG on the terrorists. As a result of this the terrorist was killed. Thereafter the firing from the terrorists side stopped. During search one dead body of the extremist was found in the compound of the farm house and another dead body was found burried in the debris of fallen roof. During search 2 AK-47 Rifles with one drum magazine, one 9 mm pistol with 50 live cartridges of AK-47, three magazines and a scooter were recovered from the rooms of the farm house. The killed terrorists were identified as Jagrup Singh and Jagjit Singh who were involved in the murderous attack on Shri D. S. Mangat, DGP, Punjab, Shri O. P. Malhotra, former Governor of Punjab in Ludhiana, Shri Subodh Kant Sahay, former Minister of State in the Ministry of Home Affairs and were also responsible for killing of innocent persons.

In this encounter Shri Iqbal Preet Singh Sahota, Asstt. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th June, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 115-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of Officers

Shri Sanjiv Kalra,
Asstt. Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Shri Balkar Singh,
Sub-Inspector of Police,
Tarn Taran.

Shri Ramesh Chander,
Constable,
Tarn Taran.

Shri Kamaljit Rai,
Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-4-1992, Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran received information about a group of terrorists hiding in a farm house at village Lalpura. He immediately directed Shri Sanjiv Kalra, ASP, Tarn Taran and SI Balkar Singh, SHO Sadar, Tarn Taran alongwith their personal staff to rush to the spot.

On reaching there, Shri Khubi Ram took stock of the situation and formed different police parties. Shri Kalra and SI Balkar Singh were directed to make a wide cordon around the fields of village Lalpura, Warana and Dhotian. Shri Khubi Ram directed them to tight the cordon step by step. In the meantime the extremists saw the police parties. They immediately took a tractor and tried to escape from the cordon in the dress of farmers. Shri Khubi Ram observed that the extremists were trying to deceive the police. He immediately directed Shri Kalra to stop the tractor with his force and check the riding persons.

When Shri Kalra alongwith his party moved towards the rough track on which the tractor was coming, the extremist saw the police party, they left the tractor and entered in the wheat fields. The particular field was tightly cordoned and a police party under the command of Shri Khubi Ram started to search the fields. When the party reached near the extremists, the extremists started indiscriminate firing on the police party. Shri Khubi Ram, Shri Sanjiv Kalra and SI Balkar Singh alongwith their gunmen immediately took lying positions in the fields. Shri Khubi Ram, then directed Shri Kalra and SI Balkar Singh to cordon the field from right and left flank, he also directed the police parties not to fire without his directions to avoid any mishap to the members of the force. Shri Khubi Ram alongwith his gunmen advanced towards the extremists by crawling and fired on a exrtemist who was firing on the police parties from very close range. When the dying extremist cried dangerously his two companions also tried to escape from their positions. When they were trying to escape Shri Kalra fired on the fleeing extremists. Shri Khubi Ram and SI Balkar Singh also chased the fleeing extremists and fired on them from very close range and eliminated both of them at the spot.

In the meanwhile another group of terrorists who was hiding in the nearby fields heard the sound of firing and they thought that police is firing on them. They also started firing on the police parties. Shri Khubi Ram then detailed some police personnel to watch the dead bodies of extremists and he alongwith his gunmen immediately advanced towards the place from where the firing was coming. He directed Shri Kalra and SI Balkar Singh to cordon the field with their forces. After cordoning the field, the police parties returned heavy firing on the extremists under the directions of Shri Khubi Ram but firing from the extremists side continued. Then Shri Khubi Ram and Sanjiv Kalra directed their two gunmen to advance towards the extremists by crawling. S/Shri Ramesh Chander and Kamaljit Rai Constables (Gunmen) advanced towards the positions of extremists and fired on them from close range but the extremists kept on firing on the police parties. S/Shri Ramesh Chander and Kamaljit Rai saw that the extremists were hiding in a ditch and the bullets fired by the police parties were not hitting them, they intimated Shri Khubi Ram about the positions of extremists. Shri Khubi Ram directed Shri Kalra to climb on a roof of a farm house. Shri Kalra and Kamaljit Rai climbed on the roof top and took lying position. In the meantime, Shri Khubi Ram, SI Balkar Singh and Constable Ramesh Chander through a distributory of water reach-

ed near the extremists positions. Then, Shri Khubi Ram directed Shri Kalra on wireless to fire on the extremists. The bullets fired by Shri Kalra and Constable Kamaljit Rai hit the extremists and they came out from the ditch. On this, Shri Khubi Ram, SI Balkar Singh and Constable Kamaljit Rai fired on the extremists and killed both of them.

In the encounter in all five extremists were killed, who were identified as (1) Harbhaj Singh alias Bhaja alias Synide, (2) Balwinder Singh; (3) Mukhtiar Singh alias Mukha; (4) Jodha Singh and (5) Ram Singh. During search 1 GPMG, 2 AK-47 Rifles, one .30 bore Rifle, 1 SBBL Gun, 2 magazines of GPMG, 2 magazines of AK-47 and 140 cartridges of AK-47 were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Sanjiv Kalra Asstt. Supdt. of Police, Balkar Singh, Sub-Inspector of Police, Ramesh Chander, Constable and Kamaljit Rai, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th April, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 116-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Sukhdev Singh,
Deputy Supdt. of Police,
District Bhatinda.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-6-92 Shri Sukhdev Singh, Dy. Supdt. of Police, Phul was carrying out search operations of Deras and Tubewells between villages Lehra Mahobat and Chak Bakhtu. At about 12.30 P.M. Shri Sukhdev Singh noticed four sikh youths riding on two motorcycles coming from village Chak Bakhtu. He ordered his men to take positions and laid an abmush. As they came near the ambush site, they were signalled to stop. Seeing the police, the suspected persons stopped their motorcycles, took positions and started firing on the police party. Shri Sukhdev Singh immediately ordered his men to return the fire in self-defence. Seeing the pressure from the police side, the extremists tried to escape towards village Lehra Mahobat, while firing on the police personnel. Shri Sukhdev Singh and his men chased them and challenged them to surrender but they kept on running and firing on the police party. The police party chased the extremists for about 1 kilometre and came close to them, constantly challenged them while firing at them on the way. The extremists took position near the tubewell of one Darshan Singh and started firing on the police party. The police personnel also took positions and a stiff encounter took place. Shri Sukhdev Singh actively and tactically tackled the encounter and gave directions to his men. The encounter continued for one hour, thereafter firing from the extremists' side stopped. The area was cordoned off and search was made. Three bullet ridden bodies of the extremists were recovered, while the fourth extremist managed to escape. Shri Sukhdev Singh immediately flashed a message to the adjoining police stations with the directions to fan out police parties to locate the escaped extremist. The message bore fruit and the police parties were able to locate the extremist and succeeded to gun him down in village Rajgarh Kubai, P. S. Maur after a brief encounter. The dead extremists were later identified as Darshan Singh (a listed hardcore and self-styled Lt. Genl. of KCF Panjwar), Harpinder Singh (self-styled area commander of KCF Panjwar), Jasbir Singh and Sukhwinder Singh @ Fauji. During search 4 AK-47 rifles, 6 magazines of AK-47, 40 Zelotion sticks (explosive material), 220 live cartridges and two motorcycles were recovered from the place of encounters.

In this encounter Shri Sukhdev Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th June 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 117-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Gurnam Singh,
Deputy Supdt. of Police (Detective),
Patiala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-6-92 at 10.00 A.M. an inter-State meeting of Police Officers was fixed in the office of SSP, Patiala. As there was reliable information about the movements of terrorists in Patiala City, extensive search and combing operations ordered. Nakas were established at strategic points to check the movements of suspicious persons. Shri Gurnam Singh, Deputy Supdt. of Police (Detective) was made incharge for the checking of Nakas and other security arrangements.

At about 10.30 hours, Shri Gurnam Singh alongwith his escort party was coming after checking the Naka at Ayurvadic College. When they reached the crossing ahead of the College, one scooterist came from the link road of village 'Main' and he was signalled to stop. Instead of stopping, he sped away on his scooter. Shri Gurnam Singh stopped a Maruti car coming from behind, took half of his escort party and chased the scooterist. He himself drove the car directed the remaining escort party to chase the scooterist in the official vehicle from a different direction. Shri Gurnam Singh also alerted all the naka points in the city on the wireless to apprehend the scooterist.

When Shri Gunam Singh reached near Y.P.S. Chowk chasing the scooterist, the scooterist slowed down, took out his AK-47 rifle and started firing at the chasing police party. The police party also returned the fire in self-defence. When the terrorist did not stop firing, he was hit by the Maruti car. In the process the terrorist fell down from the scooter and was injured. His rifle fell down from his grip. Shri Gurnam Singh got down from the car and alongwith his men crawled and tried to reach near the injured terrorist to apprehend him. Shri Gurnam Singh crawled forward and picked up the rifles from behind the terrorist. When Shri Gurnam Singh tried to lift the terrorist from the ground, he suddenly grapped with Shri Singh and also tried to snatch the rifle. As the terrorist was well-built, Shri Gurnam Singh showed presence of mind and removed the magazine of the rifle, while other police personnel over-powered the terrorist. He was immediately removed to the hospital but on the way he succumbed to his injuries. The killed terrorist was later identified as Harbhajan Singh @ Mand. In the process of grappling and hitting the terrorist by the Maruti car, Shri Gurnam Singh also sustained injuries in his leg, thigs, left hand and chest.

In this encounter Shri Gurnam Singh, Deputy Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th June, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 118-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of Officers

Shri Gurbhinder Singh,
Sub-Inspector of Police,
SHO, P.S. Majitha.

Shri Satinder Singh, (*Posthumous*)
Constable,
P.S. Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-9-1992 a police party under the command of SI Gurbhinder Singh, SHO, P.S. Majitha was present in the area of Village Spariwind in connection with raids and searches of bad elements in the suspected farm-houses. There, Shri Gurbhinder Singh received information that dreaded extremist Gurjit Singh alongwith his associates are holding a meeting in the Gurdwara of Village Bhaini Lidhar and may commit some major crime. On receiving the information, different police parties were formed under the command of Shri Gurbhinder Singh to cordon the hide-out of extremists in the said village. Shri Gurbhinder Singh alongwith the police party went forward to conduct raid on the Gurdwara but on seeing the police party, the extremists hiding inside the rooms started heavy firing on the police party. Shri Gurbhinder Singh alongwith a small poses took strategic positions and returned the fire in self-defence. Simultaneously, he informed hte Senior police Officers about the incident on wireless. The extremists taking advantage of dense population, scaled over the Gurdwara wall and entered into the nearby houses. Exchange of fire continued intermittently. In the meantime, SSP, Majitha alongwith police force also reached and further strengthend the cordon around the village.

When Shri Satinder Singh advanced towards the position of the etremists, a heavy volume of fire from automatic weapons was directed at him. As a result, he was seriously injured. Inspite of multiple injuries, he did not lose courage and returned the fire and did not allow the extremists to escape. The extremists concentrated their heavy fire on Lanco Constable Satinder Singh. The police party was finding it difficult to evacuate the injured Shri Satinder Singh. Shri Gurbhinder Singh without caring for his personal safety, scaled over the nearby wall and evacuated the injured Constable amidst the heavy exchange of fire. But Shri Satinder Singh succumbed to his injuries on way to Hospital.

Under the directions from SSP, Majitha, SI Gurbhinder Singh and his party returned the fire on extremists with determination. Hand grenades were also lobbed on the extremists. The exchange of firing continued for about two hours. Thereafter, firing from the extremists side stopped. During search 4 dead bodies of extremists were recovered, who were indentified as Gurjit Singh (self-styled Lt. Genel., Babbar), Ashok Kumar *alias*, Billa, Harmit Singh *alias* Ladhi and Ranjit Singh Rana. During search 1 SLR, 1 AK-47 Rifle, one .303 Rifle, .455 bore revolver and large quantity of ammunition of different bores were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Gurbhinder Singh, Sub-Inspector and Shri Satinder Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them special allowance admissible under rule 5 with effect from 24th September, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 119-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Satnam Singh,
Head Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-4-1992, Shri Ajit Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran received information that a gang of dreaded extremists was moving in the area of village Khojkipur, P.S. Verowal. He directed SP (Ops), Tarn Taran, SHO, P.S. Verowal and other police contingents to surround the area and carry out thorough search.

In the meantime, Shri Ajit Singh contacted the Commanding Officer of 2nd Battalion Dogra Regiment, Fatehabad, Commandant, CRPF Fatehabad and Dy. Supdt. of Police, Goindwal Sahib and intimated them about the situation. All these officers alongwith their respective forces reached the spot. Shri Ajit Singh took survey of the farm house of one Balwinder Singh of village Khojkipur. In the meanwhile, they came to know that a bunker was situated in the farm house of one Balwinder Singh in which one extremist armed with sophisticated weapons was hiding.

Shri Ajit Singh divided the force into different parties and detailed them on different sides of the farm house. A party under the command of Shri Ajit Singh advanced towards the farm house on a bullet-proof tractor and challenged the extremists to surrender, but the extremist did not care for it. Then Shri Ajit Singh alongwith his gunman Head Constable Satnam Singh came down from the tractor and quickly took positions behind a small wall of the kitchen of the farm house. They again challenged the extremist to surrender but on seeing the police personnel the extremist started indiscriminate fire on S/Shri Ajit Singh and Satnam Singh. They also returned the fire with their service weapons. Shri Ajit Singh and HC Satnam Singh then lobbed grenades on the place of hiding. The grenades fell down in the hole of bunker and after few seconds the grenades blasted. Due to heavy smoke and suffocation in the bunker, the extremist was compelled to come out from the bunker. He came out and tried to escape, the police parties fired on the fleeing terrorist. In this heavy firing by Shri Ajit Singh, HC Satnam Singh and other police personnel, the fleeing terrorist took position near a fodder place of cattles and started firing on the police parties. As the firing of the police parties were proving to be ineffective, it was decided to send an advance party. A party consisting of NK Raghubir Singh, L/NK Surender Singh alongwith six others were placed under the Command of A/C 36 Bn., CRPF to advance near the terrorist and neutralise him. This party after quick appreciation of the whole situation and as per strategy with great courage and unmindful of the risk the party advanced towards the terrorist with NK Raghubir Singh and L/NK Surender Singh in the vanguard of the party adopted fire and more tactics and advanced towards the farm house, all the time firing at the terrorist. As this party was about to reach the farm house, the terrorist who was hiding, suddenly opened heavy fire on the advance party and as NK Raghubir Singh and L/NK Surender Singh were in the fore front, the first blow firing from the terrorist took its toll. The bullets fired by the terrorist hit Naik Raghubir Singh of 36 Battalion, CRPF, as a result of which he died at the spot and Lance Naik Surender Singh of 75 Battalion, CRPF was serjously injured.

Unmindful of the risk involved both Shri Ajit Singh and HC Satnam Singh crawled towards the place from where the terrorist was firing on the police parties. They fired on the terrorist from very close range, as a result of which the terrorist was killed on the spot, who was identified as Jarnail Singh alias Jaila Booh. On search 1 AK .47 Rifle, 3 magazines of AK-47, 100 cartridges of AK-47 and 40 empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Satnam Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th April, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 120-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of Officers

Shri Gurdip Singh,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Patiala.

Shri Balkar Singh,
Head Constable,
Patiala.

Shri Bhag Singh,
Constable,
Patiala.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 4-9-1991 there was a specific information with Senior Supdt. of Police, Patiala that two terrorists are moving in white Gypsy in the area of Fatehgarh Sahib Sub-Division. Police parties under the supervision of SP Operations, DSP, Detective, Patiala and DSP, Fatehagarh Sahib were formed after thorough briefing by the SSP, Patiala. One of the Police party led by ASI Gurdip Singh alongwith Head Constable Balkar Singh, Constable Bhag Singh and other police personnel were detailed near village Sadhugarh on the main-highway between Rajpura and Sirhind.

At about 3.00 PM ASI Gurdip Singh and party noticed the particular Gypsy and they signalled them to stop. The Gypsy stopped and on being interrogated one of the occupants of the Gypsy fired on the police party. One of the bullets hit ASI Gurdip Singh one the left shoulder. He immediately took position and fired with his AK-47 Rifle towards the terrorists but they sped away at a very high speed. In spite of injuries, ASI Gurdip Singh and his party chased the fleeing terrorists and overtook the Gypsy of terrorists. As the terrorists took their Gypsy towards village Saidpura, the Gypsy overturned due to over-speeding. Seeing this S/Shri Gurdeep Singh, Balkar Singh and Bhag Singh alongwith other police personnel ran towards the terrorists but both the terrorists started firing towards the police personnel and ran towards village Saidpura. The police personnel kept on chasing the terrorists. In the meantime a message was flashed to the adioining police stations for reinforcement. The police party led by ASI Gurdip Singh also took position and started using hit and chase tactics. Shri Gurdeep Singh encouraged his team. Encouraged by their leader the police party moved towards the eastern side of village Saidpura where the terrorists had taken positions and challenged them. ASI Gurdip Singh warned the terrorists to surrender in response to which they raised their hands with their revolvers. When he approached them they started firing at him. On seeing this, H. C. Balkar Singh and Constable Bhag Singh fired towards the extremists to provide him Cover. Constable Karnail Singh (DVR) returned back the vehicle so as to enable them to get into the safety of the vehicle. When the vehicle neared the terrorist, they again fired 3/4 rounds on the front glass which was completely shattered. On finding the terrorists not surrendering, ASI Gurdeep Singh, HC Balkar Singh and Constable Bhag Singh fired burst at the terrorists and killed both of them on the spot. Terrorist Balwinder Singh Jattana was killed with the burst of AK-47 Rifle fired by ASI Gurdeep Singh and terrorist Charanjit Singh Channi was killed with the burst of arms possessed by HC Balkar Singh and Constable Bhag Singh. During search one Pak made .455 bore revolver, one .45 bore pistol, one Gypsy and other articles were recovered from the place of encounter. Both the terrorists were responsible for a large number of killing and bomb explosions in Patiala, Ropar, Hoshiarpur, Jalandhar, Ambala, Chandigarh and Ludhiana.

In this encounter S/Shri Gurdip Singh, ASI of Police, Balkar Singh, Head Constable and Bhag Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th September, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 121-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of Officers

Shri Balkar Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Jandiala.

Shri Amar Singh, (*Posthumous*)
Inspector of Police,
SHO, P.S. Jandiala.

Shri Rattan Jit Singh, (*Posthumous*)
Constable,
P.S. Jandiala.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17-4-1992, Shri Mohinder Singh of Amritsar was kidnapped by two extremists on gun point from the Bus stop Mannawala and was taken on a scooter towards village Jheeta-Kalan Via village Rajewala. On getting this information Shri Balkar Singh, Deputy Supdt. of Police, Jandiala alongwith force chased the extremists towards village Rajewala. In the meantwhile, Shri Balkar Singh passed on the information to Inspector Amar Singh, SHO, P.S. Jandiala and directed him to intercept the extremists. When the force reached near the farms of village Mehma, the extremists left Mohinder Singh in a farm snatched a cycle and ran away towards village Jheeta Kalan, while firing on the police personnel. Inspector Amar Singh and party tried to cordon the extremists from the side of village Pandori. The extremists started indiscriminate firing on the police party and hid in the wheat fields. One extremist took position and ambushed the police party as a result of which Inspector Amar Singh and Constable Rattanjit Singh got serious bullet injuries. They however, did not lose courage, advanced towards the extremists and killed one extremist. In the meantime, Shri Balkar Singh with his gunmen reached near the fields and opened fire on the other extremist. Shri Balkar Singh advanced towards the second extremist and killed him. The encounter laster for about half an hour. In the exchange of fire Constable Harjit Singh, Constable Vijay Kumar and Constable Rattanjit Singh received bullet injuries. Inspector Amar Singh was later found dead. The injured were rushed to hospital. Out of them Constable Rattanjit Singh later died in hospital. During search 1 AK-47 Rifle

with 2 magazines and 21 cartridges, 1 modern type dreaded weapon with 1 magazine and 22 cartridges and large number of empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Balkar Singh, Deputy Supdt. of Police, Shri Amar Singh, Inspector of Police and Shri Rattan Jit Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th April, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 122-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Naresh Kumar, (*Posthumous*)
Constable,
P.S. Chhaharta.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 30th October, 1991, some extremists abducted one Suresh Kumar owner of Himalaya Cloth Mill, Naraingarh, P.S. Chhaharta and one Som Nath, Accountant. They were got released from the extremists by CRPF personnel. A message was sent to P.S. Chheharta to send more force to apprehend the inmates who were hiding in the Mill. On receipt of information SHO, P.S. Chhaharta alongwith force (including Constable Naresh Kumar) reached the spot and cordoned the Mill building alongwith CRPF personnel. The extremists were warned to surrender but they opened fire with automatic weapons on the police personnel. Constable Naresh Kumar alongwith another Constable entered the finishing Section of the Mill from where both the terrorists were firing on the police personnel. Shri Naresh Kumar fired on the extremists, as a result of this one of the extremist was killed. Finding chance, the other extremist fired on Shri Naresh Kumar as a result of which he received serious bullet injuries. In the subsequent exchange of fire Shri Naresh Kumar was killed but before being killed he bravely killed the second extremist also.

During search one AK-47 Assault Rifle, one Mouser .20 bore, one magazine fitted with assault, 12 live rounds of AK-47, 30 empty rounds of AK-47 and 6 empty rounds of .30 bore Mouser were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Naresh Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently, carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30th October, 1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 123-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of Officers

Shri Ajit Singh,
Senior Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Shri Gurmit Singh,
Deputy Supdt. of Police (Detective),
Tarn Taran.

Shri Jarnail Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
Tarn Taran.

Shri Harjit Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 8th June, 1992, Shri Ajit Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran, received an information that a group of 8–10 terrorists armed with sophisticated weapons was present in the Haveli at Village Benia to commit heinous crimes. Police/Para-Military force contigents were immediately collected from various units and rushed to the spot under the command of Shri Ajit Singh, S.S.P. and Shri Khubi Ram, Supdt. of Police (Operations). The Haveli and village was tightly cordoned.

S/Shri Ajit Singh and Khubi Ram took stock of the situation and divided the force into different parties. Four parties were deployed to search the 1st floor of the Haveli under the command of Shri Ajit Singh, Shri Gurbachan Singh, SHO, City Tarn Taran (including Head Constable Harjit Singh and Head Constable Jarnail Singh). Shri Khubi Ram and one party under the command of Deputy Commandant of CRPF covered the flanks upstairs and started search of the first floor of the building. Shri Ajit Singh directed S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh to take position in the court yard of upper portion. The other police personnel were directed to carry out search in the rooms. The extremists observed that police had entered the building. They started firing in the courtyard of the building from the bunkers. S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh returned the fire, but as they were fully exposed, they were badly injured by the bullets fired by the extremists. Both of them quickly changed their positions and took position behind the pillars of the varandah and returned the fire, S/Shri Jarnail Singh and Harjit without caring for their personal safety reached near the hole of a room from where the extremists were firing on the police. They pushed barrels of their SLRs into the opening and fired inside. After some time, firing from inside the room stopped. In the meanwhile the other extremists who were hiding in other rooms, fired a burst on S/Shri Harjit Singh and Jarnail Singh. Although both of them were injured, they returned the fire as the extremists were in safe position, they were not successful. As a result of serious bullet injuries and heavy loss of blood, S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh both lost their lives while fighting with extremists.

In the meantime Shri Ajit Singh, very swiftly went to the roof-top of the building alongwith other personnel and started firing on the bunker. The extremists left the bunker, took positions in different rooms and continued firing on the police personnel on the roof. The exchange of firing continued for a long time without much success. Thereafter Shri Ajit Singh decided to come down and fight the terrorists. Then Shri Ajit Singh gave covering fire to enable Shri Gurmit Singh to come down. In the second attempt Shri Ajit Singh came down with the help of covering fire given by Shri Khubi Ram and CRPF personnel. In the third and fourth attempts Shri Khubi Ram and Deputy Commandant of CRPF also came down on the first fllor. They again reviewed the position and decided that all the rooms of first floor, where the extremists were hiding, should be individually covered by each officer alongwith his gunmen and fight the terrorists effectively. Then S/Shri Ajit Singh, Khubi Ram, Gurmit Singh covered the doors of these rooms, where the extremists were hidden. One of the extremists was firing from his GPMG from the room where Shri Ajit Singh alongwith his gunmen had taken position. When Shri Ajit Singh advanced towards his position, he cried for help and another extremist came to his assistance from the adjoining room. He fired with his AK-47 rifle on the police party but Shri Ajit Singh took position behind a wall. When he saw the extremists were trying to replace the magazines, Shri Ajit Singh and his gunmen immediately advanced and

fired on the extremists and killed both of them. Out of them, one was identified as Surjit Singh alias Behla, self styled Deputy Chief of BTFK (Manochahal Group). Similarly in another room CRPF personnel eliminated two extremists.

In the meantime, one group of extremists again entered the bunker and started firing on the police party but immediately Shri Khubi Ram with his party changed their positions and took position near the bunker wall. Thereafter, Shri Khubi Ram made a hole in the wall and lobbed grenades inside the bunker and also fired with his weapon on the extremists. Due to effective fire by Shri Khubi Ram, two extremists were killed, who were identified as Madan Singh alias Madi (Self-Styled Lt. Genl. of BTFK-Manochahal) and Skattar Singh (Area Commander of BTFK-Manochahal).

Another group of two extremists was trying to come down through the small gate in the stairs. The party led by Shri Gurmit Singh, took position alongwith his gunmen near the stairs and effectively fired on the extremists. As a result both the extremists were killed in the stairs.

In the meantime the Army troops also reached the spot while sporadic firing was still coming from inside the building. The Army cordoned the building and arranged heavy search lights so that no extremist could escape from the building taking advantage of the darkness. Shri Ajit Singh and other officers again took positions on the roof-top of the building so that the extremists may not climb on the roof and fire on the security forces. Firing from both sides continued throughout the night.

On the next morning, heavy fire was resorted to by the hiding extremists on the police parties from the side of the stairs. The Army, Police and CRPF personnel returned the fire. The Army personnel give covering fire and enabled all the officers on the roof to come down. In the meantime, one extremist came out of one of the rooms and started firing with his AK-47 rifle.

Shri Gurbachan Singh, who was in very close range, immediately fired a burst with his LMG and killed the extremist on the spot. Thereafter, firing from inside the building stopped. A search was carried out. During search, nine dead bodies of extremists were found from the different rooms of the building, who were later identified as (1) Surjit Singh Alias Behla; (2) Madan Singh alias Madi; (3) Skattar Singh; (4) Ajit Singh; (5) Naranjan Singh; (6) Kartar Singh; (7) Gurdip Singh; (8) Harbans Singh; and (9) Lakhwinder Singh. During search 1 GPMG, 1 SLR, 3 AK-47 Rifles, 1 AK-74 Rifle, 1 G-3 Rifle, one .30 pistol, one .32 Revolver and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ajit Singh, Senior Supdt. of Police, Gurmit Singh, Deputy Supdt. of Police, Jarnail Singh, Head Constable and Harjit Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th June, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 124-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Mohd. Mustafa, Asstt. Supdt. of Police, Tarn Taran. (*Ist Bar*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17-1-1989, Shri A. S. Chhetra, Supdt. of Police (Operations) Tarn Taran received information regarding the presence of a gang of terrorists in the area of village Ghariali, P. S. Valtoha. Shri Chhetra alongwith personnel of CRPF carried out search of the suspected hid-outs. On 18-1-1989 special briefing of all officers, who were to take part in the operation to be conducted in the early hours of 19-1-1989 was done.

2. On 19-1-89, the entire area was cordoned off and various search parties were formed to search the area from different directions. At about 2.30 PM the search party headed by one Deputy Supdt. of Police alongwith Sub-Inspector B. N. Pandey, Lance Naik Ram Avtar Singh and Constable Khegendra Barman of 41 Battalion, CRPF reached near the sugarcane field. All of a sudden, they were fired upon by the terrorists, who were hiding in the sugarcane field. Shri Pandey immediately laid on the ground and returned the fire, in the process he was seriously injured by the bullets fired by the terrorists and succumbed to his injuries. Lance Naik Ram Avtar took position in the irrigation drain, crawled forward with his LMG, Constable Khagendra Barman also took position and they kept on firing on the terrorists. Lance Naik Ram Avtar also fell victim to the heavy fire from the terrorists and died on the spot and Constable Khagendra Barman was injured in the leg.

At about 4 P. M., SSP Tarn Taran, alongwith S/Shri Mohd. Mustafa, ASP and A. S. Chhetra, SP (Operations) reached the spot, took stock of the situation and further strengthened the cordon of sugar-cane field. Shri Mustafa selected a team of Commandos to light up the area around the sugarcane field. S/Shri Chhetra and Mustafa personnally drove one Gypsy each and searched the area and recovered the dead bodies of S/Shri Pandey, Sub-Inspr. and Ram Avtar, L/NK. Without caring for their personal safety, they continued their search and found two dead bodies of terrorists.

In the meantime, Inspector General of Police, Border and Addl. DIGP, CRPF, Amritsar also reached the place of encounter with 2" mortar grenades. They realised that some of the terrorists might have shifted to the cotton field ofter the sugarcane field caught fire from the flare bombs. Hence 2" mortor bombs and grenades were thrown from the farm house in the cotton field.

Inspite of all this, the terrorists kept on firing indiscriminately on the police party. S/Shri Mustafa and Chhetra remained undeterred and determined to liquidate the terrorists. They tactfully kept advancing towards the terrorists and made a defensive position for themselves and directed volley of fire in the sugarcane field. They also threw handgrenades and fired with LMG and SLRs. Exchange of firing from this point continued for about half an hour. Thereafter, firing from the terrorists side stopped.

Thereafter, S/Shri Chhetra and Mohd. Mustafa drove through the wheat crops around the sugarcane field and deployed the other vehicles with lights on to illuminate the area for search. During search of the sugarcane field they found six more terrorists lying dead. In all 8 terrorists were killed, who were later identified as (1) Dalbir Singh alias Rebeiro; (2) Ajit Singh; (3) Inderjit Singh alias Bhola; (4) Ranjit Singh alias Rana; (5) Gurnam Singh alias Gamma; (6) Amarjit Singh; (7) Nand Singh alias Nanda and (8) Sukhdev Singh alias Sukha. During search 2 AK-47 Rifles, 2 AK-74 Rifles, one .15 bore sofisticated American Rifle, one .315 Rifle, 1 Pistol, 1 Revolver, 1 Camera, 11 Magazines and 150 cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Mohd. Mustafa, Asstt. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th January, 1989.

G. B. PRADHAN
Director

No. 125-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Khubi Ram, (*1st Bar*)
Supdt. of Police, Operations,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 9-12-1991, SHO, P. S. Jhabal received information about the presence of dreaded extremists in village Gaggobua and with the assistance of Army every house and other places were searched but they could not locate the extremists. On the next day i.e. 10-12-1991, SHO, P. S. Jhabal informed Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran, who with the assistance of Army Officers took stock of the situation and search operation started at 8 A. M. Shri Khubi Ram observed some thing fishy and suspicious movements in a house and rounded up the woman and questioned her about the presence of extremists and who disclosed about the presence of Balwinder Singh alias Binda, self styled Deputy Chief of KCF alongwith his accomplices armed with sophisticated weapons inside a bunker. Shri Khubi Ram and Army Officers after thorough survey of the situation of the bunker, the house was cordoned off. The extremists were asked to surrender but they opened fire on the search party.

Shri Khubi Ram alongwith S/Shri Rakesh Kumar, ASI and Lakhbir Singh Head Constable climbed on the roof of the house and lobbed grenades with a view to break the bunker but the extremists inside the bunker did not yielded. Thereafter, Shri Khubi Ram alongwith his gunmen advanced towards the roof under which the bunker was situated, then they located the door of the bunker with the help of torch light. Shri Khubi Ram lobbed the grenade and came out from the room. After few second grenade exploded, suddenly one extremist came out from the bunker and fired indiscriminately at the police personnel. ASI Rakesh Kumar and HC Lakhbir Singh quickly returned the fire with their weapons. As a result of heavy firing from the extremists side, S/Shri Rakesh Kumar and Lakhbir Singh sustained bullet injuries but they continued heavy firing on the extremists to neutralise their attack. Both of them faced the situation under tense circumstances, repulsed every attempt of the extremists and compelled them to come out from the bunker and finally managed to kill one of the extremists but they also succumbed to their injuries.

Due to heavy firing by Shri Khubi Ram by taking cover of a nearby wall compelled the other extremists to abandon the bunker. In a tactful manner one of the extremists made an abortive attempt to break away the security cordon and started running out of the house. The fleeing extremists opened fire on the police personnel and Lt. Colonel of Army and injured them. Shri Khubi Ram with his gunmen chased the extremist without caring for his personal safety took position behind a wall and fired from his automatic weapon and killed the fleeing extremist on the spot, who was identified as Balwinder Singh alias Binda. He was a hard-core listed extremist and was so called Deputy Chief of KCF (Zaffarwal Group). During search one AK-47 Rifle, one SLR, and large quantity of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 126-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri Dinkar Gupta, (*1st Bar*)
Senior Supdt. of Police,
Hoshiarpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 26-5-1992, Shri Kanwaljit Singh, Supdt. of Police, Rural, Hoshiarpur received information that two terrorists with sophisticated arms and ammunition had taken shelter in the house of one Harbhajan Singh, Village Haler, P.S. Dasuya. He immediately passed on the information to Shri Dinkar Gupta, SSP Hoshiarpur. Shri Dinkar Gupta ordered all the available officers to reach P.S. Dasuya and he also called re-enforcements from the Army and BSF.

Shri Dinkar Gupta decided that the Army column under the command of Major would move in from two sides and from the outer cordon of the said village. The BSF party under the command of a DSP would form the inner cordon of the village. After ensuring that both the cordons were complete, the assault party consisting of S Shri Dinkar Gupta and Kanwaljit Singh alongwith other officers and their gunmen charged into the village on the vehicles at lighteinig speed. As per plan the vehicles were arranged in such a manner that each officer covered a specified side of the house alongwith their gunmen. All the officers took positions around the suspected house (which was in fact an 'L' shaped complex of 3 houses joined together wall to wall and connected from inside). Shri Kanwaljit Singh got on to the roof of the house from the side wall.

Shri Gupta asked the hiding terrorists, through the public address system to come out and surrender but the terrorists responded with heavy firing from their automatic weapons straight towards Shri Dinkar Gupta who luckly escaped unhurt. He did not lose his nerves, kept cool, assessed the location and position of firing terrorists and snatched a GPMG from one of his gunmen and fire towards the hiding terrorists. At this the terrorists changed their position and managed to come towards the direction where Shri Kanwaljit Singh had taken position. When the terrorists saw the police personnel, they fired automatic bursts at Shri Kanwaljit Singh, he ducked and crawled for cover towards another direction. Shri Gupta realised that Shri Kanwaljit Singh and his party were trapped and were under heavy fire. Shri Gupta without caring for his personal safety dashed towards the 10 feet away wall, fully exposing himself to the fire of the terrorists, in a desparate bid to evacuate his trapped colleagues. Due to this clever manoeuvre, he managed to distract and disengage the terrorists from Shri Kanwaljit Singh, thus saved his life by risking his own life. In the process, Shri Gupta reached a very tactical position on top of adjoining building on the opposite side where Shri Kanwaljit Singh was trapped. He then directed heavy fire at the terrorists which gave a chance to Shri Kanwaljit Singh to reached a secure position. Shri Gupta then directed Shri Kanwaljit Singh to move on top of the 3 room set which were connected together from inside and enabled the terrorists to shift their position. The terrorists kept on firing intermittently through the windows of the room in all direction. Shri Gupta and other officers returned effective fire on the terrorists.

In the meantime, Shri Kanwaljit Singh fired long bursts of LMG in the roof of the house, which was of conventional mud and tiles and made a hole. Using the opportunity the terrorists fired through the hole of the roof but Shri Kanwaljit Singh narrowly escaped. He then took one AK-47 rifle from one of his gunmen and fired automatic bursts on the terrorists through the hole. But the terrorists shifted their location and they kept on firing in all directions through doors and windows. The terrorists then tried to escape by desperately firing repeated volleys of fire towards the direction were Shri Gupta had taken position. The intensity of fire was so heavy that a corner of the roof wall was blown off where Shri Gupta had taken position and he had to change his position. Shri Gupta unnerved gave a tough resistance and pinned down terrorists in the same hiding place.

Thereafter, hand-granades were lobbed into the house by Police and BSF personnel. As a result of grenade bursts and firing of various weapons, the house-hold goods caught fire emitting a lot of smoke. This heat and smoke made the stay of terrorists inside the house untenable and one of them emerged out from one of the rooms, while firing a long burst of AK-47 rifle at Shri Dinkar Gupta. Shri Gupta was ready and waiting for this opportunity, without losing any time, he fired at the terrorist, who was badly injured and fall down in front of the threshold.

On seeing this Shri Kanwaljit Singh quickly moved to another direction, kept vigil on the other door, where he noticed the second terrorist moving towards the door and trying to escape. Shri Kanwaljit Singh, immediately took position and fired at the second terrorist with his AK-47 rifle, who fell near the door and died. In the above encounter which lasted for about 3½ hours, S/Shri Dinkar Gupta, SSP and Kanwaljit Singh, SP (Rural) faced the terrorsits bullets and grenades bravely without caring for their own lives and killed two terrorists.

During search two AK-47 rifles, two magazines, 80 live cartridges, cyanide capsules, 10 letter pads of KCP (Panjwar) and two bags of ammunition were recovered from the place of encounter. Later the two dead terrorists were identified as Joginder Singh alias Jindu (Area Commander of KCF-Panjwar) and Onkar Singh alias Pheela alias Master.

In this encounter Shri Dinkar Gupta, Senior Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 127-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of officer

Shri Khubi Ram, (2nd Bar)
Supdt. of Police,
Operations,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8-5-1992, Shri Khubi Ram, Supdt. of Police (Operations), Tarn Taran got information about the presence of a group of dreaded extmemists in the villages Mughal Chack and Jandoke Sarhali. The reliable source further intimated that the extremists were planning to commit a major crime in District Tarn Taran in the evening.

Shri Khubi Ram immediately passed this information to SSP, Tarn Taran. He directed ASI Gurbachan Singh, SHO City, SI Balbir Singh, Incharge Police Post Town, Tarn Taran and other police personnel to assemble at P.S. Sadar, Tarn Taran. The Deputy Supdt. of Police, 75 Battalion, CRPF was also directed to bring his force at P.S. Sadar. All the police personnel under the command of Shri Khubi Ram rushed towards Village Mughal Chack. In the meantime SSP, Tarn Taran reached the village and took stock of the situation. Initially it was decided that the areas of villages Mughal Chack and Jandoke Sarbhali be surrounded but Shri Khubi Ram suggested that a lot of time will be spent on the cordoning scheme and the possibility of escape of extremists cannot be ruled out, because the extremists will come to know of police presence.

Keeping in view the suggestion of Shri Khubi Ram, a preliminary oral interrogation was held from some villagers about the presence of extremists. As a result of this it came to light that the extrmists with sophisticated weapons and ammunition were seen by the residents of village Mughal Chack, going towards the farm-house of the Sarpanch of the village. All the force was divided in four different parties. Shri Khubi Ram alongwith SI Gurbachan Sing and SI Balbir Singh and other personnel were deputed to cordon the Mughal Chack to Patti Road and drain side as it was a possible escape route of extremists. Other police party under the command of SP, Headquarters and DSP, Lines was detailed to cordon the adjoining farm houses of villages Rure Assal and Jandoke Sarhali. When the forces were cordoning the farm houses and drain sides, the extremists came to know about the presence of police personnel. They ran towards drain side. The police party under the command of Shri Khubi Ram challenged the fleeing extremists but they entered inside the high banks of drain and took position and fired towards the police parties. Shri Khubi Ram alongwith police party took lying position and directed SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh to surround the extremists from their back side. S/Shri Balbir Singh and Gurbachan Singh without caring for their personal safety, and security ran towards the assigned place In the exchange of fire, one of the extremists received bullet injuries and the extremists ran towards the bridge of the drain in the cover of banks of drain. They took positions behind the pillars of the bridge and fired on the police parties. S/Shri Balbir Singh and Gurbachan Singh chased the extremists.

Shri Khubi Ram and his party was in the open area and were in the very close range of extremists. The extremists threw grenades on the party of Shri Khubi Ram but they escaped unhurt. Then Shri Khubi Ram directed his party personnel to take positions in the ditches on the ground. When the extremists were fighting with the party of Shri Khubi Ram, SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh took position by crawling on the back side of the extremists and fired on them. When the extremists were Kuhbi Ram lobbed grenades on the extremists and his party attracted towards their firing then very quickly Shri Kuhbi Ram lobbed grenades on the extremists and his party personnel directed heavy fire on them. Thereafter, Shri Khubi Ram took a LMG and indiscriminately fired on the extremists. As a result of the firing by Shri Khubi Ram, SI Balbir Singh and ASI Gurbachan Singh on the extremists, the extremists could not fight longer and were killed at the spot. During search 2 dead bodies of extremists were recovered, one of them was identified as Baldev Singh alias Gadder but the other remained unidentified. During search 2 AK-47 Rifles, 2 magazines of AK-47, 3 HE-36 Hand Grenades, 6 Stick Bombs and 85 empties of AK-47 were revovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Khubi Ram, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th May 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 128-Pres/94.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of officer

Shri Khubi Ram, (3rd Bar)
Supdt. of Police,
Operations,
Tarn Taran.

Shri Gurbachan Singh, (1st Bar)
Asstt. Sub-Inspector of Police,
SHO, P.S. City,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8th June, 1992, Shri Ajit Singh, Senior Superintendent of Police, Tarn Taran, received an information that a group of 8-10 terrorists armed with sophisticated weapons was present in the Haveli at Village Behla to commit heinous crimes. Police/Para-Military force contingents were immediately collected from various units and rushed to the spot under the command of Shri Ajit Singh, S.S.P. and Shr Khubi Ram, Supdt. of Police (Operations). The Haveli and village was tightly cordoned.

S/Shri Ajit Singh and Khubi Ram took stock of the situation and divided the force into different parties. Four parties were deployed to search the 1st floor of the Haveli under the command of Shri Ajit Singh, Shri Gurbachan Singh, SHO, City Tarn Taran (including Head Constable Harjit Singh and Head Constable Jarnail Singh). Shri Khubi Ram and one party under the command of Deputy Commandant of CRPF covered the flanks upstairs and started search of the first floor of the building. Shri Ajit Singh directed S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh to take position in the court yard of upper portion. The other police personnel were directed to carry out search in the rooms. The extremists observed that police had entered the building. They started firing in the courtyard of the building from the bunkers, S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh returned the fire, but as they were fully exposed, they were badly injured by the bullets fired by the extremists. Both of them quickly changed their positions and took position behind the pillars of the varandah and returned the fire, S/Shri Jarnail Singh and Harjit without caring for their personal safety reached near the hole of a room from where the extremists were firing on the police. They pushed barrels of the SLRs into the opening and fired inside. After some time, firing from inside the room stopped In the meanwhile the other extremists who were hiding in other rooms, fired a burst on S/Shri Harjit Singh and Jarnail Singh. Although both of them were injured, they returned the fire as the extremists were in safe position, they were not successful. As a result of serious bullet injuries and heavy loss of blood, S/Shri Jarnail Singh and Harjit Singh both lost their lives while fighting with extremists.

In the meantime Shri Ajit Singh, very swiftly went to the roof-top of the building alongwith other personnel and started firing on the bunker. The extremists left the bunker, took positions in different rooms and continued firing on the police personnel on the roof. The exchange of firing continued for a long time without much success. Thereafter Shri Ajit Singh decided to come down and fight the terrorists. Then Shri Ajit Singh gave covering fire to enable Shri Gurmit Singh to come down. In the second attempt Shri Ajit Singh came down with the help of covering fire given by Shri Khubi Ram and CRPF personnel. In the third and fourth attempts Shri Khubi Ram and Deputy Commandant of CRPF also came down on the first floor. They again reviewed the position and decided that all the rooms of first floor, where the extremists were hiding, should be individually covered by each officer alongwith his gunmen and fight the terrorists effectively. Then S/Shri Ajit Singh, Khubi Ram, Gurmit Singh covered the doors of these rooms, where the exteemists were hidden. One of the extremists was firing from his GPMG from the room where Shri Ajit Singh alongwith his gunmen had taken position. When Shri Ajit Singh advanced towards his position, he cried for help and another extremist came to his assistance from the adjoining room. He fired with his AK-47 rifle on the police party but Shri Ajit Singh took position behind a wall. When he saw the extremists were trying to replace the magazines, Shri Ajit Singh and his gunmen immediately advanced and fired on the extremists and killed both of them. Out of them. one was identified as Surjit Singh alias Behla, self-styled Deputy Chief of BTFK (Manochahal Group). Similarly in another room CRPF personnel eliminated two extremists.

In the meantime, one group of extremists again entered the bunker and started firing on the police party but immediately Shri Khubi Ram with his party changed their positions and took position near the bunker wall. Thereafter, Shri Khubi Ram made a hole in the wall and lobbed grenades inside the bunker and also fired with his weapon on the extremists. Due to effective fire by Shri Khubi Ram, two extremists were killed, who were identified as Madan Singh alias Madi (Self-Styled Lt. Genl. of BTFK-Manochahal) and Skattar Singh (Area Commander of BTFK-Manochahal).

Another group of two extremists was trying to come down through the small gate in the stairs. The party led by Shri Gurmit Singh, took position alongwith his gunmen near the stairs and effectively fired on the extremists. As a result both the extremists were killed in the stairs.

In the meanwhile the Army troops also reached the spot while sporadic firing was still coming from inside the building. The Army cordoned the building and arranged heavy search lights so that no extremist could escape from the building taking advantage of the darkness. Shri Ajit Singh and other officers again took positions on the roof-top of the building so that the extremists may not climb on the roof and fire on the security forces. Firing from both sides continued throughout the night.

On the next morning, heavy fire was resorted to by the hiding extremists on the police parties from the side of the stairs. The Army, Police a nd CRPF personnel returned the fire. The Army personnel give covering fire and enabled all the officers on the roof to come down. In the meantime, one extremist came out of one of the rooms and started firing with his AK-47 rifle. Shri Gurbachan Singh, who was in very close range, immediately fired a burst with his LMG and killed the extremist on the spot. Thereafter, firing from inside the building stopped. A search was carried out. During search, nine dead bodies of extremists were found from the different rooms of the building, who were later identified as (1) Surjit Singh alias Behla; (2) Madan Singh alias Madi; (3) Skattar Singh; (4) Ajit Singh; (5) Naranjan Singh; (6) Kartar Singh; (7) Gurdip Singh! (8) Harbans Singh; and (9) Lakhwinder Singh. During search 1 GPMG, 1 SLR, 3 AK-47 Rifles, 1 AK-74 Rifle, 1 G-3 Rifle, one .30 pistol, one .32 Revolver and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Khubi Ram, Supdt. of Police and Gurbachan Singh, Asst. Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th June, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 129-Pres/94.—The President is pelased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :-

Name and Rank of Officer

Shri H. S. Dhillon, (1st Bar)
Supdt. of Police,
Operaitons, Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :-

On 21-4-1992, a special search and combing operation was planned jointly by Punjab Police with Army and CRPF in areas of P.S. Phillaur. The sensitive village where movements of terrorist group was reported were cordoned off in the early morning. When the search was in progress, Deputy Supdt. of Police Phillaur received a massage from P.S. Murmahal to come and contact his informer immediately. After contacting his source, he informed Shri Dhillon on wireless to reach Murmahal immediately. By this time

the search in the area of P.S. Phillaur was over and Shri Dhilon alongwith Army and CRPF personnel reached Murmahal. The details of information was discussed. One terrorist was seen going towards the farm house of one Sohan Singh, village Uppal Bhupa, P.S. Murmahal. Shri Dhilon planned the move and divided the force in five groups. The parties were briefed in detail about their tasks by Shri Dhilon himself. All these parties were detailed and sent to cordon and plug all the escape routes.

A selected party under the command of Shri Dhilon alongwith Deputy Supdt. of Police, Phillaur, SHOs of Murmahal and Phillaur and one Sub-Inspector of CRPF was organised as Assault Party. At about 3.15 A.M., the party left to raid the farm house in a private truck so that the movement of Police party could not be detected. As the Assault party reached near the farm house and was getting down from the truck, the terrorist hiding in the house fired alongwith automatic weapon on the police party. By this time Shri Dhilon had already reached near the gate of the house. After assessing the position of the terrorist, Shri Dhilon fired with his SLR at the terrorist. Due to this firing the terrorist was pinned down and the police party could get douwn from the truck and take position in the fields round the farm house.

When the police party was in the process of encircling the farm house, the terrorist fired in all directions. Shri Dhillon alongwith Dy. Supdt. of Police, Phillaur and other gunmen took position in the fields on one side. The terrorist, before coming out of the farm house fired a volley of shots in all directions. In the exchange of firing one Head Constable of CRPF received bullet injury, who was the side of Shri Dhilon. In spite of this, Shri Dhilon accepted this grave and instant risk to his life and led the assault party to the near side of the farm house. Shri Dhilon crawled to the near side of the farm house. As he moved to the rear side of the farm house, the terrorist fired a burst from automatic rifle at him lent he narrowly escaped unhurt. By that time Shri Dhillon had taken position and fired at the terrorist. Due to the aimed firing by Shri Dhilon, the terrorist was killed, who was later indentified as Manjit Singh @ Billa. During search 1 AK-47 rifle, 3 magazines of AK-47, 17 live rounds of AK-47 and 72 empty cases of AK-47 were recovered from the place of encounter. The dead terrorist was involved in a large number of killings (including 'Train Passenger' massacre in Jagron on 26-12-1991 in which 53 persons were killed and 19 injured).

In the encounter Shri H.S. Dillon, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special alloance admissible under rule 5, with effect from 21-3-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 30th May 1994

No. 27/5/94-CL. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorised Shri M. S. Aggarwal, Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI,
Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st June, 1994

RESOLUTION

No. 6/1/91-VEPZ.—With a view to augment infrastructural facilities for export production, it has been decided to permit the setting up of Export processing Zone (EPZ) in the private, joint or state sector. In order to consider such proposals, an Inter-Ministerial Committee has been established comprising of :-

Chairman

1. Additional Secretary (EPZ) Min. of Commerce

Members

2. A representative of the Dept. of Revenue
3. A representative of Min. of Environment
4. A representative of the Dept. of Ind. Dev.
5. A representative of the Min. of Urban Dev.
5. A representative of the Min. of Urban Development
6. A representative of Dept. of Eco. Affairs
7. Jt. Secretary (EPZ), Min. of Commerce
8. Dev. Commissioner of the concerned Zone
9. A representative of the State Govt.

Member-Secretary

10. Director (EPZ), Min of Commerce.

2. Function

The IMC shall :

(1) evolve guidelines for establishment of private/Joint sector Export Processing Zones;

(2) consider all applications for setting up such EPZs and make suitable recommendations in this regard.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be published in the Gazette of India.

J. M. MAUSKAR,
Director.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th April, 1994

RESOLUTION

Reference :-Ministry of Petroleum & Natural Gas's Resolution No. J-13012/2/92-Gen. dated the 24th August, 1993 Extension of term of Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

No. J-13012/2/93-Gen.—Shri Man Mohan Sharma, Professor of Chemical Engineering and Director, Department of Chemical Technology, University of Bombay, is nominated as the Chairman of the Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas vice Shri Lovraj Kumar who has passed away.

2. Shri M. P. Singh, Industrial Adviser (Chemicals), a nominee of Director General (Technical Development) would be a Member of the above Committee.

3. There is no change in the composition as also the other terms and conditions of the Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. SHAH, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994